खण्ड-307, अंक-4
मंगलवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत् 1896
(11 जून, 1974 ई0)

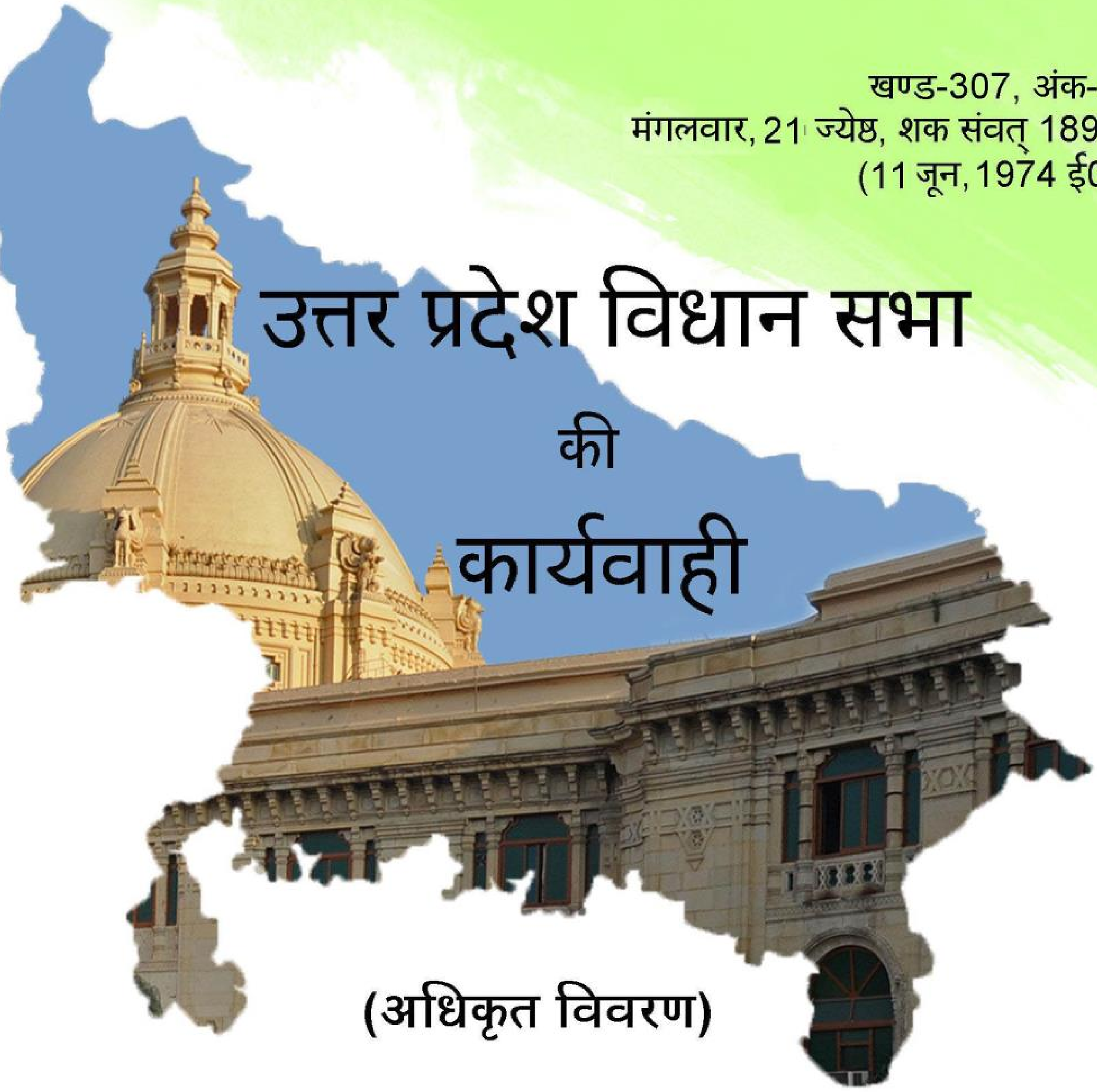

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 307 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

क्र०-पं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 11 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—394

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अड्डई राम, श्री
अनवार जमील एडवोकेट, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्रीदेवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब मेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शखर, श्री
चन्द्र शखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जग बहादुर सिंह पटल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
र्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थी सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)

पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विसारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भु खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखानसिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मनू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री

रघुनाथ सिंह श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजकिशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम अौतार सिंह मदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
रामनाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती बिन्दु एडवोकेट, (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन श्री (जिलाबस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री

वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री जगदीश ने शपथ ग्रहण की।

(विरोध पक्ष की तरफ से कई माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

इनको शपथ लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इन्होंने एजेन्टों पर नाजायज दबाव डाला है और प्रजातंत्र की हत्या की है।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 11 जून, 1974

तारांकित प्रश्न

जनपद बस्ती की बांसी नगर क्षेत्र समिति जल सम्पूर्ति योजना

*1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला बस्ती में कस्बा बांसी वर्तमान पेयजल योजना के अधीन ले लिया गया है ? यदि हां, तो वह योजना कब से चालू की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

जनपद बस्ती की बांसी नगर क्षेत्र समिति जल सम्पूर्ति योजना तयार की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 1974–75 में इसके लिए धन अवमुक्त करना शासन के विचाराधीन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, कदाचित माननीय मुख्य मंत्री जी को यह मालूम है कि किसी क्षेत्र में राप्ती नदी भी है जिसका पानी बहुत गन्दा है। इस पानी से वहां के लोगों को टेण्डा, हाइड्रोसील आदि बीमारियां हो जाया करती हैं। तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि चालू वर्ष में निश्चित रूप से यह पेयजल योजना आरम्भ हो जायगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, स्कीम बनायेंगे ताकि माधव बाबू को यह शिकायत न हो कि चूंकि वे विरोध पक्ष के हैं इसलिए हम दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हमारी कार्यवाही इस बात का सबूत है ताकि उनके दिल में किसी प्रकार की शंका न हो। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, जैसे-जैसे आप मंजूर करते जायेंगे, हम स्कीम बनाते जायेंगे।

श्रीमाधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बता दें कि चालू वर्ष में ही वहां पर अवश्य ही पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यदि सदन की मेहरबानी हम पर हुई तो अवश्य करेंगे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जो योजना विचाराधीन है उसमें कब तक निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपके बजट पास करने के बाद।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बांसी के अलावा बस्ती जिले को किन कस्बों के मामले इस विषय के अन्तर्गत विचाराधीन हैं और किनको-किनको स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बांसी के बारे में है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

सुपरसीडेड नगरपालिकाएं टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया कमेटियां

*2—श्री बाबूलाल वर्मा, (जिला बहराइच) (अनुपस्थित), श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर) तथा श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फजाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी नगरपालिकायें, टाउन एरिया कमेटियां तथा नोटीफाइड एरिया कमेटियां हैं जो सुपरसीडेड हैं ? तथा उनक चुनाव कब कराये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो नगरपालिकाएं, टाउन एरिया कमेटियां तथा नोटीफाइड एरिया कमेटियां इस समय सुपरसीडेड हैं उनकी सूची संलग्न है।

इनकी अवक्रमण की अवधि समाप्त होने पर उनमें चुनाव कराने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 504 पर)

श्री अवधेश कुमार—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका कब अवक्रमित हुई और कितने काल के लिए हुई ? तथा उसके अवक्रमण का काल बीच में कब-कब कितन-कतने दिनों के लिए बढ़ाया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह 14वें नम्बर पर है। 11-2-69 को इसे अवक्रमित किया गया था।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन सुपरसीडेड नगरपालिकाओं में अलीगढ़ की 14 दिसम्बर, में 1962 से सुपरसीडेड है और सिकन्दराराऊ की 15 मई, 1969 स सुपरसीडेड है, तो क्या इनक सम्बन्ध में सरकार कोई निश्चित अवधि बता देगी कि जिसके बाद इनके चुनाव करा दिये जायग ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

14 साल का कष्ट है। 7 महीने हुए हैं। सिर्फ 7 महीने और दीजिए रोग का निवारण होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, बरेली और मेरठ तीनों को इसलिए सुपरसीड किया गया है कि वहां पर नगरमहापालिकाए बनान की योजना सरकार क विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कहां पर नगर महापालिकाओं का निर्माण-चुनाव करा दिया जाएगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जितना है वही नहीं पच रहा है तो और की क्यों आकांक्षा कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जब कि 14-14 साल से नगरपालिकाएं सुपरसीडेड पड़ी हैं, तो क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि कबतक उनके चुनाव हो जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरी चेष्टा है कि जल्दी से जल्दी करावें। उसके लिए इस सदन में कुछ अमेंडिंग बिल आने थे, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। अब उसके पास होते ही इसी सेशन में हम काम कर सकें, तो उसके बाद डिलिमीटेशन का काम जितनी जल्दी हो सके, करने का प्रयास किया जायगा। हमारी यह आकांक्षा है कि एक भी टाऊन एरिया, नगरपालिका एसी न रह जाए, जिसमें चुनाव जल्दी से जल्दी न हो जाएं।

नगरपालिकाओं का निर्वाचन

*3—श्री बाबूलाल वर्मा (अनुपस्थित), श्री अवधेश कुमार तथा श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी नगरपालिकायें कौन-कौन हैं जिनका कार्य-काल समाप्त हो गया है? परन्तु अभी चुनाव नहीं कराये गये हैं? चुनाव न कराने का कारण क्या है तथा चुनाव कब तक कराये जायेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका हाथरस, डिबाई, खुर्जा, सहसवां, बहराइच, मिर्जापुर, जौनपुर, फैजाबाद तथा मोहम्मदी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 1971 की जन गणना के आधार पर कक्ष परिसीमान की पूर्व प्रक्रिया पूर्ण न हो सकने के कारण इनके चुनाव समय से नहीं कराये जा सके। सहसवां, फैजाबाद, तथा मोहम्मदी जहां कक्ष परिसीमान प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, को छोड़ कर अन्य नगरपालिकाओं में निर्वाचन कराये जाने का मामला विचाराधीन है।

श्री अवधेश कुमार—

क्या माननीय मुख्यमन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका अवक्रमण कितने काल के लिये किया गया था और उसके बाद कब-कब और कितने समय के लिये अवक्रमण समय बढ़ाया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जब से हुआ तब से बराबर होता ही रहा। लोग करते ही रहे, काल बढ़ता ही रहा, रुका नहीं। अब कोशिश करूंगा कि यह अवक्रमण खत्म हो और जो सही प्रतिनिधित्व होगा जनता के द्वारा वह जल्द से जल्द हो। माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं कोई तारीख लगा दूं। मैं तारीख लगा देता लेकिन सदन में वह बात कहनी चाहिये जिसका अन्तिम निश्चय हो जाय। एक-सवा महीने में मैं इस नतीजे पर आ जाऊंगा कि क्या कब सम्भव होगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमन्त्री जी ने शुभेच्छा जाहिर की कि चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। जल्द से जल्द की परिभाषा सरकार पर निर्भर करेगी। तो मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि अगर तिथि इस तरह से नहीं बांध सकते तो महीनों की तिथि बांध सकते हैं कि इतने महीनों में चुनाव हो जायगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं पहले कह चुका, हमारी आकांक्षा है, जिस दिन आया था उससे 14 महीने के अन्दर 14 साल का रोग कट जाय।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चार नगरपालिकायें निलंबित हैं उनका भी चुनाव अन्य नगरपालिकाओं के साथ करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष---

यह तो हो गया।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

इस बात को देखते हुए कि मेरठ नगरपालिका को सुपरसीड हुए 15 साल हो गये और जब से सुपरसीड हुई है उसकी स्थिति, फाइनेंशल और अन्य खराब हो गयी है, वार्डों का परिसीमन भी हो चुका है, सब हो चुका है केवल आपकी घोषणा बाकी रह गयी है तो क्या नवम्बर, 1974 तक उसका चुनाव करवा देंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, जैसा मैंने अर्ज किया सब नगरपालिकायें जितनी भी सुपरसीडेड हैं, सब जगह चुनाव हो जाय एक साथ उसके लिये चेष्टा कर रहा हूं। (व्यवधान) एक, दो, तीन नहीं, सब का चुनाव साथ करा देना चाहते हैं। यह आश्वासन आपको देता हूं।

श्री शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में तीन म्युनिसिपैलिटीज, मुरादाबाद, अमरोहा और चंदौसी सुपरसीडेड हैं, 15 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, क्या वजह है कि उनकी आबादी को आपने महरूम कर रखा है, क्यों नहीं एलेक्शन करा रहे हैं और अब तक कराने का इरादा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने पहले ही, मान्यवर, निवेदन किया था कि यह गुनाह तो पहले ही हो चुके थे उसकी सजा मुझको न दें। अब मेरे जमाने में इतने साल के बजाय इतने महीने लगें तो सजा मुझे जरूर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि इटावा नगरपालिका सुपरसीडेड है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इसमें तो नहीं है। जानकारी से कहता हूं, जी हां है।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)---

देवरिया जिले की जो ग्राम सभाएं कसिया और सेवरही जो टाऊन एरिया के रूप में परिवर्तित कर दी गयी हैं वहां पर कब चुनाव होंगे और गोरखपुर की मुंडेरा बाजार ग्राम सभा जो टाउन एरिया के रूप में परिवर्तित की गयी है, वहां पर भी चुनाव होंगे?

श्री अध्यक्ष--

इन सबका जवाब हो चुका ।

खेसरहा, जिला बस्ती के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*4--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि खण्ड विकास अधिकारी, खेसरहा, जिला बस्ती के विरुद्ध तथा ब्लाक प्रमुख खेसरहा के विरुद्ध गतवर्ष खाद वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायत वहां के जिलाधिकारी को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या थीं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

गत वर्ष श्री रामलगन मिश्र, प्रधान ग्राम सभा एवं प्रमुख, खेसरहा ने श्री प्रभुनाथ गुप्त, खण्ड विकास अधिकारी, खेसरहा के विरुद्ध खाद वितरण के सम्बन्ध में शिकायत की थी उसकी प्रतिलिपि संलग्न है । शिकायत की जांच की गई और वह निराधार पाई गई ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 505-506 पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि यह शिकायत कब हुई थी और जांच कब और किसने की?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, शिकायत 16 अगस्त, 1973 को हुई । यह शिकायत उप विकास आयुक्त, गोरखपुर के माध्यम से जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त हुई और जांच जिला नियोजन अधिकारी से कराई गई ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । मैं स्वयं इन गांवों में गया था और मुझे सूचना दी गई थी कि संबंधित विकास खण्ड अधिकारी लोगों को लालच देकर लिखा रहे हैं कि हमने शिकायत नहीं की है । इसलिये मैं चाहता था कि इस विभाग द्वारा जांच न करायें और इसी विभाग के अधिकारी जांच करने गये । क्या मुख्य मन्त्री जी सी0 आई0 डी0 या अन्य किसी सोर्स से जांच करायेंगे जिससे सही तथ्य उनके सामने आ जायं क्योंकि चरम सीमा पर वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, खाद और बीज आदि के वितरण में ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, उनका कहना ही हमारे लिये काफी है । जरूर किसी न किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेंगे जिस प्रकार के लोगों की उन्होंने चर्चा की है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या इस बात की जांच करायेंगे कि यहां के अधीनस्थ कर्मचारी 10/15 रुपये घूस ले रहे हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो उचित होगा ।

सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) संघ द्वारा सरकार को ज्ञापन

*5—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) संघ का दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 का भेजा हुआ कोई ऐसा ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगें पूरी करने का अनुरोध किया है? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) संघ की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उनके स्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, प्राप्त ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

प्रमुख मांगों पर कृत कार्यवाही तालिका† में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दिल्ली ने आश्वासन दिया था कि जो कडेन्स्ड कोर्स कराया जायगा उसका सारा व्यय वह वहन करेगी? इसी आधार पर अन्य सरकारें अपने यहां यह कोर्स करा चुकी हैं लेकिन यहां नहीं कराया इसका क्या कारण है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह कहीं नहीं है । अलग से पूछें तो ठीक होगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, 5 नम्बर पर देखने की कृपा करें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हमारे प्रदेश में नहीं होता है । हमने इसको व्यवहारिक नहीं पाया । हमारी स्टेट की राय हुई कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । इसलिये स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने पदों के स्थायीकरण के लिये ज्ञापन दिया था और कितने किये गये और कितने बाकी हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, 56 सीमा में आते हैं उनको कर दिया गया । कितने शेष हैं यह कहना मुश्किल है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, 16 वर्ष से विकास अधिकारी, पशु पालन कार्य कर रहे हैं उनमें से केवल 56 को स्थायी किया गया है । बाकी को क्यों नहीं किया गया और उनको कब कर दिया जायगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जब से सरकार आई तब से अस्थायी पद तीन साल पूरे होने पर स्थायी हो रहे हैं अतः जैसे-जैसे उनका समय होता जायगा व स्थायी होते जायेंगे ।

---

†छापी नहीं गई ।

विकास खण्ड झींझक (कानपुर) में पेयजल योजनान्तर्गत हरिजनों क लिए कूप निर्माण

*6--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड झींझक के अन्तर्गत पेयजल स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिये किन-किन गांवों में कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और इन कूपों का कब तक निर्माण हो जाना चाहिये ? अब तक किन-किन गांवों के हरिजन कूपों का निर्माण हो गया है और उनमें अलग-अलग क्या लागत आई है?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राजमन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

सामुदायिक विकास विभाग द्वारा नलकूप बनाने की कोई स्वीकृति नहीं दी गई । कानपुर जिले के विकास खंड झींझक के अन्तर्गत पेय जल स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिये ग्राम किशौरा, बनीपारा, लक्ष्मणपुर पिलख, बजीतजसू, जलिहापुर, बान, लगरथा एवं अनेतधौका में कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई थी । इन कूपों का निर्माण 31 मार्च, 1973 तक पूर्ण होना था । संलग्न सूची के स्तम्भ 4 में वर्णित गांवों में हरिजन कूपों का निर्माण 31 मार्च, 1973 तक पूर्ण हो गया था । अलग-अलग कूपों की लागत संलग्न सूची में उसके सम्मुख अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 507 पर ।)

*7--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या यह सही है कि गत सत्र के विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर मे बताया गया था ये सभी कूपों का निर्माण हो चुका है जो कि सही नहीं था इसमें से कई कूपों का निर्माण उस समय तक नहीं हुआ था और अब भी अधूरे हैं तथा मजदूरों को पैसे नहीं दिये गये, ठीक से सामग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है ये कुएं अधूरे पड़े हैं? यदि हां, तो गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

विगत सत्र क विधान सभा में प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि पूरे कानपुर जिले में कूपों का निर्माण हो चुका है यह सही था । कोई भी कूप उस समय अधूरे नहीं थे सभी कूपों का निर्माण 31-3-73 तक पूरा हो गया था । मजदूरों को पैसे दिये जा चुके थे । ठीक से सामग्री का इस्तेमाल किया गया था । कोई भी कुएं अधूरे नहीं थे और न कोई गलत सूचना ही दी गई थी । इसलिये अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि कानपुर जिले के विकास खंड झींझक के अन्तर्गत पेयजल स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिये किन-किन गांवों में कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और इन कूपों का कब तक निर्माण हो जाना चाहिये ? तो प्रश्न है हरिजन कूपों का और माननीय मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं नलकूपों का । तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह बिना पढ़े ही उत्तर दे देते हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

हरिजन पेय जल कूप का भी उत्तर है । पहले यह जरूर कहा गया है कि नलकूप बनाने का काम सामुदायिक विकास विभाग द्वारा नहीं होता है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

माननीय मन्त्री जी हमारी इस सूचना को सही मानकर कि ग्राम किशौरा के हरिजन कूपों का निर्माण-कार्य पूरा नहीं हुआ है और इन कूपों के निर्माण में बी० डी० ओ० ने मजदूरों को मजदूरी नहीं दी और इसमें घटिया सामान लगाया है और बड़ा गोलमाल किया है । तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच दूसरे विभाग के अधिकारी से करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मेरे पास जो सूचना है मान्यवर उसके आधार पर मैंने यह कहा कि हरिजन पेयजल कूपों का निर्माण 31-3-1973 तक पूर्ण हो चुका है, किन्तु माननीय सदस्य की शिकायत है कि बने नहीं या ठीक तरह से नहीं बने हैं तो मैं किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच करा लूंगा । मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर प्रत्येक कुएं का खर्चा भी बताया गया है । फिर भी अगर माननीय सदस्य को शिकायत है तो फिर से जांच करा ली जायेगी ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह सूचना दी जा रही है वह किसकी सूचना के आधार पर दी जा रही है । मेरी जानकारी है कि जो भी कुएं निर्मित कराये जाते हैं उनमें काफी जाल बट्टा होता है और कूपों में सीमेन्ट कम लगाया जाता है । और कभी-कभी तो पुराने कुओं में ही सीमेन्ट लगा दिया जाता है और उसका रुपया ले लिया जाता है? तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे और क्या जो यह सूचना दी जा रही है वह उसी की सूचना के आधार पर है जिसने इन कूपों का निर्माण कराया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि यह कार्य खंड विकास अधिकारी के द्वारा होता है । कूपों का कार्य ठीक रखने के लिये हमारा जो रूरल इन्जीनियरिंग विभाग है वह इसको देखता है । उनके पास प्रत्येक कुएं का स्टैन्डर्ड बना हुआ है उसी के आधार पर कुओं का निर्माण होता है । उसके माननीय सदस्य का यह कहना है कि पुराने कुओं पर सीमेन्ट लगा दिया जाता है और रुपया ले लिया जाता है यह कहना सही नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनके रख-रखाव का विभाग की तरफ से कोई इन्तजाम होता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह जिस ग्राम में बनते हैं वहां का ग्राम प्रधान वहां के कुओं की देख-रेख करते हैं । उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी वहां के ग्राम प्रधान की होती है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने स्वयं देखा है कि जो हरिजनों के पानी पीने के लिये कुएं बनाये गये हैं अधिकांश कुएं ऐसे हैं जिनमें सीमेन्ट वगैरह लगा दिया गया है और उनमें पानी नहीं है । क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कुएं हैं जिनमें पानी पीने के लिये नहीं है । माननीय मन्त्री जी इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करा लें और यदि ऐसा ही है तो कुएं बनवाने वाले उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करके उचित दण्ड देने की कृपा करेंगे ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, ऐसी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि ऐसे कुएं जो बने हैं उनमें पानी नहीं है । अगर माधव बाबू ऐसा कहते हैं क्योंकि वह भी एक जिम्मेदार आदमी हैं और एक पार्टी के नेता हैं तो मुझको तो उसी जिम्मेदारी के साथ देखना है और उस पर अमल करना है ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि सारे प्रदेश में हरिजनों को पानी पीने की एक समस्या है ? क्या वह ऐसी हरिजन बस्तियों का सर्वे करा लेंगे जहां पर हरिजनों को पीने के लिये पानी नहीं है और वहां पर कुएं बनवाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष --

यह तो पूरे प्रदेश के बारे में सवाल कर रहे हैं । आपने कानपुर के बारे में सवाल किया था । अब आप उसको व्यापक बना रहे हैं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

इससे मान्यवर प्रदेश की समस्या हल हो जायगी ।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)--

मैं अध्यक्ष महोदय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हरिजनों के कुओं के बारे में सारे प्रदेश में यह समस्या है । अधिकांश कुओं में पानी नहीं है । प्रथम तो कुएं बने ही नहीं हैं । कुएं बनाने के लिये हरिजनों को गुमराह किया जाता है । हरिजनों से ब्लाक के अधिकारी लोग कह देते हैं कि गड्ढे खोद लो ब रुपया मिलेगा । जो रुपया हरिजनों को कुएं बनाने के लिये मिलता है उसको ब्लाकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बांट लिया जाता है । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में एक कमेटी बनाई जाय जो इन हरिजनों के कुओं के बारे में जांच करे । जिस प्रकार से बोर्ड बैठता है उसी प्रकार से एक कमेटी बैठाई जाय । "हम तो मर मिटे तेरे लिये तुमने यह भी न पूछा तमन्ना क्या थी ।"

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने सदन को यह गलत सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश की है । यह गलत है कि हरिजन कुओं की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है । हरिजन कुओं को सरकारी अधिकारी बनवाते हैं । उसके बारे में ब्लाक के ब्लाक प्रमुख को जानकारी नहीं होती है और उस पैसे को बी० डी० ओ० खर्च करता है । बी० डी० ओ० उस पैसे को अपने मनमाना खर्च करता है । हरिजन कुओं को बनवाने की सारी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की हुआ करती है ।

एक सदस्य---

कितना पानी कुएं में होना चाहिये, इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)---

हरिजनों के लिये सरकार के आदेश होते हैं लेकिन उन तक वह पैसा नहीं पहुंच पाता है । (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये जो कुएं बनाये जाते हैं उनमें.....

श्री अध्यक्ष--

अगर आप चाहते हैं कि हरिजनों के सम्बन्ध में पेयजल की व्यवस्था हो तो उसके लिये आप अलग से सवाल कर सकते हैं, चर्चा मांग सकते हैं लेकिन एक छोटे से सवाल पर इतने प्रश्न नहीं होने चाहिये । जो सीमित प्रश्न है, उस पर आप चर्चा की मांग कर सकते थे ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर और सदन में शोर होने पर)

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

जिन कुओं की यहां पर चर्चा हो रही है उनमें से कितने धर्ती पर हैं और कितने कागजों पर हैं ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

हरिजनों के लिये जो नलकूप बनाये जा रहे हैं, उनमें बहुत गड़बड़ियां हैं । क्या माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देकर भ्रष्टाचार को दूर करेंगे जो इस सरकार के और हरिजनों के हित में है ? यहां पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन बजाय मन्त्री जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने अधिकारियों की वकालत करने लगते हैं । इससे निश्चित रूप से हरिजनों का हित नहीं हो पा रहा है, उनकी व्यापक रूप से लूट हो रही है । क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि हरिजनों के लिये कुओं के निर्माण में गड़बड़ी है, कुंए बने नहीं हैं रुपया ले लिया गया है, खर्च नहीं हुआ, कोई जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी दे चुके हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्रीमन्, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जहां, कहीं माननीय सदस्य को शकायत हो, उसकी जांच करा ली जायगी और जो अधिकारी दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । हरिजनों के पानी पीने के लिये यह व्यवस्था की गयी है और अगर यह काम ठीक तरह से नहीं होता है तो सरकार इससे खुश नहीं होती है । मैं फिर माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

*8—श्री ओमप्रकाश सिंह—

(2रे सोमवार में प्रश्न सं0 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

चदोवा गोवर्धनपुर, साधन सहकारी समिति लि० अलीगढ़ के पदाधिकारियों के विरुद्ध गबन के आरोप

*9—श्री कल्याण सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी पर्यवेक्षक, साधन सहकारी समिति लि0 चदोआ गोवर्धनपुर, क्षेत्र बड़ेसरा, ब्लाक बिजोली, जिला अलीगढ़ ने दिनांक 26 फरवरी, 1973 को कोई रिपोट उक्त ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को प्रस्तुत की है जिसमें उपरोक्त समिति के कुछ तत्कालीन पदाधिकारियों के विरुद्ध गबन के गम्भीर मामलों का उल्लेख है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सम्बन्धित सहकारी पर्यवेक्षक की ओर से 26 फरवरी, 1973 की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई । हां, 26 दिसम्बर, 1973 को एक रिपोर्ट अवश्य प्राप्त हुई थी जिसमें चदोवा-गोवर्धनपुर साधन सहकारी समिति लि0 के एकाउन्टेन्ट, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, श्री महेश दत्त शर्मा और सरपंच, श्री सरदार सिंह, के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की गयी थी कि उन्होंने समिति के अभिलेख अपने पास जमा कर रक्खे हैं और नहीं दे रहे हैं । यह भी शिकायत की थी गयी थी कि श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा ने 972 रु0, श्री महेश दत्त शर्मा ने 166 रु0 और श्री सरदार सिंह ने 590 रु0 6 पैसे समिति की ओर से वसूल तो किये हैं किन्तु उसे जमा नहीं किया । इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने के पांच दिन के बाद ही जांच पड़ताल के पश्चात्

[हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पाया गया कि श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा के ऊपर 1,665 रु0 035 पैसे समिति को देय है । श्री महेश दत्त शर्मा को 166 रु0 देना है और सरपंच, श्री सरदार सिंह को 590 रु0 6 पैसे देना है और तत्काल 31 दिसम्बर, 1973 को इन लोगों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । परिणामस्वरूप श्री सरदार सिंह, सरपंच ने अपनी सारी देय धनराशि जमा कर दी और श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा 1,665 रु0 35 पैसे में से 1,000 रु0 23-5-74 को जमा किया । 665 रु0 35 पैसे जमा करने का आश्वासन दिया है । श्री महेश दत्त शर्मा ने अपनी रकम पहले ही जमा कर दी है ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जो अभिलेख इनके पास मौजूद थे वह क्या सोसाइटी के सुपरवाइजर या किसी अन्य अधिकारी को दे दिये हैं और इन तीनों के पास यह रुपया कब से बकाया पड़ा था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अभिलेख तो जांच करने वाले अधिकारी ने जिसे ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव कहते हैं रखे हैं । जहां तक यह है कि पैसा कितने दिनों का था तो 26 दिसम्बर को हमें सूचना दी गयी कि उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है, तो वहां की घटनाओं से संबंधित तुरन्त कार्यवाही की गयी । मैंने स्वयं विभाग को लिखा है कि बैंक से पूछा जाय कि बैंक ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की, यह बैंक की भूल है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्यमन्त्री जी बतायेंगे कि यह पसा जो दबा रखे थे यह किसानों से वसूल किया हुआ पैसा उनको अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, तो उनके खिलाफ जो उचित कार्यवाही नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने निवेदन किया कि मुझे स्वयं इस बात का अफसोस है कि बैंक जो स्वायत्त शासन स्वयं में हैं, आटोनामस बाडी, उसको चाहिये था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता । नहीं किया तो जब प्रश्न मेरे सामने आया और इसका जवाब आया तो मैंने स्वयं अपना रोष बैंक पर प्रकट किया है कि यह पुलिस केस भी होना चाहिये था । नहीं हुआ तो गलत बात हुई ।

श्री कल्याण सिंह--

मुख्य मन्त्री जी ने जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न कराने के सम्बन्ध में रोष प्रकट किया है तो उस पर बधाई देता हूं, पर यह जानना चाहता हूं कि इन तीनों व्यक्तियों में से जो लक्ष्मीनारायण शर्मा हैं उन्होंने 1,665 रुपये 35 पैसे में से 1000 रुपया जमा किया है और उनकी तरफ अब भी 665 रुपया शेष है और वह बहुत दिनों से शेष चल रहा है । मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र का मामला है और यह रुपया किसानों से वसूल किया गया है, जमा नहीं किया है, यह तो स्पष्टरूप से गबन का मामला है । तो जिन्होंने अभी भी जमा नहीं किया कम से कम उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लाज स्थानीय पुलिस में दर्ज की जायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरी तो राय है कि जमा करने से गुनाह कम नहीं होता । सबके ऊपर मुकदमें बैंक की तरफ से कायम होने चाहिये थे और हम आशा करते हैं कि होंगे सबके ऊपर । बैंक अगर न करे तो भूल उसकी होगी ।

*10--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में उर्वरकों की कमी

*11--श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रदेश में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिये क्या-क्या कदम उठाने का विचार कर रही है और कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

भारत सरकार द्वारा आयात किये गये पूल से तथा स्थानीय उत्पादकों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तगत प्रदेश को उर्वरक उपलब्ध कराये जाते हैं । उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिये शासन निरन्तर पूर्ण प्रयास करता रहता है कि भारत सरकार तथा स्थानीय उत्पादकों से अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक प्राप्त किये जायें ।

स्थानीय उर्वरक उत्पादकों को बिजली भी प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है जिससे उनका उत्पादन अधिक से अधिक हो सके । इसके अतिरिक्त उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिये जैविक खादों को अधिक प्रयोग करने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके अन्तर्गत शहरी कम्पोस्ट, ग्रामीण कूड़ा करकट से खाद बनाना, सिवेज का उपयोग तथा हरी खाद का कार्यक्रम प्रमुख है ।

श्री मन्ना लाल--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि हरी खाद तथा गोबर की खाद बनाने के लिये किसानों को क्या-क्या सुविधायें देने जा रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश में खाद वितरण करने वाली जितनी भी एजेन्सीज हैं सभी की खाद को सरकार ने जब्त कर लया है और यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि जो किसान गल्ला देगा खाद केवल उसी को दिया जायगा । इसके माने यह है कि 75 प्रतिशत किसान जो गल्ला देने की स्थिति में नहीं हैं उनको खाद नहीं मिलेगी जिससे क्राइसिस और बढ़ेगी । तो छोटे किसानों को खाद दिलाने के लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सर्बनाशे समुत्पन्ने अर्द्धं त्यजति पंडितः । सर्वनाश देख रहे हैं तो आधा छोड़ रहे हैं । हमें खुद दुःख है कि सबको हम खाद नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि खाद सीमित है । लेकिन जितनी खाद है और जितने एकड़ में वह जानी चाहिये उसी हिसाब से लोगों को मिल जायगी ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री इसपर विचार करेंगे कि खाद का बहुत संकट है तो पश्चिमी जिलों में जो ढैंचे का बीज है, जो बहुत अच्छी खाद है, उसको अपने डिपार्टमेन्ट के द्वारा पूर्वी जिलों में भिजवाने की कृपा करेंगे क्योंकि वहां ढैंचे का बीज नहीं होता ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह प्रस्ताव विचारणीय है ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या मुख्यमन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में कितना फर्टिलाइजर आया था और तकसीम किया गया और इस साल उनको कितना मिलने की उम्मीद है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

1974-75 में खरीफ के लिये प्रदेश में 1 लाख 39 हजार मेट्रिक टन नाइट्रोजन, 16,900 मेट्रिक टन फासफोरस, 13,200 मेट्रिक टन पोटाश वितरण करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा आयात किये गये उर्वरक तथा स्थानीय कारखानों से मिलने वाला उर्वरक निम्न प्रकार है; भारत सरकार से आयात किये गये उर्वरक में से मिलने की आशा; नाइट्रोजन 40,449 मेट्रिक टन, स्थानीय उत्पादकों से 95,101 मैट्रिक टन। फरवरी 1, 1974 को स्टाक की यह स्थिति थी 3,450 मैट्रिक टन कुल जमा। नाइट्रोजन 1 लाख 39 हजार मेट्रिक टन। इसी तरह से फासफोरस भारत सरकार से 8,350 मेट्रिक टन। स्थानीय उत्पादकों से 4,920 मेट्रिक टन। 1 फरवरी को स्टाक पोजीशन थी 3,400 मैट्रिक टन। भारत सरकार से कुछ भी नहीं। स्थानीय उत्पादकों से 11,200 मैट्रिक टन। 1 फरवरी को स्टाक में 2,000 तथा 13,200 मैट्रिक टन का क्रेडिट हो गया। इसमें से केन्द्रीय सरकार ने और जो हमारा और लक्ष्य है वह पूरा किया है। केन्द्रीय सरकार ने 40 हजार में से 32 हजार दे दिया है। और स्थानीय उर्वरक वालों से 95 हजार में से 46 हजार ही सिर्फ दिया है। फासफोरस का जहां तक सवाल है, केन्द्रीय सरकार ने 8 हजार में से 4,800 टन ही केवल दिया है। स्थानीय पैदावार करने वालों से भी 4,900 के स्थान पर 1,021 ही अब तक मिला है। पोटाश का जहां तक ताल्लुक है वह भी स्थानीय लोगों ने 11 हजार में से केवल 2,261 ही दिया है। पारसाल के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

चौधरी चरण सिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि पूरे देश के लिये जो 1974-75 की प्लान बनी है उस हिसाब से केवल सारे उत्तर प्रदेश के लिये 34 लाख टन फर्टिलाइजर की जरूरत है और हमारे प्रदेश का रकबा पूरे भारत वर्ष का 1/6 है। तो इस हिसाब से हमको 5 लाख टन फर्टिलाइजर की जरूरत है। जब कि 1 लाख 40 हजार टन ही नाइट्रोजन मिलने की बात आप करते हैं। तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ? क्या सब लोगों को आप यह दे सकेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय नेता, विरोधी दल ने जो कुछ कहा मैं बिलकुल उससे सहमत हूं, लेकिन जो उपलब्ध है, जितना विदेशों से भारत सरकार को मिलता है और उसमें से जितना हिस्सा हमको मिलता है, वह मैंने बताया। अगर विदेशों से और ज्यादा मिल जाता तो हमको और ज्यादा मिल जाता यह सही है इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा।

चौधरी चरण सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अधिक खाद मिलने के लिये आपने क्या-क्या कोशिशें कीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पिछले कई महीने में कई बार दिल्ली जाकर वहां कृषि मंत्री और पेट्रोलियम एण्ड कैमिकल्स के मिनिस्टर से संबंध स्थापित किया, बातचीत की, और जितना हम समझा सके समझाया और ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश की। उनका कहना है कि उनके पास इससे ज्यादा देने के लिये नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, खाद वितरण की एक नयी व्यवस्था हुई है। अब जो लोग सरकार को गेहूं दे रहे हैं उनको खाद मिलती है। जो छोटे-छोटे 60-70 फीसदी किसान हैं, जो अपना गल्ला पहले ही बेच चुके हैं जून से पहले, क्या उनको भी खाद सरकार देगी? दूसरा प्रश्न यह भी है कि जो उर्वरक सरकार के पास पहले का पड़ा है वह क्या पहले वाली कीमत पर ही किसानों को दिया जायेगा या नयी बढ़ी हुई कीमत पर? जो व्यक्ति गेंहूं नहीं दे सकते, जिनकी खरीफ की फसल आने वाली है, उनको किस प्रकार खाद मिलेगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस संबंध में कई पहलुओं पर विचार करने के लिये हमारे अधिकारी दिल्ली जा चुके हैं। वे अभी वापस नहीं आ सके हैं। इसलिये इस संबंध में जो आज मुझे बयान देना था उसको अन्य किसी दिन रखने के लिये मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना भी की है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि कुछ खाद और हमें मिल जाय। दामों के संबंध में भी हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो वक्तव्य स्वीकार हो चुका है उसके लिये मैंने निवेदन किया है कि फ्राइडे को या अन्य किसी दिन रख दिया जाय। उस समय मैं सारी बातें सदन के समक्ष रख सकूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वह वक्तव्य क्या आज नहीं होगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जो टीम दिल्ली गयी हुई है वह अभी वापस नहीं आयी। मैं प्रार्थना यह करूंगा कि जब अंतिम निर्णय हो जाय तभी यहां पर कुछ कहा जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरे प्रश्नों का भी जवाब आ जायेगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सब आ जायेगा।

श्री राम सेवक यादव--

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि केन्द्रीय सरकार से खाद मिलेगी तो मैं जानना चाहता हूं कि जो खाद केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होगी उसको किस आधार पर, वित्तीय आधार पर या आवश्यकता के आधार पर या आबादी के हिसाब से बांटा जायेगा। अगर इस तरह का कोई आधार है तो हमें 5 लाख टन क्यों नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष--

बयान आयेगा। इस पर अभी अंतिम निर्णय कहां हुआ है? अभी आप आगे चलने दें।

चौधरी चरण सिंह--

सवाल है, मैं इन्फार्मेशन चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से, उन्होंने उस रोज जब मैं कुछ देर के लिये यहां से बाहर चला गया था तब आपने तरह-तरह की बातें कहीं। मुझे यह बतलाया गया कि 78 परसेंट एलोकेशन एग्रीकल्चर के लिये हुआ है। आप कहते हैं कि बयान आगे आयेगा तो अगर मुझे आगे बतलाने की कृपा करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं चौधरी साहब से एक ही बात कहना चाहता हूं कि पता नहीं चलता कि लोग चौधरी साहब से मेरे बारे में तरह-तरह की बातें क्यों कह देते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई कुछ कहा करे तो मुझे आप बुला कर पूछ लिया कीजिये । मैं हाजिर होकर सब बता दूंगा । जहां तक 78 फीसदी की बात है मैंने अभी अर्ज किया कि जब आगे यह आयेगा और प्लानिंग से डिस्कशन आयेगा तो मैं अपने हिसाब से जोड़ने का तर्क पेश करूंगा ।

बहराइच जनपद की न्याय पंचायतों के सरपंचों का चुनाव तथा क्षेत्र समिति बेलसर (गोंडा) के प्रमुख द्वारा शपथ ग्रहण

*12--श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)--

क्या पंचायती राज मन्त्री को ज्ञात है कि बहराइच जनपद में कुछ न्याय पंचायतों के सरपंचों का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और चुनाव कब तक हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

बहराइच जनपद की 31 न्याय पंचायतों के सरपंचों का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है । न्याय पंचायतों के गठन की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के लिये 15-5-74 को आदेश भेज दिये गये हैं ।

*13--श्री सुखद राज सिंह--

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समिति बलसर, जिला गोन्डा एवं क्षेत्र समिति गोन्डा के प्रमुखों के सम्बन्ध में निदेशक, निर्वाचन चुनाव परिणाम रोकने सम्बन्धी आदेशों को उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त करने के बावजूद अभी तक प्रमुख पद की शपथ नहीं दिलाई गई है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

गोण्डा जनपद के क्षेत्र समिति बेलसर के प्रमुख को दिनांक 10-4-74 को शपथ दिलायी जा चुकी है । क्षेत्र समिति गोण्डा नाम की कोई क्षेत्र समिति गोण्डा जनपद में नहीं है ।

श्री सुखद राज सिंह--

महोदय मैं जानना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में जहां अभी तक न्याय पंचायतों के सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ, क्यों गठन न होने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, गोण्डा जनपद में, . . .

श्री सुखद राज सिंह--

मान्यवर मैंने बहराइच जनपद की बात पूछी है । (व्यवधान)

श्री बलदेव सिंह आर्य--

10 न्याय पंचायत ऐसी हैं जिनका उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव रोक दिया गया है और शेष 21 न्याय पंचायतों को चुनाव कार्यक्रम भेज दिया गया कार्यक्रम इस प्रकार से है :--

पंचों का मनोनयन

1--परामर्शदात्री समिति की बैठक	.. 22 जून, 1974
2--जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश	.. 25 जून, 1974

3—पंचों द्वारा शपथ ग्रहण .. 6 से 11 जुलाई, 1974

सरपंच एवं सहायक सरपंचों का प्रतिवेदन

1— चुनाव हेतु बैठक के लिये नोटिस .. 26 जून, 1974
2— चुनाव एवं परिणाम घोषणा .. 11 जुलाई, 1974
3—सरपंचों एवं सहायक सरपंचों द्वारा शपथ ग्रहण करना 11 से 15 जुलाई, 74

श्री सुखद राज सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर यह नहीं है। 10 न्याय पंचायतों के गठन न होने का क्या कारण है और क्या उच्च न्यायालय से न्याय पंचायतों के बारे में कोई आदेश जारी किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर मेरे पास जो सूचना है वह इस तरह से है। 9 पंचायतों तो पयागपुर क्षेत्र में आती हैं, उच्च न्यायालय में याचिका पेश है और वहां चुनाव इसलिय रोक दिया गया है। एक और न्याय पंचायत है उस पंचायत के संबंध में भी मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, वह रुका हुआ है। शेष 21 के चुनाव के बारे में मन अभी सदन को बता दिया है।

श्री सुखद राज सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं पूछ रहा हूं कि गठन क्यों नहीं किया गया ? जो सूचना दी गयी है वह पर्याप्त नहीं है, अध्यक्ष जी। सूचना यहां नहीं दी गयी और उसका कारण भी नहीं बताया गया। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी बतायेंगे कि उन 21 पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश अब दिये हैं जो उच्च न्यायालय से नहीं रुके हैं ? जब राज्य में चुनाव हो रहे थे तो 21 पंचायतों के चुनाव उस समय क्यों सम्पन्न नहीं कराये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर समय-समय पर कभी विधान सभा के चुनाव कभी परिषद् के चुनाव होने के कारण इन चुनावों का होना सम्भव न हो सका। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना अधूरी है। प्रश्न सीधा है कि जब अन्य 9 जगहों पर चुनाव हुये तब इन 21 पंचायतों के चुनाव कराने में क्या बात थी ? जब सारे सूबे के अन्दर चुनाव हो रहे थे तो इन पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं कराये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर जैसा मैंने बताया कि इन 21 न्याय पंचायतों के गठन की कार्यवाही जो इस समय हो रही है वह बीचमें रोक दी गई थी। मेरे पास जो सूचना है मैंने उस सूचना के आधार पर बता दिया है कि विधान सभा और विधान परिषद् के चुनावों के कारण वहां चुनाव नहीं हो सका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय यहां व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप इस प्रकार के उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मेरी संतुष्टि की बात नहीं है। जो आप चाहते हैं वैसा उत्तर है कि नहीं। (व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव---

मैं माननीय मंत्री जी से इतना चाहता हूं कि वे उस सूचना से पढ़कर बता दें कि वे चुनाव कहां हो रहे थे जिसके कारण वहां के चुनाव नहीं हो सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर मेरे पास जो उत्तर था वह बता दिया है इसके अतिरिक्त वहां के कुछ विधायकों ने भी यह कहा कि अभी वहां के चुनाव रोक दिये जायं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं। इसको फिर ले लिया जायेगा।

[स्थगित किया गया]।

जलालपुर जिला जौनपुर के शराब के ठेकेदारों द्वारा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*14---श्री ऊदल तथा श्री राम सजीवन (जिला बांदा)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 25 मार्च, 1974 को जलालपुर, जिला जौनपुर के शराब के ठेकेदारों ने थाना जलालपुर की पुलिस के खिलाफ एक प्रार्थना-पत्र जिला आबकारी अधिकारी जौनपुर को पुलिस की धांधली तथा अनियमितताओं के विरुद्ध दिया था ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां। क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

श्री ऊदल---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच की जा रही है उसमें अभी कितना समय लगेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, जांच ऐसी है कि दिनांक 25-3-74 को थाना जलालपुर की पुलिस ने श्री लोटन, पुत्र अहमद मियां साकिन छतारी थाना जलालपुर के त्रिलोचन बड़ागांव, में स्थित लकड़ी की टाल में से एक ड्रम जिसमें 18 बोतलें हरे रंग की अवैध शराब पाई गई। अतः उन पर मुकदमा दायर किया गया है।

छोटे व मार्जिनल किसानों को खेती सम्बन्धी सहायता की योजना

*15---श्री हिम्मत सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में 6 जिलों के छोटे व मार्जिनल किसानों को खेती से सम्बन्धित जरूरतों को विशेष सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन जिले और लिये जा रहे हैं ? इन जिलों को लेने का आधार क्या है ?

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। यह योजना रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बदायूं, बलिया और मथुरा में लागू है। कुछ अतिरिक्त जिलों में भी ऐसी सुविधायें देने का प्रस्ताव है, किन्तु उनके चयन के सम्बन्ध में सभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। भारत सरकार ने इन जिलों के चयन का निम्नांकित आधार रखा है :—

(1) वे जनपद जिनमें छोटे सीमान्त किसानों तथा कृषक मजदूरों की सबसे अधिक संख्या हो।

(2) वे जनपद जिनके आधे से अधिक क्षेत्र में ऐसी ही सुविधा प्रदान करने वाले जैसे ड्राउन्ड एरिया डेवलपमेन्ट, डी0 पी0 ए0 पी0 सदृश अन्य कार्यक्रम चलाये गये हैं, पांचवीं योजना-काल में इस योजना हेतु नहीं लिये जायेंगे।

(3) वे जनपद जिनमें पशुपालन कार्यक्रमों को सुविधानुसार चलाया जा सके।

बीयर बार का लाइसेंस

*16—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार शराब की एक किस्म "बियर" को अब कुछ निर्धारित लाइसेंस फीस लेकर सभी इच्छुक लोगों को खुले आम बेचने की अनुमति देने सम्बन्धी आदेश देने का विचार कर रही है? अगर हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, नियमों के अन्तर्गत निश्चित तथा असेस्ड लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर केवल निर्धारित योग्यता के व्यक्तियों को निर्धारित स्थानों पर बीयर की फुटकर बिक्री हेतु एक नये पत्र एफ0 एल0 का पर "बीयर बार" का लाइसस देने का निश्चय 1 अप्रैल, 1974 से किया गया है।

उक्त लाइसेंस की अनुमति शासन के मद्यनिषेध की वर्तमान नीति के अन्तर्गत इस पृष्ठ-भूमि में दी गयी है योंकि कठोर पय के स्थान पर मृदु पय कम आपत्तिजनक है।

खाद, बीज तथा सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में गोरखपुर के खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में किन-किन विकास खण्डों के बी0 डी0 ओ0 के प्रति खाद, बीज, सीमेन्ट आदि के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें शासन एवं जिला अधिकारी को गत वर्ष प्राप्त हुई है, और अब तक इन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

खाद, बीज, सीमेन्ट वितरण के सम्बन्ध में गोरखपुर जनपद के निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं:—

1—श्री राम लखन राम ख0 वि0 अ0 गगहा
2—श्री राम अधार सिंह ,, बांसगांव
3—श्री जगन्नाथ प्रसाद ,, पिपराइच
4—श्री रामू प्रसाद ,, महराजगंज
5—श्री रूपेन्द्र बहादुर ,, खोराबार

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

6—श्री राम प्रसाद पाण्डे ख० वि० अ० बेलघाट
7—श्री राम प्रसाद मौर्य ,, कम्पीयगंज
8—श्री सुरेश सिंह ,, ब्रह्मपुर
9—श्री सुदामा पाण्डे ,, पाली
10—श्री श्याम सुन्दर ओझा ,, कौड़ीराम

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 508 पर ।)

स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभागों के मण्डल एवं उनकी शाखाओं का स्थायीकरण

*18—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या स्वायत्तशासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश अभियन्त्रण विभागों के लिये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जितने मण्डल और उनकी शाखायें तीन साल से अधिक समय से अस्थायी हैं उनके 90 प्रतिशत को स्थायी कर दिया जायगा? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का स्थायीकरण करते समय जो मण्डल तथा उनकी शाखायें उत्तराखंड में कार्य कर रही हैं? उनको भी स्थायी करने में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

कुमायूं वाटर रूल्स सम्बन्धी विधेयक का प्रारूप

*19—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं वाटर रूल्स के कारण कुछ गांवों की पेयजल की योजनायें जिला पौड़ी व चमोली गढ़वाल में रुकी पड़ी है? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुमायूं वाटर रूल्स में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, कुमायूं वाटर रूल्स का संशोधन सम्भव नहीं है । इन नियमों को निरस्त करना विधि द्वारा ही सम्भव होगा । विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

रसायनिक खाद्य की ट्रकों का वाराणसी के निकट पकड़ा जाना

*20—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 14 अप्रैल, 1974 को बाराणसी के निकट हजारों बोरे रासायनिक खाद का नाजायज स्टाक पकड़ा गया है ? यदि हां, तो स्टाक रखने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, दिनांक 11-12 अप्रैल, 1974 को रात्रि में बनारस के निकट दो ट्रक जिनमें 440 बोरी यूरिया खाद लदी थी, पकड़ी गयी । ट्रक के साथ सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, केवल एक को छोड़कर जो भागने में सफल हो गया, गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

त्वरित योजनान्तर्गत फर्रुखाबाद के विकास खण्ड सौरिख हसेरन तथा उमरदा में सड़क निर्माण-कार्य

*21—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रैश प्रोग्राम के अधीन फर्रुखाबाद जिले के विकास खंड सौरिख हसेरन तथा उमरदा में इस समय कौन-कौन सड़कों पर निर्माण कार्य जारी है तथा वह कब तक पूरा हो जायगा ? वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में उन पर कितना धन व्यय हुआ तथा कितना स्वीकृत हुआ था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले में विकास खंड हसेरन तथा उमरदा में कंकड़ की एक सड़क क्रमशः हसेरन–राजपुर तथा तिरवा-खैरनगर ली गई थी । विकास खंड सोरिख में क्रैश प्रोग्राम में कोई सड़क अलग से नहीं ली गयी थी क्योंकि यह विकास खंड के 2 अगस्त, 1972 के पूर्व हसेरन विकास खण्ड का ही भाग थी ।

हसेरन-राजपुर सड़क कंकड़ द्वारा निर्मित हो चुकी है । तिरवा-खैरनगर मार्ग के आस-पास अच्छा कंकड़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण ईंट की सीलिंग द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा चुका है । इन सड़कों पर वर्षवार कोई धन स्वीकृत नहीं था बल्कि कि इनके लिये आगणन के अनुसार धन स्वीकृत था । इस धन तथा वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में हुए व्यय तथा परियोजनाओं पर कुल व्यय का विवरण इस प्रकार है :—

नाम मार्ग	आगणन की धनराशि	व्यय 1972-73 तथा 1973–74	परियोजना पर आरम्भ से अन्त तक कुल व्यय
	रु0	रु0	रु0
1—हसेरन-राजपुर	1,74,350	1,34,208 तथा 18,000	1,68,000
2—तिर्वा-खैरनगर	3,78,983	55,555 तथा 2,32,835	3,53,863

पशुपालन (फार्म्स) की बेस वर्कशाप में विभागीय गाड़ियों ट्रैक्टरों व मशीनों की मरम्मत

*22—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) की बेस वर्कशाप लाभ पर चल रही है या घाटे पर? क्या यह सच है कि एच0 डी0 सात 49730/1495 (नीलगांव) बी0 टी0 डी0 62114 (अन्देशनगर) तथा हिन्दुस्तान 50 (हस्तिनापुर) पर मरम्मत में दस-दस हजार रुपये से अधिक धनराशि सहायक कृषि अभियन्ता और उप निदेशक द्वारा व्यय की गई, लेकिन उपरोक्त ट्रैक्टर, क्रमशः सिर्फ 200, 300 और 72 घंटे चल कर टूट गये? यदि हां, तो इसे सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्रश्नगत वर्कशाप वाणिज्यिक नहीं है। इसमें विभागीय गाड़ियों, ट्रैक्टरों तथा मशीनों की मरम्मत वास्तविक व्यय पर की जाती है।

ट्रैक्टरों के प्रयोग में उनके कुछ यन्त्र टूट गये थे। इनको साधारण मरम्मत की आवश्यकता थी जो कर दी गई। अब तीनों ट्रैक्टर सन्तोषजनक रूप से चल रहे हैं।

किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जौनपुर के मछली शहर टाउन एरिया के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत

*23--श्री कल्याण सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला जौनपुर के मछलीशहर टाउन एरिया के सर्व श्री सीताराम मौर्य, मदन लाल तथा भगवती प्रसाद द्वारा मछली शहर टाउन-एरिया के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं क सम्बन्ध में कुछ शिकायती-पत्र दिनांक 2 जनवरी, 1973 से 18 जुलाई, 1973 के बीच जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। इन शिकायती-पत्रों में चेयरमन द्वारा टाउन एरिया के धन का दुरुपयोग करने, अवैधानिक नियुक्तियां करने, वैधानिक ढंग से मीटिंग न बुलाने, पक्षपात पूर्ण टक्स लगाने अनधिकृत निर्माण म धन व्यय करने मु0 6,400 रुपये का गबन करने, तहबाजारी के रुपये की गलत ढंग से वसूली करने एवं बैंक में अवैध रीति से खाता खोलने के आरोप उद्धत किये गये हैं।

उल्लिखित शिकायतों की जांच परगनाधिकारी मछलीशहर कर रहे हैं। इस सिलसिले में संबंधित व्यक्तियों के बयानात लिये जा चुके हैं। केवल शिकायत कर्ता मदनलाल की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करना शेष है। सूचना भेजने के बावजूद अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके है।

विद्युत् एवं यांत्रिक अभियन्ताओं में व्याप्त बेरोजगारी तथा उनकी प्रोन्नति हेतु गठित समिति की रपोर्ट

*24--श्री राम सेवक यादव, श्री मंजूर अहमद, (जिला मेरठ), श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया), श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (जिला देवरिया), श्री अनिरुद्ध राय (जिला देवरिया) तथा श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या शासन द्वारा स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सिविल और (विद्युत एवं यांत्रिकी अभियन्ताओं) के काय को सीमा या क्षत्र निश्चित करने हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने शासन को अपना प्रतिवेदन दे दिया है? यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य एव महत्वपूर्ण बात क्या-क्या हैं और क्या शासन समिति के प्रतिवदनों को लागू करन जा रहा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जो समिति विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं में व्याप्त बेरोजगारी तथा उनकी प्रोन्नति की समस्याओं पर विचार करने के लिय गठित की गई थी उसनें अपनी रिपोर्ट दे दी है। स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों का विवरण संलग्न है।

स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से सम्बन्धित जो सिफारिशें शासन द्वारा मान ली गई हैं, उन्हें लागू किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 509 पर)

दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज तहसील (मिर्जापुर) के ग्राम हेतु पेयजल योजना

*25—श्री शिव सम्पत्ति (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां पेयजल के लिये कुएं नहीं हैं तथा उन ग्रामों में कुएं बनवाने की दृष्टि से सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मेरठ नगरपालिका का चुनाव

*26—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका जो गत कई वर्ष से भंग है, का चुनाव कब तक कराने जा रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका मेरठ में चुनाव कराये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

बन्दोबस्त विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी श्री नारायण दत्त कुकरेती की क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत नियुक्ति

*27—श्री अंगने लाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाल ही में जिला परिषद् सीतापुर के क्रैश प्रोग्राम में एक ऐसे क्लर्क को नियुक्त किया गया है जिसकी सेवायें अल्मोड़ा चकबन्दी से बरख्वास्त कर दी गई थीं और जिसकी आयु 50 वर्ष है और उसकी नियुक्ति जिला सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी नहीं की गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। यह अवश्य है कि नियुक्ति जिला सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से नहीं की गई। श्री नारायण दत्त कुकरेती जिनकी नियुक्ति क्लर्क के पद पर की गई, वह पहले इस जनपद में सड़कों पर कार्य-रत श्रमिकों की देख-भाल के लिए वर्क एजेन्ट के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये थे। इनकी जन्म तिथि 2-5-31 है और ये बन्दोबस्त विभाग के छटनीशुदा कर्मचारी थे। इसलिए जिलाधिकारी ने इनकी नियुक्ति अपने अधिकारों के अन्तर्गत 1-2-73 को की। इसके लिए सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाने की आवश्यकता नहीं समझी। श्री कुकरेती की सेवायें 31 मई, 1974 से 'क्रश प्रोग्राम' के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई है।

क्षेत्रीय सहकारी समिति बायपोखर, जिला बस्ती के संचालक मण्डल का चुनाव

*28—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) तथा श्री भीषम् (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति लि० बायपोखर, ओड़वारा, जिला बस्ती के संचालक मण्डल का चुनाव विगत 6 वर्षों से नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो चुनाव न कराये जाने का क्या कारण है और क्या सरकार संचालक मण्डल को अविलम्ब भंग करके नया चुनाव कराने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्षेत्रीय सहकारी समिति बायपोखर के संचालक मण्डल का अंतिम चुनाव दिनांक 11 मई, 1969 को सम्पन्न हुआ था। समिति के संचालक मंडल ने अपने प्रस्ताव-2, दिनांक 4 जून, 1974 द्वारा वार्षिक अधिवेशन तथा चुनाव कराने की तिथि 29 जून, 74 निश्चित की है। यदि सम्बन्धित समिति निर्धारित तिथि को चुनाव सम्पन्न न करा पाई तो सहकारी अधिनियम, 1965 धारा 29 (4 व 5) के अन्तर्गत संचालक मण्डल को नामांकित कर दिया जायेगा। सहकारी अधिनियम व नियम में चुनाव न कराने के कारण संचालक मण्डल को भंग करने का कोई प्राविधान नहीं है।

क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति लि० वायपोखर (बस्ती) में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

*29—श्री दयाराम भास्कर तथा श्री भीष्म—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति लि० वायपोखर, ओड़वारा, जिला बस्ती का निरीक्षण गोरखपुर क्षेत्र के किसी वरिष्ठ कोआपरेटिव अधिकारी ने माह जनवरी, 1974 में किया था? यदि हां, तो उसने अपने निरीक्षण में किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख किया है तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सस्ते कपड़े के वितरण में बरती गयी अनियमितताओं का तथा मनमानी कार्यवाही करने का उल्लेख किया है। जांचोपरान्त सचिव पर आरोप लगाये गये और उन्हें निलम्बित कर दिया गया तथा मामला अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पुलिस को सौंप दिया गया है।

*30—श्री दयाराम भास्कर तथा भीष्म—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

नगरपालिकाओं तथा नगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के पेंशन तथा फेमिली पेंशन सम्बन्धी विनियमन

*31—श्री भोलादत्त सकलानी (जिला देहरादून)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, जिनमें उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवाओं के कर्मचारी, अधिकरी भी सम्मिलित हैं, को पेन्शन तथा फेमिली पेन्शन स्वीकृत करने की योजना वर्ष से विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से परामर्श कर औपचारिकतायें भी पूर्ण हो चुकी हैं और यदि हां, तो निर्णय लेने में क्या विलम्ब है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिकाओं तथा नगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन तथा फेमिली पेंशन संबंधी विनियम या आलेख्य स्थानीय निधिलेखा परीक्षक के परामर्श से तैयार किया जा चुका है। विनियम बनाने से संबंधित सारी औपचारिकतायें पूरी हो जाने पर इसे अन्तिम रूप दे दिया जावेगा।

*32—श्री तीरथ राम कोहली—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*33—श्री तीरथ राम कोहली—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला परिषद् गाजीपुर के लिए रोड रोलर की खरीद

*34—श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् गाजीपुर द्वारा लगभग तीन वर्ष पहले ही अस्सी हजार (80,000) से अधिक रुपये का रोड रोलर खरीद कर उसके गाजीपुर पहुंचने तथा प्राप्ति का भी भुगतान कर दिया गया जबकि वह रोड रोलर अभी तक जिला परिषद् गाजीपुर को नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस मामले में रोड रोलर के बेचने वाले के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने का आदेश दे दिया गया। अतः इस संबंध में और सूचना देना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता।

विशुनपुरा ब्लाक, (देवरिया) द्वारा अवैध रूप से गेहू के बीज का बेचा जाना

*35—श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया) तथा श्री कृपा शंकर (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पड़रौना तहसील, जिला देवरिया के विशुनपुरा ब्लाक के सीड स्टोर इन्चार्ज श्री कन्हैया प्रसाद पाण्डेय ने सीड स्टोर से 24 क्विन्टल गेहूँ के बीज को नवम्बर–दिसम्बर, 1973 में अनधिकृत व अवैध रूप से चोरी करके बेच दिया था जिसे युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा व सीड स्टोर इन्चार्ज गिरफ्तार भी हुआ था ? आज तक निलम्बित क्यों नहीं किये गये क्या सीड स्टोर इन्चार्ज के विरुद्ध कोई जांच हो रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पड़रौना तहसील, जिला देवरिया के विशुनपुरा ब्लाक के सीड स्टोर इंचार्ज श्री कन्हैया प्रसाद पाण्डेय को सीड स्टोर से 24 कुन्टल गेहूं के बीज को 1 दिसम्बर, 1973 को अनधिकृत व अवैध रूप से चोरी करके बेचने के दोषारोपण में युवक मंगलदल ने गिरफतार कराया था। इस संबंध में विभागीय जांच कराई गई। श्री पाण्डेय पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अतः उन्हें निलम्बित नहीं किया गया।

*36—श्री प्रेमदत्त तिवारी तथा श्री प्रताप नारायण—

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गाजीपुर के संचालक मण्डल के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*37—श्री राम जनम राय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक लि० गाजीपुर के संचालक मन्डल जो गम्भीर अनियमितताओं के कारण भंगकर दिया है और इन गम्भीर अनिमितताओं से सम्बन्धित कुछ मामलों की जांच पुलिस कर रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनता कोल्ड स्टोरेज बिसवां (सीतापुर) पर ऋण का बकाया

*38—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिसवां जिला सीतापुर स्थित "जनता कोल्ड स्टोरेज' को सरकार द्वारा कितना ऋण किस-किस साल दिया गया और उस पर कितना ऋण अब तक बकाया है? उक्त ऋण की वसूलयाबी के लिये क्या कार्यवाही अब तक की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जनता कोल्ड स्टोरेज, बिसवां, जिला सीतापुर को वर्ष 1968 में तथा 1969 में रु01.50 लाख का ऋण दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष 1968 में	..	रु० 1,36,000
वर्ष 1969 में	..	रु० 14,000
योग	..	रु0 1,50,000

अब तक रु० 91,500 शीतगृह पर बकाया है इसमें से रु0 31,500 की धनराशि अतिदेय है जिसके लिये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

कृषि उत्पादन मण्डी के लिए सतर्कता समितियों का गठन

*39—श्री शिव सम्पत्ति—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मन्डी स्तर पर प्रत्येक मन्डी के लिये सतर्कता समितियों के गठन करने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो समिति को क्या अधिकार होंगे तथा समिति का गठन किस आधार पर किया जायगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास अधिकारी मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा फर्जी यात्रा भत्ते का बिल बनाना तथा सीमेंट की चोरबाजारी

*40—श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड अधिकारी, मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा फरवरी तथा मार्च, 1974 के यात्रा व्यय के भत्ते हेतु फर्जी बिल बनाया गया तथा इस काल में ब्लाक के माध्यम से वितरित करने हेतु सीमेन्ट को ब्लैक मार्केट में ऊंचे दाम पर बेंच दिया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

खेसरहा ब्लाक बस्ती में खरीफ व रबी की फसल के लिए उर्वरक खाद का वितरण

1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के खेसरहा ब्लाक की गत खरीफ व रबी की फसल की बोआई के पूर्व व बाद को किसको-किसको कितनी-कितनी खाद दी गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गत खरीफ तथा गत रबी की फसल के लिये खेसरहा ब्लाक जिला बस्ती में क्रमशः लगभग 62 मै0 टन और 324 मै0 टन उर्वरक वितरित किया गया ।

खाद वितरण की मात्रा और कृषकों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

कृषि विभाग में स० भू० स० निरीक्षक के पद पर आए ग्रामसेवकों की पदोन्नति

2—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक कृषि उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र सं0 एस0 सी0 आई0 411—थर्ड—2092—688, दिनांक 20 जुलाई, 1973 के द्वारा जिला इटावा के कितने और किन-किन ग्राम सेवकों की सेवायें कृषि विभाग को स0 भू0 सं0 निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरित कर दी गई थीं ?

क्या कृषि मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त आदेश के द्वारा कृषि विभाग में आये हुए ग्राम सेवकों जो कि स0 भू0 सं0 निरीक्षक के पद पर आये थे, में से कितनों और किन-किन की पदोन्नति हो गई है तथा कितनों के मामले अभी विचाराधीन हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रधान गांव सभा गुलरिहा (बस्ती) द्वारा सीमेंट के दुरुपयोग की जांच

4—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती ब्लाक बांसी, ग्राम गुलरिहा राजा में प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण के लिये इस ब्लाक द्वारा दिये गये सीमेन्ट के दुरुपयोग तथा उस निमित्त दिये गये रुपये के गबन के आरोप में वहां के ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध कोई मुकदमा गत वर्ष 1973 में परगना हाकिम के यहां चल रहा था? यदि हां, तो वह आरोप क्या थे और उसके सम्बन्ध में विभागीय रिपोर्ट तथा परिणाम क्या हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रधान गांव सभा गुलरिहा के विरुद्ध कुछ बोरी सीमेन्ट तथा ईटों के दुरुपयोग करने के आरोप पर परगनाधिकारी बांसी द्वारा विभागीय कार्यवाही की गई । इस कार्यवाही में परगनाधिकारी ने कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया । अतएव यह कार्यवाही जुलाई, 1973 में समाप्त कर दी गई ।

बस्ती जिले के मिठवल ब्लाक को खाद तथा छोटे किसानों के लिए गेहूं के बीज का वितरण

5—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत खरीफ तथा गत रबी की फसल के लिये बोवाई के पूर्व तथा बाद में किस-किस को कितनी-कितनी खाद ब्लाक मिठवल, जिला-बस्ती द्वारा वितरित हुई और कब-कब ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गत खरीफ तथा गत रबी की फसल के लिये मिठवल ब्लाक जिला-बस्ती में क्रमशः लगभग 218 मै0 टन और 618 मै0 ट0 उर्वरक वितरित किया गया ।

तिथिवार वितरण और कृषकों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

6—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत रबी के फसल के लिये गरीब छोटे किसानों को वितरित करने के लिये ब्लाक मिठवल जिला बस्ती को कितना गेहूं का बीज प्राप्त हुआ और कितना वितरित हुआ और किसको-किसको तथा कब?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नगरपालिका, उत्तरकाशी को ऋण तथा अनुदान

7—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका उत्तरकाशी को सन् 1971-72, 1973-74 में कितना अनुदान तथा ऋण स्वास्थ, शिक्षा, सड़कों तथा दूसरी मदों में दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद नगरपालिका का चुनाव

8—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद नगरपालिका जो कि गत 18 वर्ष से सुपरसीड है, उसका चुनाव सरकार कब तक करायेगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

9—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

शाहजहांपुर जिले में विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्रामों में मुफ्त बीज का वितरण

10—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आधे एकड़ व एक एकड़ के कृषकों को जो मुफ्त रबी का बीज चालू रबी सीजन में बांटा गया वह शाहजहांपुर जिले के विकास क्षेत्र

जैतीपुर के ग्राम सभा कंकलिया, धर्मपुर, बरी प्रसिद्धपुर व बंडियाखुर्द, बंडिया कलां व सुरजूपुर की ग्राम सभाओं में कितना-कितना और किन तारीखों में बांटा गया और ऊपर की प्रत्येक ग्राम सभाओं में कितना नियमानुसार बटना था? यदि बांटने में देर हुई तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्या दण्ड दिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आधे एकड़ व एक एकड़ तक के कृषकों को जो मुफ्त रबी का बीज गत रबी में बांटा गया था उसमें से शाहजहांपुर जिले के विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्राम सभा कंकलिया, धर्मपुर, बरी, प्रसिद्धपुर व बंडिया खुर्द व बंडिया कलां व सुरजूपुर में कितना-कितना और किन-किन तारीखों में बंटा और इन ग्राम सभाओं में नियमानुसार कितना बंटना था उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

चूंकि बीज की अन्तिम वितरण तिथि 15-1-74 थी और यह बीज 30-12-73 तक ही बंट गया था, अतः बीज के देर से बंटने और इस कारण किसी कर्मचारी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 510-511 पर)

11--श्री मोहम्मद रफी खां--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

युवक निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार

12--श्री प्यारे लाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्तीय विकास दल (प्रान्तीय रक्षक दल) विभाग जो कि गत 25 वर्षों से ग्राम विकास युवक संगठन एवं खेलकूद संगठन का कार्य निरन्तर करता चला आ रहा है, तो क्या उस अनुशासित विभाग को प्रस्तावित युवक निदेशालय और खेलकूद निदेशालय में पूर्णरूप से संलग्न किया जा रहा है तथा क्या उसके मुख्यालय एवं स्टाफ को भी नियमित किये जाने का विचार है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

युवक निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव पर अभी विचार ही हो रहा है । इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि प्रान्तीय विकास दल को प्रस्तावित युवक निदेशालय तथा खेलकूद निदेशालय में संलग्न किया जायगा अथवा नहीं ।

डिवाई (बुलन्दशहर) के काश्तकारों की मण्डी समिति का स्थान परिवर्तन

13--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 27 मार्च, 1974 को डिवाई के काश्तकारान की मन्डी समिति के स्थान बदलने का प्रश्नकर्त्ता द्वारा संस्तुति किया हुआ पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

(क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर/राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ० प्र० की आख्या प्राप्त कर ली गयी है तथा उस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

ग्राम पिपरहिया (बस्ती) में कच्ची सड़क के किनारे लगे शीशम के पेड़

14—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बस्ती जिले के तहसील बांसी, ब्लाक बांसी के ग्राम पिपरहिया में कच्ची सड़क या बांध पर लगे बहुत से शीशम इत्यादि के पेड़ हैं, जो पिपरहिया ग्राम सभा के हैं, परन्तु गांव सम्पत्ति रजिस्टर में नहीं दर्ज हैं ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? क्या उसे ठीक कराया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1957 में एक मुकदमें में तहसीलदार के आदेशानुसार ग्राम पिपरहिया में कच्ची सड़क के दोनों ओर के शीशम इत्यादि के पेड़ों को श्री अब्दुल गफ्फार नामक व्यक्ति की सम्पत्ति मानी गई है । अतः उन्हें गांव सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सालय तथा उनमें पशु चिकित्सक

15—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री शिव सम्पत्ति—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 1974 को कुल कितने पशु चिकित्सालय थे तथा उनमें से कितने हैं, जहां डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

1 अप्रैल, 1974 को प्रदेश में 1108 पशु चिकित्सालय थे तथा उनमें से 22 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे ।

साधन सहकारी समिति कुकुरघांटी (देवरिया) में गबन

16—श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक भाटपाररानी जिला देवरिया के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति कुकुरघांटी में गबन के सम्बन्ध में कोई मुकदमा थाना खामपार जिला देवरिया में वर्ष 1973 में लिखाया गया है ? यदि हां, तो अभियुक्तों के खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

कुकुरघांटी साधन सहकारी समिति विकास खण्ड भाटपाररानी जिला देवरिया के सभापति श्री श्रवण लाल और सचिव श्री तारामणि तिवारी के विरुद्ध धारा 409 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मु0 15, 798-10 पैसे के गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21 अक्तूबर, 1973 को दर्ज करायी गई थी । उक्त प्रथम सूचना की प्रतिलिपि विशेष अनुसंधान शाखा सहकारी समितियां, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को विवेचनार्थ भेजी जा चुकी है ।

अलीगढ़ जिले की नगरपालिकाओं तथा टाउन एरियाओं का चुनाव

17—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़ की कौन-कौन-सी नगरपालिकायें तथा टाउन एरिया कब-कब से "सुपरसीड" हैं और उनके सुपरशेसन के क्या कारण हैं तथा उनके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जिला अलीगढ़ की कोई टाउन एरिया सम्प्रति अतिक्रमित नहीं है। इस जिले की नगर-पालिका, अलीगढ़ तथा सिकन्दराराव क्रमशः दिनांक 14 दिसम्बर, 1962 तथा 15 मई, 1969 से अतिक्रमित है। इन नगरपालिकाओं के बोर्ड की वित्तीय अनियमिततायें और अपने आरोप कर्त्तव्यों के पालन करने में जानबूझ कर व्यतिक्रम (Default) करने के आरोप सिद्ध हो जाने पर अतिक्रमित किया गया था। इन नगरपालिकाओं में निर्वाचन कराये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

खण्ड विकास अधिकारी, चौबेपुर (कानपुर) के विरुद्ध आरोप

18--श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उन्हें जो प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 2 अप्रल, 1974 तथा 11 अप्रैल, 1974 के साथ खंड विकास अधिकारी चौबेपुर जिला कानपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा जांच के क्या परिणाम रहे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

संदर्भित शिकायती-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

19--श्री गोपालदत्त ओझा--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर जिले के विकास खण्डों के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों में कूप-निर्माण

20--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

विधान सभा के दिनांक 24 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 7, नत्थी (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर जिले के 20 विकास खंडों के 157 गांवों की हरिजन बस्तियों में कुओं का निर्माण 31 मार्च, 1973 तक पूर्ण हो गया है, तो विकास खण्डवार अलग-अलग इन गांवों के नाम क्या हैं और अलग-अलग कुओं पर कितनी लागत आयी है तथा कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितनी शेष है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

20 विकास खंडों में 157 के बजाय 159 कुयें 31 मार्च, 1973 तक बन गये थे। †सूची संलग्न है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

इस समय नहीं क्योंकि आपने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ठीक 12 बजे बजट रख दिया जायेगा।

---

†छापी नहीं गई।

1974–75 का आय-व्ययक

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 1974–75 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस वर्ष के बजट के विषय में अखबारों में मैंने पढ़ा है कि 116 करोड़ रुपये का घाटा है, मैं समझता हूं कि इसका क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह बजट चौथी पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति और पांचवीं आयोजना के शुभारम्भ को व्यक्त करता है।

विश्वव्यापी अर्थ व उत्पादन संकट के मध्यान्ह काल में प्रस्तुत चौथी योजना के साहसपूर्ण प्रयासों को पांचवीं योजना के चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों से जोड़ने वाला यह बजट, उत्तर प्रदेश की जनता, जन प्रतिनिधियों एवं शासन के इस संकल्प को परिलक्षित करता है कि हम संपूर्ण राष्ट्र के साथ-साथ आज की कठिनाइयों को भविष्य की आत्म-निर्भरतापूर्ण उपलब्धियों में परिणत करके रहेंगे।

चौथी आयोजना की उपलब्धियां

इसके पहले कि मैं पांचवीं आयोजना व उसके प्रथम वर्ष के इस बजट के विस्तार में जाऊं, मैं चौथी आयोजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए लक्ष्यों का संक्षेप में उल्लेख करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

तीसरी आयोजनावधि के 678.90 लाख टन उत्पादन के मुकाबले में चौथी आयोजनावधि में खाद्य उत्पादन बढ़कर 884.86 लाख टन हो गया। इस प्रकार वार्षिक औसत उत्पादन 135.78 लाख टन से बढ़कर 176.97 लाख टन हो सका। इस बीच कुल कृषि क्षेत्र 224 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 232 लाख हेक्टेयर एवं बहुफसली क्षेत्रफल 28 प्रतिशत से बढ़ कर 34 प्रतिशत हो गया।

चौथी आयोजना के आरम्भ तक 6.82 लाख हेक्टेयर भूमि भू-संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लायी गयी थी। केवल चौथी आयोजना काल में ही इस कार्यक्रम में 11.39 लाख हेक्टयर भूमि की अतिरिक्त वृद्धि हुई।

वर्ष 1968–69 में सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 55.61 लाख थी जो वर्ष 1973–74 में बढ़कर लगभग 80 लाख हो गई। इसी अवधि में अल्पकालिक तथा मध्य कालिक ऋण की धनराशि 52.57 करोड़ रुपये से बढ़कर 94 करोड़ रुपए हो गई। इस वृद्धि में 1972 में लागू की गयी सहकारी संस्थाओं के ऋण वितरण सम्बन्धी मास्टर प्लान का प्रमुख योगदान रहा।

इन पांच वर्षों में 29.40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता सृजित हुई। लघु सिंचाई के क्षेत्र में 1.37 लाख पक्के कुओं का निर्माण किया गया; 77,770 रहट तथा 1.68 लाख पंपिंग सेट लगाये गये और 3.30 लाख निजी नलकूपों का निर्माण किया गया। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ में प्रदेश की विद्युत की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1310 मेगावाट थी। इसमें 370 मेगावाट की और वृद्धि की गई। 15,000 ग्रामों के

लक्ष्य की तुलना में 29,126 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। दो लाख निजी नलकूपों/पंपिंग सेटों को बिजली देने का लक्ष्य था जबकि वस्तुतः 2.10 लाख नलकूपों को बिजली दी गई। 3,234 ग्रामों में नलों द्वारा जल सम्पूर्ति की गयी तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 36 नगरों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी।

शासन ने राज्य की कई औद्योगिक इकाइयों के विभागीय प्रबन्ध को समाप्त करके नये निगमों की स्थापना की ताकि वे वाणिज्यिक दृष्टि से काम कर सकें और संस्थागत वित्त से आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके। इस प्रकार अनेक निगम गठित हुए हैं जैसे कि चीनी निगम, वस्त्र निगम, सीमेंट निगम, हथ-करघा निगम, पिकअप, पुल निगम, राज्य परिवहन निगम। विशाल डल्ला सीमेंट प्रायोजना में भी कार्य प्रारम्भ हुआ तथा दो केंद्रीय प्रायोजनाओं—कानपुर स्थित माडर्न बेकरी प्लांट तथा इलाहाबाद स्थित त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स में भी उत्पादन आरम्भ हो गया। इस अवधि में भारत पम्प्स ऐंड कम्प्रेसर्स, नैनी; इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, नैनी व रायबरेली, एच० ए० एल० लखनऊ; एलाय स्टील ऐंड इंडिया फील्ड गन प्रोजेक्ट, कानपुर; फाउन्ड्री फोर्ज फक्टरी, हरिद्वार; आर्टिफिशियल लिम्ब्स फैक्टरी, कानपुर; भारत इलेक्ट्रानिक्स, गाजियाबाद इत्यादि केंद्रीय प्रायोजनायें भी प्रारम्भ की गयी थीं।

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो नये मेडिकल कालेज एवं 400 से अधिक ग्रामीण एलोपैथिक औषधालय खोले गये। वर्ष 1968–69 में 32,742 रोगी शय्याएं थीं जो 1973–74 में बढ़कर 44,757 हो गई।

वर्ष 1968–69 के अन्त में 29,213 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। चौथी आयोजना के अन्त में पक्की सड़कों की लम्बाई बढ़ कर 36,800 किलोमीटर हो गयी। गंगा के ऊपर कई प्रमुख पुलों का निर्माण कार्य भी इसी अवधि में पूरा किया गया।

राज्य की आय

1960–61 के मूल्यों के आधार पर उक्त वर्ष में राज्य का शुद्ध आन्तरिक उत्पादन (कुल आय) 1,799 करोड़ रुपए का था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1960–61 के मूल्यों पर वर्ष 1972–73 के दौरान राज्य की कुल आय 2,451 करोड़ रुपये आती है। इस प्रकार 1972–73 में समाप्त होने वाले 12 वर्षों के दौरान राज्य की अर्थ व्यवस्था में औसत वृद्धि की दर 2.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1960–61 के मूल्यों के आधार पर 1973–74 में राज्य की कुल आय 2,524 करोड़ रुपये के मूल्य की होगी। वर्ष 1968–69 में 1960–61 के स्थिर मूल्यों के आधार पर राज्य की कुल आय 2,167 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार चौथी आयोजना काल में वार्षिक वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान है जो पिछली पंचवर्षीय आयोजनाओं के मुकाबले में अधिक है।

वर्ष 1960–61 के दौरान उक्त वर्ष के मूल्यों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये थी। वर्ष 1972–73 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान पहले 266 रुपये लगाया गया था किन्तु पुनरीक्षित अनुमान 270 रुपये है। जन-संख्या में हुई वृद्धि तथा वर्ष 1973–74 में राज्य की उपर्युक्त कुल आय के मोटे अनुमान का ध्यान रखते हुए, वर्ष 1960–61 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1973–74 के लिये प्रति व्यक्ति की औसत आय 273 रुपये आकलित की जा सकती है, बावजूद इसके कि जनसंख्या में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी आयोजना के अंतिम वर्ष में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में चौथी आयोजना के अंतिम वर्ष में प्रति व्यक्ति की आय में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

यह आशा है कि वर्ष 1973–74 में राज्य की कुल आय में कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र का अंश लगभग 1,339 करोड़ रुपए अर्थात् पिछले वर्ष की 1,309 करोड़ रुपए की आय की

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अपेक्षा 2.3 प्रतिशत अधिक हो जायगा । वर्ष 1973–74 के दौरान राज्य की कुल आय में उद्योग तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के अंशदान का अनुमान पिछले वर्ष के 294 करोड़ रुपये के अनुमान की अपेक्षा 306 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसके अनुसार 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चौथी आयोजना के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि की दर 5.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी ।

राज्य के विभिद्ध क्षेत्रों में हुई आय से राज्य के आर्थिक स्वरूप का पता चलता है। वर्ष 1968–69 के दौरान राज्य की कुल आय में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से आय का अंश 57.5 प्रतिशत था जो वर्ष 1973–74 में घटकर 54.7 प्रतिशत रह गया । दूसरी ओर वर्ष 1973–74 में राज्य की कुल आय में निर्माण को सम्मिलित करके खनिकर्म और विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्रों से आय का अंश 12.1 प्रतिशत था जब कि वर्ष 1968–69 में उसका अंश केवल 10.7 प्रतिशत था । इसी प्रकार अर्थ व्यवस्था के शेष क्षेत्रों अर्थात् वाणिज्य, परिवहन, संचार तथा अन्य सेवाओं से होने वाली आय का अंश जो वर्ष 1968–69 में 31.8 प्रतिशत था वह वर्ष 1973–74 में बढ़कर 33.2 प्रतिशत हो गया । कृषि और पशुपालन के प्राथमिक क्षेत्रों से होने वाली आय में तथा द्वितीय और तृतीय क्षेणी के क्षेत्रों से होने वाली आय में वृद्धि इस बात का सूचक है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था का कृषि पर पूर्ण-रूपेण आधारित ढांचा क्रमिक रूप से शनैः शनैः बदल रहा है। पांचवीं आयोजना में 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि प्रस्तावित है ।

इस समय भारत ऐसे युग से गुजर रहा है जिसमें देश की रक्षा और आर्थिक-सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के लिये अत्यधिक खर्च करना पड़ रहा है और इसके फलस्वरूप एवं अन्य अप्रत्याशित कारणों से भी मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। अतः यह स्वीकार करना होगा कि देश के अन्य भागों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी मूल्यों में वृद्धि होने के कारण एक कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है । चूंकि विद्युत् शक्ति, कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पाद्य वस्तुओं की सम्पूर्ति में कमी है, इस कारण उत्पादन तथा वितरण प्रणाली में बहुत खिचाव है। मुद्रास्फीति एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में छायी हुई है। हम लोग कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण प्रभावी हैं और वे किसी एक देश की संपूर्ण नियंत्रण शक्ति के बाहर है। सूखा और बाढ़ ने पिछले चार सालों से हमारी स्थिति को और भी नाजुक कर दिया है। बीच में केवल 1970–71 में अच्छा उत्पादन हुआ था । अन्यथा हर साल इन प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश को और भी कठिनाइयों में डाल दिया था । इस पृष्ठभूमि में प्रदेश की पांचवीं योजना को सफलता-पूर्वक कार्यान्वित करने की अनिवार्यता हम सबके लिये एक प्रेरणादायक संकल्प बन कर उभरती है।

वित्त आयोग

पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के लिये अपने संसाधनों की चर्चा करते समय छठे वित्त आयोग की सिफारिशों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । हमने प्रदेश की ओर से इस वित्त आयोग के सामने विस्तार से अपनी आवश्यकताओं को रखा था । वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 1973 में प्रस्तुत की थी और उनकी सिफारिशें वर्ष के अन्त में भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गईं। आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों और शुल्कों में हमारे अंश की धनराशि पांच वर्षों में लगभग 1150 करोड़ रुपये होगी जबकि चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 324 करोड़ रुपये तथा पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 620 करोड़ रुपये थी । आयकर के विभाज्य पूल को वित्त आयोग ने 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कर दिया है तथा यूनियन बेसिक उत्पादन शुल्क का प्रतिशत 20 ही रखा है। बेसिक उत्पादन शुल्क के कुल विभाज्य पूल का हमें 17.03 प्रतिशत मिला है। टेक्स-टाइल्स, चीनी व तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की आय में हमें 16.10 प्रतिशत

प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त धनराशि केंद्र से राज्य सरकारों को संक्रमित करों की कुल धनराशि का 16.2 प्रतिशत होती है । इसके अतिरिक्त हमें संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत आयोग से एक अनुदान भी प्राप्त हुआ है जो लगभग 200 करोड़ रुपये होता है और जिसे पांचवें आयोग में हमें देने से इनकार कर दिया था । इस प्रकार हमें वित्त आयोग से कुल 1350 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जो समस्त राज्यों को दी गयी कुल धनराशि का लगभग 14 प्रतिशत होता है।

ऋण के प्रतिदान की समस्या पहली बार वित्त आयोग के सामने रखी गयी । इस प्रश्न पर आयोग ने भारत सरकार को ऋणों के प्रतिदान की अवधि बढ़ाकर पुनः निर्धारित करने की सिफारिश की जिसके अनुसार अगले 5 वर्षों के दौरान हमें केन्द्रीय कर्ज का 150 करोड़ रुपया कम भुगतान करना होगा।

इस प्रकार कुल मिलाकर हमें पांचवीं आयोजना अवधि में संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत केन्द्रीय करों, सहायक अनुदान और ऋणों के प्रतिदान की अवधि फिर निश्चित किये जाने के रूप में 1500 करोड़ रुपये कुल सहायता प्राप्त होगी । यद्यपि वित्त आयोग ने हमें जो धनराशि निर्दिष्ट की है वह हमारी आशाओं से बहुत कम है फिर भी यह सहायता और विशेष रूप से हमारे ऋणों के प्रतिदान की अवधि का पुर्ननिर्धारण हमें अपनी पंचवर्षीय आयोजना के निष्पादन के निमित्त साधनों को जुटाने में काफी सहायक सिद्ध होंगे ।

यह देखते हुए कि छठे वित्त आयोग की संस्तुतियों के कारण राज्य को कुछ अंश में आयोजनेत्तर संशाधन उपलब्ध हो रहे हैं, भारत सरकार ने योजना व्यय के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कुछ कमीं का संकेत किया है । केन्द्र के संशाधनों में कमी के कारण हमें वित्त आयोग से चिकित्सा व जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों और जन जातियों से संबन्धित प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने के लिये जो लगभग 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, उसे हमारी पंचवर्षीय योजना के संशोधनों में शामिल कर लिया गया है। सूखा व बाढ़ आदि का सामना करने के लिये समय-समय पर आवश्यतानुसार दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता व अल्प बचत योजना के प्रचार सम्बन्धी सहायता बन्द किये जाने का भी संकेत है। हमारा भारत सरकार से यह पुरजोर आग्रह है कि योजना संबन्धी केन्द्रीय सहायता व प्राकृतिक आपदाओं व अल्प बचत आन्दोलन जैसी आवश्यक मदों के लिये कोई कटौती न करें ।

पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना

संक्षेप में पांचवी पंचवर्षीय आयोजना, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, का लक्ष्य गरीबी कम करना तथा आर्थिक आत्म निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना है। चौथी आयोजना का मुख्य लक्ष्य "स्थिरता के साथ प्रगति" था जब कि पांचवीं आयोजना का मुख्य प्रयोजन "सामाजिक न्याय के साथ प्रगति" है। साथ ही इस आयोजना का उद्देश्य लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ करने, आर्थिक सत्ता को कोन्द्रीयभूत होने से बचाने, आमदनी तथा संपत्ति में असमानता को कम करने, संतुलित संभागीय विकास और स्वतंत्र तथा स्वस्थ समाज की रचना की ओर अग्रसर करने का है।

मूलतः प्रदेश की अनुमोदित चौथी योजना 965 करोड़ रुपये की थी पर अनुमानित वास्तविक व्यय का अनुमान 1150 करोड़ रुपया है। पांचवी आयोजना का आकार अभी तक योजना आयोग ने अंतिम रूप से निश्चित नहीं किया है, पर हमने 3,000 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पांचवी पंचवर्षीय आयोजना 1972-73 के मूल्य स्तर के आधार पर तैयार की गई थी। मार्च, 1973 से मार्च, 1974 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। विकास विभाग भिन्न-भिन्न आयोजनागत

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

योजनाओं के अन्तर्गत अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों पर इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव की जांच कर रहे हैं। अब तक मोटे तौर पर जो तखमीने तैयार किए गये हैं उनके अनुसार पांचवीं आयोजना के निर्धारित वास्तविक लक्ष्य में सिंचाई के अन्तर्गत 10 से 20 प्रतिशत तक, विद्युत के अन्तर्गत 17 से 27 प्रतिशत तक, उद्योग के अन्तर्गत 34 प्रतिशत और गृह निर्माण में 21 प्रतिशत तक असंतुलन होने की संभावना है। इसी प्रकार मूल्य वृद्धि होने से अन्य क्षेत्रों के वास्तविक लक्ष्यों में भी कमी होने की संभावना है। पर सरकार इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि अत्यावश्यक लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त किया जाय। इस उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य स्रोतों से यथासंभव अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करने का प्रयास किया जायगा।

शासन इसके लिये कृत संकल्प है कि पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में राज्य सिंचाई की सुविधा, विद्युत उत्पादन, कृषि उत्पादन और पशुधन की वृद्धि के लिये अधिकतम संभव प्रयास किया जाय। इन कार्यों के लिये ज्यादा से ज्यादा धनराशि की व्यवस्था की जायेगी और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अधिकतम चेष्टा की जायेगी।

वार्षिक योजना 1974–75

योजना आयोग द्वारा 1973–74 के लिये मूलतः अनुमोदित योजना 250 करोड़ रु0 की थी। बाद में यह धनराशि अखिल भारतीय निर्णय के फलस्वरूप घटाकर 235.85 करोड़ रुपये कर दी गयी थी। हमसे इसी आधार पर चालू वर्ष के दौरान कार्यवाही करने को कहा गया, परन्तु इस संबंध में योजना आयोग से ब्योरेवार विचार-विमर्श के बाद फिलहाल हमारे निवेदन पर वार्षिक योजना 1974–75 के परिव्यय को बढ़ाकर 255 करोड़ रु0 कर दिया गया है।

योजना आयोग द्वारा बताई गई उक्त धनराशि के अलावा हमने मुख्यतया भूमि सुधार, बड़े तथा मध्यम उद्योग, वन और विद्युत के क्षेत्र में लगभग 16 करोड़ रु0 का अतिरिक्त आयोजनागत व्यय करने का निश्चय किया है। इस प्रकार हमारी योजना लगभग 271 करोड़ रु0 की हो जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये अलग से विचार करने की जरूरत है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पर्वतों का इस प्रदेश के लिये कितना महत्व है। सामरिक सुरक्षा महत्व, बाढ़ की रोकथाम, वन-संपदा की वृद्धि तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इस क्षेत्र को समृद्धिशाली बनाना आवश्यक है। इसके लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी। भारत सरकार से इस कार्य के लिये अलग से 12 करोड़ रुपये मिलने की पूर्ण आशा है।

किन्तु इस संपूर्ण परिव्यय में विद्युत क्षेत्र के कतिपय पहलुओं की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकतायें सम्मिलित नहीं हैं जिनके संबंध में भारत सरकार से विचार-विमर्श जारी है। हमें यह बताया गया है कि इस प्रयोजन के लिये केन्द्र से और भी सहायता मिलेगी। हमें केवल बिजली की मशीनों एवं अन्य उपकरणों के भुगतान के लिये लगभग 150 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है।

कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के लिये गत वर्ष के 48.89 करोड़ रु0 के पुनरीक्षित परिव्यय की तुलना में हमारा इस वर्ष 55.26 करोड़ रु0 खर्च करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन पर, जो कृषि तथा उद्योग दोनों ही के लिये आगे की प्रगति का मूल आधार है, हम 138.72 करोड़ रु0 का आयोजनागत व्यय करेंगे, जब कि 1973–74 में कुल 114.14 करोड़ रु0 व्यय किया गया था।

योजना के औद्योगिक क्षेत्र का व्यय भी 9.13 करोड़ रु0 से काफी अधिक बढ़कर 19.19 करोड़ रु0 हो जायगा। ग्रामीण तथा शहरी जल संपूर्ति आयोजनाओं का व्यय भी 4.75 करोड़ रु0 से बढ़कर 12.70 करोड़ रु0 हो जायगा।

योजना को कार्यान्वित करने में सरकार हाल के आम चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र द्वारा घोषित उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करेगी। हमने राज्य के किसानों से वायदा किया था कि उनकी उपज के लिये पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित किया जायगा। जैसे कि माननीय सदस्यों को मालूम है, गेहूं का क्रय मूल्य 76 रु0 क्विंटल से बढ़कर इस वर्ष कम से कम 105 रु0 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वास्तव में किसानों को औसतन कहीं अधिक मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। चीनी की रिकवरी कम होने पर भी गन्ने के दामों में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया गया है।

नगरो तथा शहरों में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये हमने कहा था कि हम जन-जीवन की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध करायेंगे। अस्तु अब यह प्रस्ताव है कि 50 लाख रुपये की पूंजी से एक आवश्यक वस्तु निगम स्थापित किया जाय जो उचित मूल्यों पर दैनिक इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने तथा उनके वितरण की व्यवस्था करेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिये समग्र रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उनके कल्याण के लिये चालू की गयी विभिन्न योजनाओं के संबंध में वर्ष 1973–74 के आय-व्ययक में 11 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी। वर्ष 1974–75 के लिये इस योजना के संबंध में 14.00 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है।

केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से जयन्ती गांवों में हरिजनों के लिये 5,750 मकान बनवाने की एक विशेष योजना चालू की गयी थी। सामुदायिक विकास विभाग की ग्रामीण जल संपूर्ति योजना के अधीन, चालू वर्ष के दौरान हरिजन बस्तियों में 744 कुंओं तथा 21 डिग्गियों का निर्माण किया जायगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को ऋणग्रस्तता की बुराइयों से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से सरकार ऋण विमोचन के संबंध में एक विधेयक तैयार कर रही है जिसे विधान मंडल के सम्मुख इस वर्ष प्रस्तुत करने का विचार है।

इलाहाबाद और बांदा जिलों के कोल जाति के लोगों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास की एक योजना तथा पिथौरागढ़ और चमोली जिलों के भोटिया जाति के लोगों की इसी प्रकार के विकास की एक दूसरी योजना और अनुसूचित जन-जातियों, विशेषकर थारू व बोक्साओं का समग्र रूप से विकास करने की योजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े हुए वर्गों तथा समाज के दलित वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा तथा कुशल सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है। जिला मैजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश दे दिए गये हैं कि जब वे दौरे पर जायं तो वे हरिजनों तथा निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये सुरक्षा संबंधी किये गये प्रबन्धों के बारे में स्वयं जांच-पड़ताल करें और जो लोग उनको तंग करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। इस बात के लिये भी आदेश जारी दिए गए हैं कि पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों की चरित्र-पंजी में इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गये कार्यों के बारे में टिप्पणी भी अभिदिष्ट की जाय। हरिजनों के विरुद्ध किये गये अत्याचारों की शिकायतों पर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तत्परता और सम्यक् रूप से जांच-पड़ताल करने के उद्देश्य से एक उप महानिरीक्षक के अधीन एक विशेष सेल की स्थापना की गयी है। हरिजनों द्वारा अभिसूचित अहस्तक्षेप्य मामलों में भी संबंधित मैजिस्ट्रेटों से अनुमति लेने के पश्चात् जांच-पड़ताल करने के लिये आदेश जारी कर दिए गए हैं। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के उपबन्धों का सख्ती से अनुपालन किये जाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये शासकीय आदेशों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कराने के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बहुसदस्यीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया जा रहा है जो वर्तमान एक सदस्यीय अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर काम करेगा।

अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के छात्रों को विश्वविद्यालय या कालेज वाले नगरों में आवास की व्यवस्था करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने अब शिक्षा संस्थाओं से संबद्ध सामान्य छात्रावासों में 18 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिये सुरक्षित कर दी हैं।

हमने वायदा किया था कि हरिजनों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये छात्रवृत्ति में वृद्धि की जायगी। मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने छात्रवृत्ति में प्री-मैट्रिक कक्षाओं में 50 प्रतिशत और पोस्ट-मैट्रिक कक्षाओं में शत प्रतिशत वृद्धि कर दुगुना करने का निश्चय किया है। इस प्रकार शासन ने इस वर्ष हरिजन व जन-जातियों के लिये लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये के अधिक छात्रवृत्ति खर्च करने का प्राविधान किया है। यह शत प्रतिशत वृद्धि इंजीनियरिंग, मेडिकल व टेक्निकल कक्षाओं के छात्रों के लिये भी लागू होगी।

शासन ने यह देखा है कि कई विभागों में अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों में कठिनाई से 3 या 4 प्रतिशत भरती हो पायी है। अतः जब तक इस क्षेत्र में स्थिति एक स्तर पर न आ जाय, इनके लिये आरक्षण नितान्त आवश्यक है।

अभी तक पदोन्नतियों के संबंध में व अनुसंधान संबंधी पदों पर संरक्षण के आदेश पूर्ण प्रभावकारी नहीं हो पा रहे थे। अब यह निश्चय किया गया है कि योग्यता के आधार पर पदोन्नति व अनुसंधान संबंधी पदों के मामलों में भी 18 प्रतिशत रिक्त पद अनुसूचित जातियों के लिये और 2 प्रतिशत रिक्त पद जन-जातियों के लिये सुरक्षित रखे जायं।

जहां अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के सदस्यों को यथोचित अवसर नहीं मिला, इसका एक सुस्पष्ट उदाहरण पुलिस विभाग का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी वर्ग था। अस्तु, यह अवसर देने के लिये पुलिस दल के इस वर्ग में वर्तमान रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिये सुरक्षित किये गये और इन पदों पर भरती इस प्रयोजन के लिये नियुक्त एक विशेष चयन समिति द्वारा की गई।

हमने भूमिहीन मजदूरों को भूमि उपलब्ध कराने का वायदा किया था और यह भी स्पष्ट किया था कि इसमें अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायगी। सरकार ने अब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 में संशोधन करके भूमि के आवंटन के मामले में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के भूमिहीन मजदूरों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है। भूमिहीनों के लिये भूमि आवंटन का कार्य सुचारु और स्वाभाविक ढंग से हो, इसके लिये एक विधेयक विधान मंडल के समक्ष लाया जायगा। भूमि की अधिकतम सीमा के लागू करने के फलस्वरूप सीलिंग की जो अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी, उसके आवंटन के लिये भी प्राथमिकता दी जायगी।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के सदस्यों की आवास संबंधी बढ़ी हुई जरूरत को पूरा करने के लिये यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक ऐसे परिवार को 150 वर्ग मीटर भूमि मुफ्त आवंटित की जाय। अप्रैल, 1974 के अन्त तक अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के परिवारों को मिलाकर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के 9.23 लाख से अधिक परिवारों को 74,818 बस्तियों में लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है। 2.29 लाख अतिरिक्त परिवारों को आवंटित करने के लिये भूमि प्राप्त की जा रही है और इस प्रयोजन से भूमि प्राप्त करने के लिये बजट में 1 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा-सुधार

हमने यह वायदा किया था कि प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये कारगर उपाय किए जायेंगे। उच्च शिक्षा में सुधार करने के प्रश्न पर उपकुलपतियों की अप्रैल में हुई बैठक में विचार किया गया था और उनके द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें विचाराधीन हैं। माध्यमिक शिक्षा के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित के पाठ्य विवरण में राष्ट्रीय शिक्षा शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् और प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों के परामर्श से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गये हैं और जुलाई, 1974 से नये पाठ्य-क्रम आरम्भ किये जायेंगे। बेसिक शिक्षा के सुधार के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री के अधीन गठित एक समिति माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार कर रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के संबंध में केन्द्रीय मूल्यांकन योजना कार्यान्वित कर दी है, इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुधार की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया है। यह प्रस्ताव है कि परीक्षा संबंधी सुधार के और अधिक उपाय मालूम करने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् में एक शोध तथा मूल्यांकन इकाई कायम की जाय।

विशेष रोजगार योजनाएं

पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की गत वर्ष लागू की गयी केन्द्रीय सरकार की योजना के अधीन, राज्य सरकार को भारत सरकार से 5.89 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। वर्ष के दौरान लगभग 46,837 शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना संभव हो सका। हमें चालू वर्ष में भी इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से समान धनराशि प्राप्त हो जाने की आशा है।

कृषि

राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास किए जाने के बारे मे बहुत ही जागरूक है। हमें वर्ष 1974–75 में 210 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त हो जाने की और वर्ष 1978–79 तक, 260 लाख टन प्रति वर्ष का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की आशा है। उत्पादन के इस स्तर को प्राप्त कर लेने के लिये सभी क्षेत्रों में अपेक्षित निवेशों (इन-पुट्स) तथा अव-स्थापना (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) की व्यवस्था करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

यह बात सर्वविदित है कि कृषि अब एक अत्यधिक तकनीकी विषय हो गया है और इसकी महत्वपूर्ण शाखाओं जैसे भूमि संरक्षण, सस्यविज्ञान (agronomy), पौध संरक्षण इत्यादि के लिये सभी को विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हो गयी है। इसलिये राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इस तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने के लिये यह आवश्यक है कि नये कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय। इस उद्देश्य से फैजाबाद में एक कृषि विश्व-

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

विद्यालय और पंतनगर विश्वविद्यालय का एक कैम्पस पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित करने और कानपुर के कृषि विज्ञान संस्थान (Institute of Agricultural Science) को कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के निमित्त बजट में प्राविधान किया जा रहा है। आशा है कि भारत सरकार के योगदान से ये कृषि विश्वविद्यालय पांचवीं योजनाकाल में ही पूर्णरूप से कार्य करने लगेंगे ।

रामगंगा, गंडक और शारदा सहायक क्षेत्रों में उत्पन्न की गई सिंचाई क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किये जाने की दृष्टि से, इन तीनों क्षेत्रों के लिये अलग-अलग विकास प्राधिकरणों (डेवलपमेंट अथारिटी) की स्थापना की गयी है। आशा की जाती है कि ये प्राधिकरण परियोजना क्षेत्र का, सिंचाई क्षमता के उपयोग के आधार पर, व्यापक विकास कर सकेंगे। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय स्तर के संबंधित सभी विभाग इस प्राधिकरण के नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

बांदा, जालौन, हमीरपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पिछले सालों की भांति कार्यक्रम चालू रहेगा। इसके लिये इस साल के बजट में 4 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

पशुपालन

सरकार का यह लक्ष्य है कि पशुधन के विकास और खेती के उन्नयन का जो संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए पशुधन विकास को काफी प्रोत्साहन दिया जाय ।

पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों के अधीन, पशुओं के संकरज प्रजनन (क्रास ब्रीडिंग) तथा उनके उन्नयन पर विशेष जोर दिया जायगा। पांचवीं आयोजना के दौरान, तीन सघन पशु विकास परियोजनायें स्थापित की जायेंगी। वर्ष 1974–75 में ही एक यूनिट स्थापित की जायगी। पांचवी आयोजना में दो नये पशु प्रजनन फार्म खोले जायेंगे जिसमें सांड़ पालने की भी योजना है। इनमें से एक फार्म वर्ष 1974–75 में खोला जायगा। पांचवीं आयोजना में जो अन्य कार्यकलाप प्रस्तावित किये गये हैं, उनमें एक चारा बीज उत्पादन फार्म, 2 भेड़ प्रजनन फार्म, 124 भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र, 3 सघन भेड़ विकास परियोजनायें, एक भेड़ अनुरक्षण केन्द्र, एक ऊन श्रेणी अंकन एवं क्रय-विक्रय केन्द्र, एक कुक्कुट पालन फार्म, 95 पशु चिकित्सालय तथा 765 पशु डिस्पेन्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

सरकार ने राज्य के प्रत्येक 11 डिवीजनों में एक-एक दुग्ध विकास बोर्ड स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। आशा की जाती है कि यह निगम न केवल दुग्ध संयंत्र ही लगायेंगे, बल्कि पूरे जिले में दुधारू पशु, चारा आदि के विकास के बारे में प्रभावी ढंग से प्रचार कार्य भी करेंगे।

सहकारिता

सहकारी क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के लिये ऋण संबंधी सुविधाओं का और भी प्रसार किया जायगा। प्राइमरी सहकारी समितियों की सदस्य संख्या, जो वर्ष 1973–74 में 85 लाख थी, वर्ष 1974–75 में बढ़कर 91 लाख की जायेगी, और पांचवीं आयोजना के अन्त तक यह संख्या 115 लाख तक पहुंच जायेगी, ऐसा लक्ष्य है। समितियों में सदस्यों के अंश की धनराशि 1973–74 में 23 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974–75 में 24.20 करोड़ रुपये और 1978–79 में 29 करोड़ रुपये हो जायेगी। पांचवीं आयोजना में कृषि संबंधी ऋण की धनराशि में भी पर्याप्त वृद्धि की जायगी ।

भूमि विकास सेना (लैण्ड डेवलपमेंट आर्मी)

प्रादेशिक विकास दल प्रदेश में कार्य कर रहा है। इसके कार्य की गति को तीव्र किया जायेगा और इसको भूमि विकास सेना (लैण्ड डेवलपमेंट आर्मी) के रूप में परिवर्तित करके इसके द्वारा भूमि संरक्षण, वनरोपण एवं तालाबों को गहरा करने एवं बन्धियों के बनाने आदि के कार्य को महत्व दिया जायगा।

वन विभाग

पांचवीं पंचवर्षीय आयोजनावधि में, पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोपण तथा भूमि संरक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया जायगा और सिविल तथा सोयम वनों में उतने ही क्षेत्र में बाड़े बांधकर, पशु चराने की भूमि का विकास किया जायगा। सिविल/सोयम वनों में, पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग 6,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, वैज्ञानिक भूमि प्रबन्ध संबंधी कार्यक्रम चालू किये जायेंगे। रामगंगा जलागम की तरह भूमि संरक्षण कार्य, अलकनन्दा, भागीरथी, भिलंगना और कोसी की घाटियों में भी किया जायगा। वनों तथा पौधारोपण कार्यक्रमों को व्यापारिक स्तर पर संचालित करने के लिये एक वन विकास निगम भी स्थापित किया जा रहा है।

सिंचाई तथा विद्युत

यह प्रस्ताव है कि पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान राजकीय सिंचाई निर्माण-कार्यों से 29 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की जाय और वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान वृहद् एवं माध्यमिक सिंचाई योजनाओं से 4.70 लाख हेक्टेयर और लघु राजकीय सिंचाई निर्माण-कार्यों से 1.13 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता प्राप्त की जाय।

चौथी पंचवर्षीय आयोजना का विद्युत परिव्यय 375 करोड़ रु० था जिसके समक्ष 428 करोड़ रु० का बढ़ा हुआ व्यय होने की आशा है। अब पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में 979 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है। उत्पादन के संबंध में 1974–75 के अन्त तक निम्नलिखित यूनिटों का कार्य प्रारम्भ हो जाने की आशा है––

(1) ओबरा तापीय विस्तार योजना––प्रथम चरण प्रायोजना की दो यूनिटें, प्रत्येक 100 मेगावाट।

(2) यमुना जल विद्युत योजना––द्वितीय चरण––भाग 1 की चार यूनिटें, प्रत्येक की क्षमता 60 मेगावाट।

(3) यमुना जल विद्युत योजना––चतुर्थ चरण––भाग 1 की 10 मेगावाट की एक यूनिट।

पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान 8,560 गांवों और 8,000 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। संस्थागत वित्त से उपलब्ध निधियों से 15,000 गांवों/हरिजन बस्तियों का अतिरिक्त विद्युतीकरण भी प्रस्तावित है। चालू वर्ष में विद्युत के लिये 88.36 करोड़ रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत 910 गांवों एवं 860 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायगा। संस्थागत वित्त से 2,250 गांवों/हरिजन बस्तियों का अतिरिक्त विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

उद्योग

वर्तमान सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जाने के परिणामस्वरूप 16 नई सूती मिलों और 21 नई शकर फैक्टरियों के लाइसेंस प्राप्त किये गये हैं। डल्ला की सीमेंट फैक्टरी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का भी विस्तार किया जा रहा है और यह आशा है कि उसकी उत्पादन क्षमता में 16 लाख टन वार्षिक की वृद्धि होगी ।

राज्य में शीघ्र ही अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां लगने वाली हैं । इनमें लखनऊ की स्कूटर फैक्ट्री, रायबरेली की स्कूटर-टायर और ट्यूब फैक्टरी,मथुरा और इलाहाबाद की दो उर्वरक प्रायोजनाएं मुख्य हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में शासन की सेवायोजन नीति बराबर यह रहेगी कि जहां तक संभव हो सके स्थानीय लोगों को ही नियुक्त किया जाय । 500 रु0 वेतन तक के पदों पर तो ऐसी नियुक्तियां अनिवार्य रूप से इस नीति के अनुसार की जायेंगी, बशर्ते कि आवश्यकतानुसार योग्य व्यक्तियों की उपलब्धि हो जाती है ।

इस बात के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के साथ सहायक औद्योगिक आस्थानों Ancillary Industrial Estates की भी स्थापना की जाय । रायबरेली में भवन सामग्री निर्माण के लिये एक कार्यकारी औद्योगिक आस्थान की भी स्थापना की गई है ।

सरकार की इस नीति के अनुसरण में कि लघुस्तरीय उद्योगों को सहायता प्रदान की जाय, उत्तर प्रदेश वित्त निगम के माध्यम से 6 प्रतिशत ब्याज की कम दर से 50,000 रु0 तक सावधि ऋण दिये जाते हैं । मार्च, 1974 से यह सुविधा उन सावधि ऋणों के संबंध में भी दी जायेगी जो लघुस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त किये जाते हैं । सरकार बैंकों को ब्याज की दरों के अन्तर की प्रतिपूर्ति करेगी ।

बिजली की कमी के कारण बड़े उद्योगों को बिजली पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो पा रही है । अतः शासन ने दस्तकारी और ग्राम उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उत्पादन बढ़ाने की ओर एक विशेष प्रयास करने का संकल्प किया है । पीतल के सामान तथा चमड़ा उद्योगों को वित्त, क्रय-विक्रय आदि की सुविधायें प्रदान करने के लिये ब्रासवेयर और लैदर कारपोरेशनों (पीतल के सामान तथा चर्म विकास निगमों) की स्थापना की गई है। स्टेट हन्डलूम एण्ड पावरलूम फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (राज्य हथकरघा व विद्युत करघा वित्त व विकास निगम) हथकरघा और बिजली से चलने वाले करघा उद्योगों को अधिक सहायता कर सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है । झांसी और निजामाबाद (आजमगढ़) में पाटरी विकास केंद्र खोले जा रहे हैं, गलीचों (कालीन) के धागों के लिये एक कताई मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । वाराणसी और पौड़ी में दस्तकारी के विकास के लिये विभागीय केंद्रों को सक्रिय बनाया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश सूती वस्त्र (Textile) निगम 8 करोड़ रु0 की प्राधिकृत पूंजी तथा 7.05 करोड़ रु0 की प्रदत्त पूंजी से राज्य की 5 ऐसी सूती वस्त्र मिलों की देख-भाल कर रहा है जिनकी स्थिति व्यक्तिगत हाथों में शोचनीय हो गयी थी । पिछले कई सालों से प्रदेश के अन्दर सूत की अत्यन्त कमी महसूस हो रही है । इसी कमी को पूरा करने के लिए दो लाख तकुओं की क्षमता रखने वाली 8 नई सूती मिलों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम इस समय डल्ला और चुर्क सीमेंट फैक्टरियों का प्रबन्ध कर रहा है । वर्ष 1973-74 के लिये सीमेंट का उत्पादन 5.60 लाख टन था । विद्युत तथा कोयला न मिलने से सीमेंट उत्पादन में कुछ कमी हो गई थी । पांचवीं आयोजना अवधि के दौरान 8.80 लाख मीट्रिक टन के वर्तमान स्तर से उत्पादन क्षमता बढ़ा कर 16 लाख मीट्रिक टन वार्षिक किये जाने का प्रस्ताव है ।

बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन कम न हो इसलिये उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने वर्ष 1973–74 के दौरान 456 उद्योगों को 1.72 करोड़ रु0 के जेनरेटरों की खरीद के लिये पूंजी सहायता देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसी आशा है कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम चालू वर्ष में बड़ी मात्रा में इस सुविधा का विस्तार कर सकेगा जिससे कि इस राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी को पूरा किया जा सके।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने रायबरेली में एक औद्योगिक आस्थान की स्थापना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और हरद्वार, लखनऊ तथा उन्नाव में इसी प्रकार के औद्योगिक आस्थानों के निर्माण के संबंध में संतोषजनक प्रगति हो रही है। मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ने लगभग 40 पूरक उद्योग स्थापित किये हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद एवं आई0 टी0 आई0, रायबरेली के द्वारा कई पूरक उद्योग लगाने का कार्यक्रम है। हैवी इलेक्ट्रीकल्स, हरद्वार व स्कूटर इंडिया, लखनऊ के सहयोग से उनके पूरक (ancilliary) छोटे व मझोले उद्योग लगाये जा रहे हैं। इंजीनियर उद्यमकर्ताओं के लाभ के लिये लघु उद्योग निगम ने एक विशेष पैकेज सहायता योजना प्रारम्भ की है। अब तक इस निगम द्वारा 10 संयुक्त क्षेत्र की प्रायोजनायें प्रारम्भ की गई हैं। लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों को "हायर-परचेज" की सुविधायें दे रहा है और विगत दो वर्षों में इसने 458 इकाइयों को लाभ पहुंचाया है। लघु उद्योग निगम कच्चे माल का वितरण भी कर रहा है और इसने विगत दो वर्षों में लघुस्तरीय इकाइयों को लगभग 1 लाख मीट्रिक टन कच्चा माल वितरित किया है।

उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम ने अब तक 9,358 एकड़ भूमि अर्जित की है जिसमें से इसने औद्योगिक प्रयोजनों के लिये 5,776 एकड़ भूमि का विकास किया है और अभी तक औद्योगिक इकायों को 4,459 एकड़ भूमि आवंटित की है। वर्ष 1973–74 में निगम ने 43 लाख रु0 के शेयर लेने का दायित्व ले लिया। संयुक्त क्षेत्र में निगम के अल्मोड़ा मैगनीसाइट लिमिटेड में 51 प्रतिशत अंश हैं, उसका उन्नाव में मुद्रण मशीनरी संयंत्र लगाने, बलिया में स्टील बिलेट प्रायोजना की स्थापना करने तथा सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में जी0 एल0 एस0 लैम्पों के निर्माण के लिये एक उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1973–74 में निगम को लगभग 45 लाख रु0 का लाभ होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी 50 लाख रु0 है, जिसमें से अब तक राज्य सरकार द्वारा 33 लाख रु0 का अभिदान किया गया है। निगम का आन्तरिक क्रय-विक्रय 1972–73 में 16.37 लाख रु0 से बढ़कर 1973–74 में 20.97 लाख रु0 हो गया है। राज्य के हथकरघा और दस्तकारी की तथा अन्य प्रायोजनाओं की वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए तथा विदेशी ग्राहकों को निर्यात हेतु नमूनों के प्रदर्शन के लिये भी 1973–74 के दौरान नई दिल्ली में गंगोत्री नाम का एक एम्पोरियम खोला गया है। हजरतगंज, लखनऊ में निगम के प्रदर्शन कक्ष को 1973–74 में अभिनव रूप दिया गया है और इस प्रदर्शन कक्ष की बिक्री गत वर्ष 3.19 लाख रु0 थी जो बढ़कर 1973–74 में 5.22 लाख रु0 हो गई है। निर्यात के लिये निगम ने मेरठ में निर्यात योग्य सामान के 17 निर्माताओं का एक संघ (consortium) बनाया है और निर्यात के लिये फ्रांस से 60,000 रु0 के आर्डर प्राप्त किये गये हैं। रूस से 3,86,750 रु0 के मूल्य के 10,000 जोड़ी जूतों के निर्यात का आर्डर प्राप्त हुआ है। कालीन व कांच उद्योगों के विकास में योगदान देने के लिये सलाहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस निगम का पुनःसंगठन किया जा रहा है, और उसके माध्यम में 2 करोड़ रुपये के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कौंसिल का गठन भी इस वर्ष किया जायगा।

'पिकअप' नामक राज्य निगम औद्योगिक विकास के लिए सर्वांगीण सहायता देने वाला विशेष संगठन है। यह व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्टों (Feasibility Reports) को तैयार करने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देता है। इस मद में इस वर्ष लाइट इंजीनियरिंग, एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कृषि उद्योग और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में 50 मदों को सहायता दी जायेगी। 'पिकअप' ने मार्च, 1974 तक टेलीविजन रिसीवरों, स्टाइरोफ्लेक्स कैपेसिटर्स और आक्सीजन प्लांट के संबंध में व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन पूरे कर लिये थे। उसके बाद 9 और रिपोर्टें पूरा कर ली गई हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम के अधीन पिकअप' ने निर्दिष्ट बैंकों तथा उ0प्र0 वित्त निगम द्वारा स्वीकृत 7 लाख रु0 तक के ऋणों के लिये गारंटी दी है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक निगम, जो 'पिकअप' का सहायक है, 30 मार्च, 1974 को 5 करोड़ रु0 की प्राधिकृत पूंजी से संबंधित किया गया। 'पिकअप' सेल्स टैक्स क्रेडिट स्कीम भी चला रहा है जिसके अधीन अभी तक 71 यूनिटों को, जिनमें पिछड़े जिलों की 21 यूनिटें सम्मिलित हैं, निबन्धन प्रमाण-पत्र दिये गये हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

वर्ष 1973–74 में 888.5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि लक्ष्य 414 किलोमीटर सड़कों का था। सेतु निगम ने वर्ष 1973–74 में अनेक पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया है। ये पुल हैं:—

(1) जिला इटावा में इटावा-भिंड मार्ग पर यमुना नदी पर पुल।

(2) जिला मुरादाबाद में मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग पर गागन नदी पर पुल।

(3) मुजफ्फरनगर में रेलवे शिरोपरि (ओवरहेड) पुल।

(4) जिला बहराइच में बहराइच-भिंगा मार्ग तथा बहराइच-काकरधीरी मार्ग पर भाकुल नदी पर दो पुल।

(5) जिला प्रतापगढ़ में चमरौरा नदी पर पुल।

(6) जिला जौनपुर में महराजगंज-त्रिकुटिया मार्ग पर पीली नदी पर पुल।

(7) देहरादून में रेस्पाना नदी पर पुल।

(8) जिला गोंडा में तुलसीपुर-बढ़नी मार्ग पर बनौरमा नदी पर पुल।

वर्ष 1974–75 के दौरान अधिकांश व्यय स्वीकृत निर्माण-कार्यों को पूरा करने पर किया जायगा। योजना काल में 1,165 किलोमीटर नये सड़कों के निर्माण, 673 किलोमीटर मौजूदा सड़कों के पुनर्निर्माण और सुधार तथा 30 पुलों के निर्माण-कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव है।

परिवहन

चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक राष्ट्रीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत 20,500 किलोमीटर सड़कें आ गईं। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की संख्या अब 4,500 से ऊपर हो गयी है। पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान 1,000 किलोमीटर नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने और 4,400 नयी बसों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में 945 बसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निगम का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करने तथा आन्तरिक कार्य-प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पुनः-संगठित करने का भी प्रस्ताव है जिसके अनुसार चार या पांच क्षेत्रीय परिवहन निगम गठित किया जाना संभावित है।

शिक्षा

जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक स्कूलों में 15,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इनमें जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त 1,000 उर्दू के अध्यापक और नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में नियुक्त 3,823 उर्दू के अध्यापक शामिल हैं। उर्दू भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के वास्ते सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की हैं। वर्ष 1973–74 के दौरान, त्रि-भाषा फार्मूला के अन्तर्गत वैकल्पिक विषय के रूप में उर्दू का अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार ने प्रत्येक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति करने का निश्चय किया है। कक्षा 1 से ले कर कक्षा 8 तक की पुस्तकें अब उर्दू में भी सुलभ कर दी गई हैं।

उर्दू बोलने वालों की सुविधा के लिये सरकारी गजट को उर्दू में प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। राजकीय मुद्रणालय द्वारा इस प्रयोजन के निमित्त आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

1 नवम्बर, 1973 से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये वे ही वेतनमान तथा महंगाई भत्ते अनुमन्य कर दिये गये जो सरकारी संस्थाओं में अनुमन्य हैं। इस हेतु शासन को 3.50 करोड़ रुपये से अधिक व्यय भार उठाना पड़ा।

वर्ष 1973–74 में दो नये विश्वविद्यालयों की, एक कुमायूं मण्डल के लिये और दूसरा गढ़वाल मण्डल के लिए, स्थापना की गई है। काशी विद्यापीठ को भी विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है। फैजाबाद, रुहेलखंड तथा बुन्देलखंड मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना का निश्चय किया जा चुका है। सरकार ने राज्य में एक उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना के लिये भी स्वीकृति प्रदान की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित नये वेतनमान विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों में लागू कर दिये गये हैं।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की योजना के अधीन अभी तक एक परिवार के एक ही बालक या बालिका को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती थी। इस योजना को अब अधिक उदार बना दिया गया है जिससे कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सभी बालक-बालिकाओं को यह लाभ प्राप्त हो सके। सहायता के लिए संरक्षक की 300 रु0 की आय-सीमा का प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में 681 नये चिकित्सालय खोले गये। राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में 9,365 अतिरिक्त शय्याओं की व्यवस्था की गयी और जिला चिकित्सालयों को पोलीक्लीनिक (बहुरोग रुग्णालय) में बदल कर 153 नये क्लिनिक स्थापित किये गये। 140 गैर-सरकारी चिकित्सालयों का प्रांतीयकरण भी किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों तथा श्रमजीवी पत्रकारों के लिये राज्य में पहली बार सरकारी कर्मचारियों के स्तर की चिकित्सासुविधायें प्रदान की गयीं। राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों तथा उन सैनिकों के अभिरक्षितों के लिये सीटों का आरक्षण किया गया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिये अपना जीवन बलिदान किया है। गैर-सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कालेजों का संचालन बन्द कर दिया गया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 32 एलोपैथिक चिकित्सालय, 51 आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय व 36 होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है।

श्रम कल्याण

वर्ष 1973-74 में कानपुर की सूती मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में समुचित वृद्धि की गयी। इसी प्रकार बैकुण्ठ लाल चौनी की बिस्कुट रयों में श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की गयी। चीनी श्रमिकों के लिये भी आवास भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी। चर्म उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को भी तदर्थ वृद्धियां दी गयीं। इंजीनियरिंग (अभियांत्रिक) उद्योगों में काम में लगे हुए श्रमिकों के लिये अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया। सूती वस्त्र, जूट और ऊन के उद्योग तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थानापन्न श्रमिकों के लिये नियुक्ति-समाप्ति भत्ता (डिस एप्वाइन्टमेंट एलाउन्स) दिये जाने की व्यवस्था भी की गई।

असंगठित उद्योग तथा कुटीर उद्योगों में काम में लगे हुए श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का भी पुनरीक्षण किया गया। कृषि कार्यों से संबंधित व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये पहली बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी। श्रमिकों के असंगठित संगठनों को संगठित करने तथा उनको निःशुल्क विधिक राय लेने के उद्देश्य से एक यूनियन विकास अधिकारी तथा श्रम वकीलों की नियुक्तियां की गई हैं।

पेयजल सम्पूर्ति

मार्च, 1973 के अन्त तक 293 स्थानीय निकायों में से 173 स्थानीय निकायों में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1973-74 में 6 अतिरिक्त नगर सम्मिलित किये गये। मार्च, 1974 के अन्त तक 3,2[illegible] ग्रामों में पाइप लाइन द्वारा जल की व्यवस्था की जा चुकी है। भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत [illegible],496 अतिरिक्त ग्राम पाइप लाइन जल सम्पूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत लाये गये हैं। आशा की जाती है कि पांचवीं आयोजना के अन्त तक लगभग 9,000 अतिरिक्त ग्रामों को पाइप लाइन द्वारा पेय जल की सम्पूर्ति होने लगेगी। विद्युत की कठिनाई के कारण सभी पाइप लाइन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आवास

आवास व्यवस्था के लिये पांचवीं आयोजना में 22 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें से वर्ष 1974-75 के दौरान 2.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य आवास परिषद ने चालू वर्ष में लखनऊ में 4,000 गृह निर्मित करने का प्रस्ताव किया है। विभिन्न आवास कार्यक्रमों के लिये हुडको (HUDCO) और भारतीय जीवन बीमा निगम से निधियां प्राप्त कर ली गयी हैं। चालू वर्ष में इन दोनों वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवासीय कार्यक्रमों के लिये 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जायगा।

गन्दी बस्तियों की सफाई और पर्यावरण विकास

राज्य के 22 शहरों में गन्दी बस्तियों की समस्या है। 1972-73 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में 8 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिये पर्यावरण विकास योजना (स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम) चालू की गई थी। लखनऊ और कानपुर के शहरों में

इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया गया है। तदनुसार 1973–74 तक कानपुर में 1.32 करोड़ रुपये और लखनऊ में 1.24 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। अब इस योजना के अन्तर्गत आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ और बरेली के शहरों को भी लेने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1974–75 के लिये 60.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

बहुत थोड़ी सी नगरपालिकाओं को छोड़कर शेष सभी नगरपालिकाओं में सर पर मैला ले जाने की अमानवीय पद्धति समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित कर दिये गये हैं। उनके कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर कर दिया गया है।

अधिकांश स्थानीय निकायों में संसाधन निधियां अत्यन्त अपर्याप्त हैं। उनके वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के लिए एक केंद्रीय कर-निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि गृह-कर, जल-कर, जल निकासी और सफाई-कर उचित रूप से निर्धारित किये जा सकें।

नगरों के सुनियोजित विकास के लिये सरकार ने शुरू में राज्य के पांच महानगरों में विकास प्राधिकरणों (डेवलपमेंट अथारिटीज) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। देहली विकास प्राधिकरण (देहली डेवलपमेंट अथारिटी) के सफल उदाहरण के आधार पर गठित ये प्राधिकरण शीघ्र ही गठित किये जायेंगे।

संस्थागत वित्त

राज्य सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिये सन् 1970–71 से राष्ट्रीय वित्त-संस्थाओं व बैंकों से संस्थागत वित्त प्राप्त करने हेतु सक्रिय दिलचस्पी ली। इसके पहले इस प्रदेश के अन्दर संस्थागत वित्त की प्राप्ति नाम मात्र की हुई थी। अन्य प्रदेशों को देखते हुए तो इस प्रदेश के अन्दर स्थिति और भी अधिक शोचनीय थी। लेकिन संस्थागत वित्त निदेशालय की स्थापना से इस कार्य में और प्रगति आई। 31 जनवरी, 1974 तक 640.31 करोड़ रुपये के परिव्यय की 910 योजनायें बनाई गयीं और उन्हें विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत किया गया। 399.36 करोड़ रुपये की 389 योजनाओं के लिये स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से कुछ योजनाओं के लिये उनके कार्यान्वयन की क्रमावस्था के अनुसार अंशतः स्वीकृति दी गई है। 150 करोड़ रुपये के परिव्यय की 521 योजनायें अभी विचाराधीन हैं। 399.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति धनराशि में से 231.70 करोड़ रुपये की धनराशि प्रविष्ट की जा चुकी है और 191.03 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

विद्युत क्षेत्र में 285 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की 136 योजनायें प्रस्तुत की गई थीं। अब तक 152 करोड़ रुपये की 118 योजनाओं के संबंध में अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

कृषि क्षेत्र में 285 करोड़ रुपये की 318 योजनाओं में से 191 करोड़ रुपये के परिव्यय की 88 योजनाओं के लिये स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार जल सम्पूर्ति और मल निकास प्रणाली की 11.41 करोड़ रुपये की 312 योजनायें, आवास की 21.95 करोड़ रुपये की 14 योजनायें, शापिंग सेंटर्स के लिये 1.51 करोड़ रुपये की 37 योजनायें, उद्योग क्षेत्र में 44.72 करोड़ रुपये के परिव्यय की 55 योजनायें, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा पुलों का निर्माण कराने के लिए 9.75 करोड़ रुपये की लागत की 33 योजनायें, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्यान्न निगम के लिये 4.85 करोड़ रुपये की 4 योजनायें तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिये 15 लाख रुपये की 1 योजना, विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत की गई हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी]

नई योजनायें, जो तैयार करके पहली बार बैंकों को प्रस्तुत की गई हैं, इस प्रकार हैं:—

(1) स्थानीय निकायों द्वारा शापिंग सेंटर्स के निर्माण की योजना, जिससे व्यापार में नये प्रवेश करने वालों को उचित किराये पर दुकानें उपलब्ध होंगी और साथ ही सम्बद्ध स्थानीय निकायों के लिए आय के स्थायी साधन की व्यवस्था हो जायेगी।

(2) सेतु निगम द्वारा पुलों का निर्माण कराने हेतु योजनाओं का वित्तपोषण। पुलों का निर्माण कराने के लिए बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय सहायता दी जाने से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

(3) कृषि क्षेत्र में लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, भूमि समतलन और विकास, बागवानी तथा अन्य आर्थिक रूप से जीवन-क्षम योजनाओं का वित्त पोषण ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय राज्य में उनकी बहुत कम शाखायें थीं । निदेशालय के प्रयास से इन शाखाओं की संख्या जो जून, 1969 में 847 थी, बढ़कर अब 1,500 से अधिक हो गयी है। अर्थात् पिछले चार वर्षों में यह करीब-करीब दुगनी हो गई है। इससे बैंक की प्रत्येक शाखा पर 1,19,000 व्यक्तियों का औसत घटकर 59,000 व्यक्ति रह गया है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बात के लिये भी सिद्धांततः सहमति प्रदान कर दी है कि ऐसे सभी 384 ब्लाक मुख्यालयों और 315 मंडियों तथा अन्य उत्पादन केंद्रों में जहां बैंक नहीं हैं 1975 के अन्त तक बैंकों की शाखायें खोली जायेंगी । अभी हाल ही में 5 जून को लखनऊ में ही केंद्रीय वित्त मंत्री श्री यशवन्तराय चह्वाण के सभापतित्व में मध्य क्षेत्रीय सलाहकार समिति की उच्चस्तरीय बैठक हुई। उसके परिणामस्वरूप प्रदेश में संस्थागत वित्तीय विनियोजन बढ़ने की पूरी आशा है।

विभिन्न बैंकों को अपने-अपने 'लीड जिलों' में हस्तकला उद्योग को सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया । फलस्वरूप स्टेट बैंक आफ इंडिया ने भदोही में 372 कार्पेट बुनने वालों के लिये 7,87,000 रु० और पौड़ी तथा उत्तरकाशी में 213 ऊन उद्योग के कारीगरों को 1,14,000 रु० की वित्तीय सहायता देने के लिये अपनी योजना बनायी । अक्टूबर, 1973 में आगरा के प्रमुख बैंकों के सहयोग से चमड़ा जूता उद्योग के कारीगरों, विशेष रूप से "नामेवाला" तथा "डलियावाला" को वित्तीय सहायता देने के लिये एक अभियान चलाया गया । कुल 1,345 जूते बनाने वालों को विभिन्न बैंकों द्वारा 20,21,000 रु० की सहायता दी गयी । कनारा बैंक ने संगमरमर के काम में लगे कारीगरों को सहायता देने के लिये एक योजना बनाई है और उनमें से 25 कारीगरों को 29,000 रु० की वित्तीय सहायता दी है। मुरादाबाद के पीतल का सामान बनाने वाले कारीगरों को बैंक वित्तीय सहायता दें, इसके लिये भी प्रयास किये गये हैं और अब तक 3 बैंकों ने 72 कारीगरों को 2,64,000 रु० तक की सहायता दी है। सहारनपुर में प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने काष्ठ-नक्काशी करने वाले 130 कारीगरों को कुल 91,000 रु० के ऋण वितरित किये हैं ।

पिछले दो सालों के अन्दर शासन की चेष्टाओं का नतीजा यह हुआ कि पहली बार वाणिज्य बैंकों से हथकरघा बुनकरों ने सहायता प्राप्त की। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि शासन की चेष्टा से 11,319 हथकरघा बुनकरों को 184 लाख 22 हजार रुपये की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई ।

'हाफ ए मिलियन जाब्स' कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों ने अब तक कुल 2,672 आवेदकों में से 586 व्यक्तियों को 86 लाख 22 हजार रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। दिनांक 9 मई, 1974 को हुई एक बैठक में मुझे बैंकों ने आश्वासन दिया है कि वे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारित करेंगे । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 5,000 रु० से

50,000 रु0 तक का ऋण लेने वाले छोटे उद्यमकर्ताओं को सहायता देने के विचार से राज्य सरकार ने एक ब्याज-सहायता-योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों को देय ब्याज की दर पर 4 प्रतिशत तक की राजकीय सहायता दी जायेगी बशर्ते कि उधार लेने वाला मूलधन तथा ब्याज की किस्त की अदायगी नियत समय के भीतर कर दे। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिये 10 लाख रु0 की व्यवस्था की गई है और आशा की जाती है कि इस संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों से 2 करोड़ 50 लाख रु0 की धनराशि लघु उद्योगों को सावधिक ऋण के रूप में मिल जायेगी।

लघु बचत

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अल्प-बचत-आन्दोलन में उत्तर प्रदेश प्रथम बार आयोजना के लक्ष्य से आगे बढ़ा है। चौथी आयोजना काल की कुल उपलब्धि 191 करोड़ रुपये है। सन् 1973–74 में अल्प बचत से 55 करोड़ रुपये संग्रहीत करने का लक्ष्य था, जब कि वास्तविक उपलब्धि लगभग 71 करोड़ रु0 है। योजना आयोग ने पांचवीं योजना के लिये 333 करोड़ रुपये का लक्ष्य नियत किया है, पर राज्य सरकार अधिक संसाधन जुटाने के लिये 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। इस प्रयोजन के लिये मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अगर वह अल्प-बचत-अभियान को सफल बनाने के लिए थोड़ा भी प्रयास करें तो इससे प्रदेश के लिये संसाधन जुटाने में बड़ी सहायता होगी।

कुछ मुख्य बातें

यद्यपि मैं विस्तार से पहले पर्याप्त उल्लेख कर चुका हूं, फिर भी मैं सारतः इस बजट में प्रदेश के विकास से संबंधित महत्व की कुछ विशिष्ट मदों का अलग से उल्लेख करना चाहता हूं:—

1—टेहरी बहु प्रयोजनीय योजना प्रदेश के भविष्य के लिये बड़ा महत्व रखती है। इसके पहले कि इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाय, सरकार पहले यह आवश्यक समझती है कि टेहरी बांध के निर्माण से प्रभावित सभी विस्थापितों के पुनर्वास का प्रबन्ध किया जाय और टेहरी नगर जो कि इस बांध से डूब जायेगा उसे अन्यत्र एक नये नगर के रूप में बसाया जाय। इन दोनों कार्यों के लिये एक करोड़ रुपये का इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया जा रहा है। साथ ही बांध के निर्माण-कार्य के लिये 5 करोड़ 50 लाख रु0 का प्राविधान है।

2—प्रदेश की जनता के लिए खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक निगम का गठन किया जा रहा है जिसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रु0 होगी। यह निगम बहुत बड़े पैमाने पर जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने के लिये क्रय-विक्रय का कार्य करेगा।

3—ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अन्तर्गत उप-केन्द्रों के स्तर पर अब तक दवा के लिये कोई रकम निश्चित नहीं थी। इस बजट के द्वारा प्रथम बार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 875 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संलग्न 7,000 ग्रामीण उप केन्द्रों में 2,000 रु0 प्रति उपकेन्द्र की दर से एक करोड़ 40 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है।

4—रिजर्व बैंक के निर्देश से एक कृषि ऋण स्थायीकरण निधि (Rural Credit Stabilisation Fund) की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत इस वर्ष एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है। इस निधि से आवश्यकतानुसार अल्पकालीन ऋण (Short-term Loan) को मध्यकालीन ऋण (Medium term Loan) में परिणत किया जा सकता है।

5—प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सम्पूर्ति व जलोत्सारण योजनाओं के लिये 4 करोड़ 25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

6—गंडक, रामगंगा व शारदा सहायक कमांड एरिया के क्षेत्रों के विकास के लिये दो करोड़ रुपये का प्राविधान इस वर्ष के बजट में किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के किसान अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

7—बाढ़ नियंत्रक कार्यों के लिये 2 करोड़ 76 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है।

8—यह निर्णय लिया गया है कि कानपुर नगर की सुरक्षा एवं जल सम्पूर्ति के लिये 22 करोड़ 78 लाख रुपये से गंगा बैराज बनाया जाय। कार्य प्रारम्भ करने के लिए एक करोड़ रुपये का इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया जा रहा है।

9—फजाबाद, बरेली व झांसी में विश्वविद्यालय खोलने के लिये बजट में प्राविधान किया जा रहा है।

10—कानपुर कृषि विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के लिये बजट में प्राविधान किया जा रहा है ताकि केन्द्रीय सरकार की अनुमति आ जाने पर कार्य प्रारम्भ हो सके।

11—आधुनिक मैनेजमेंट प्रशिक्षण के लिये मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना के निमित्त 30 लाख रुपये का इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया जा रहा है। यह इन्स्टीट्यूट केन्द्र द्वारा स्थापित किया जायेगा।

12—लखीमपुर-खीरी जिले में 2 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से एक जूट मिल की स्थापना की जायेगी। इस हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही के लिये इस वर्ष के बजट में 4 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

13—टेहरी गढ़वाल जिले में पर्वतीय विश्वविद्यालय का पर्वतीय प्रांगण (कैम्पस) स्थापित करने में 5 करोड़ रुपये लगेगा। इसके लिये वर्तमान बजट में 25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

14—एक सरकारी उर्वरक कारखाना "इफको" के माध्यम से लगाने का विचार है। इस कारखाने की लागत 110 करोड़ रु० होगी भारत सरकार, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के साथ हमारा भी 6 करोड़ रुपया अंश पूंजी में विनियोजन होगा। वित्तीय वर्ष 1974-75 में 6 करोड़ रुपये में से 50 लाख रु० अंश पूंजी में विनियोजित किये जाने का विचार है।

15—लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बनायी जाने वाली 15 सहकारी चीनी मिलों के लिये 3 करोड़ रु० की अंश पूंजी इस वर्ष के बजट में रखी गयी है। चार चीनी मिलें राज्य चीनी निगम द्वारा प्रस्तावित हैं और उनके लिये भी 1 करोड़ 70 लाख रुपये की अंश पूंजी का प्राविधान है।

16—पीतल-बर्तन निगम की स्थापना मुरादाबाद में किये जाने का निश्चय हो चुका है। इस हेतु इस वर्ष के बजट में 25 लाख रु० का प्राविधान किया गया है।

17—70 लाख रु० से औद्योगिक इकाइयों द्वारा डीजल-टर्बो-सेट्स लगाने पर सबसिडी दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

18—चमड़ा विकास निगम की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके लिये इस वर्ष के बजट में 25 लाख रु० की अंश पूंजी रखी गई है। इस निगम का मुख्यालय आगरा में होगा।

19—इलेक्ट्रानिक्स परीक्षण व विकास प्रयोगशाला, कानपुर की स्थापना का निर्णय हो चुका है और इसके लिये बजट में 10 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के लिये इस वर्ष के बजट म 47 लाख रु0 की अंश पूंजी की व्यवस्था है।

20—प्रदेश में खेलकूद निदेशालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिये बजट में प्राविधान किया जा रहा है।

21—सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिये यह निश्चय किया गया है कि दो नलकूप निगम स्थापित किये जायं—एक में मेरठ और आगरा प्रभाग सम्मिलित होंगे और दूसरे में लखनऊ तथा बरेली प्रभाग। वर्ष 1974–75 के बजट में उपर्युक्त दोनों निगमों में प्रत्येक के लिये राज्य सरकार द्वारा अंश क्रय किये जाने हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

22—नये उद्यमकर्ताओं को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिये सलाहकारी सेवा की आवश्यकता होती है। बड़े पूंजीपतियों की तरह उनके पास धन उपलब्ध न होने से वे कठिनाई में आ जाते हैं। अतः इस दिशा में सुविधा प्रदान करने के लिये उत्तर प्रदेश सलाहकारी निगम की स्थापना की जा रही है। इस निगम की प्रदत्त पूंजी 25 लाख रुपये होगी और उसके लिये इस बजट में 5 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है।

23—वन विकास निगम की स्थापना की जा रही है। इस कार्य के लिये इस वर्ष के बजट में 15 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

24—कोयम्बटूर की भांति गन्ने के अनुसंधान के लिये एक केन्द्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। आशा है, इसमें भारत सरकार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

25—खनिज विकास निगम की स्थापना की जा रही है। इस पर कुल विनियोग 1 करोड़ 50 लाख रु0 का होगा। इस वर्ष के बजट में 35 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है।

26—राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला, लखनऊ को एक निगम का रूप दिया जा रहा है। इसके लिये बजट म 30 लाख रु0 का प्राविधान किया जा रहा है।

27—प्रदेश में 22 फलों की राज्य, सहकारी व संयुक्त क्षेत्रों में स्थापना की जा रही है। इसके लिये 4 करोड़ रु0 की अंश पूंजी की व्यवस्था की जा रही है।

28—उत्तर प्रदेश भूमि सुधार व विकास निगम (बीहड़ व भू-सुरक्षा-विकास) के लिये 10 लाख रु0 का प्राविधान इस वर्ष के बजट म किया गया है।

29—शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन बनाने को शासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है इसलिये इस बंद लाइन को फिर से चालू कर बड़ी लाइन में बदलने के लिये भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा गठित संयुक्त निगम को 2 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है रेलवे बोर्ड इस कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करायगा।

30—शासन ने यह भी तय किया है कि हरिजनों, भूमिहीनों तथा बेघर लोगों के लिये बड़े पमाने पर आवास बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय जिसमें सामुदायिक विकास, राजस्व तथा हरिजन सहायक विभागों के सचिव तथा चीफ टाउन ऐंड कंट्री प्लानर भी हों। यह समिति आवश्यकतानुसार अपनी एक टीम केरल भी भेजेगी जिससे कि वहां के भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन, हरिजनों की आवास समस्या का समाधान तथा आवास कार्यक्रम में जनता का सहयोग इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो सके। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन आवश्यकतानुसार अपने कार्य म सुधार करेगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

31—छात्र समुदाय के हितवर्धन हेतु एक विद्यार्थी कल्याण परिषद का गठन करने का निश्चय किया गया है।

32—प्रदेश में लाखों लोग रिक्शा मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। जो मजदूर स्वयं रिक्शा मालिक होना चाहते हैं, उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। अस्तु, एक 'रिक्शा चालक लाइसेंस कारपोरेशन' का गठन करने का निश्चय किया गया है। इसके पूंजी व्यय के लिये सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने 50 लाख रुपया ऋण देने का प्रशंसनीय आश्वासन दिया है।

33—राज्य में एक ब्यूरो की स्थापना की गई है जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों से आवश्यक आंकड़े तथा सूचना प्राप्त करने के बाद, इन उद्यमों के कार्य का परीक्षण तथा समीक्षा करेगा। यह ब्यूरो ऐसे सभी उद्योगों के कार्य में एकरूपता लाने के विचार से उनमें सुधार लाने का भी प्रयास करेगा।

34—शासन ने यह भी तय किया है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिये विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त छात्रावास बनाये जायं। इन छात्रावासों के लिये 50 प्रतिशत रुपया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से और 50 प्रतिशत रुपया हुडको से प्राप्त किया जायेगा। शासन एक बड़े अंश स्वयं निर्धारित अवधि में हुडको को वापस करेगा।

35—विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो पिछले सालों से रुपये की कमी चली आ रही है उसको पूर्ण कर दिया जाय। अतः लगभग 1 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय को घाटा पूर्ति करने के लिये दिया गया है। आशा है इससे विश्वविद्यालयों के लिए विद्यार्थियों की आवश्यक सुविधाओं को देना सम्भव होगा।

36—विश्वविद्यालयों वाले नगरों में छात्रावासों तथा लाजों में रहने वाले विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिये यह प्रबन्ध किया गया है कि कंट्रोल में मिलने वाले आटा तथा आवश्यक वस्तुओं को सस्ते दर पर छात्रावासों में पहुंचा दिया जाय।

37—सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एक संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी का गठन किया गया है। राज्य के एक ज्येष्ठतम अधिकारी को कर्मचारी कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

कार्यान्वयन

पांचवीं आयोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन प्रदेश के लिये एक बड़ी चुनौती है। यदि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये समुचित व्यवस्था न होगी तो अत्यन्त तर्कसम्मत, समुचित तथा उत्साहवर्धक आयोजना भी प्रभावहीन हो सकती है। इस उद्देश्य से राज्य की आयोजना संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राज्य आयोजना आयोग में बड़े निपुण तथा अनुभवी विशेषज्ञ परामर्शदाता तथा सलाहकार नियुक्त किये गये हैं। राज्य आयोजना संस्थान ने गत वर्ष के दौरान तीन और डिवीजन खोले हैं जो प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सभी महत्वपूर्ण तत्वों जैसे, सूचना एकत्र करने, सामग्री की व्यवस्था करने तथा परियोजना बनाने और मूल्यांकन के संबंध में कार्यवाही करेंगे। संस्थान के विभिन्न डिवीजन बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। जनशक्ति नियोजन डिवीजन ने विशेषज्ञ से राज्य में प्रशिक्षित जन शक्ति का उपयोग करने, सेवारत प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करने और पांचवीं योजना अवधि में तकनीकी जनशक्ति की मांग तथा पूर्ति को निर्धारित करने के संबंध में कई अध्ययन कार्य आरम्भ किये हैं। इस कार्यक्रम का और विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। अर्थ एवं

संख्या निदेशालय को भी सुदृढ़ किया जा रहा है, क्योंकि पर्याप्त आंकड़ों के आधार के बिना कोई सार्थक योजना बनाना संभव नहीं है। इन आंकड़ों का शीघ्रता से तथा अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के विचार से संस्थान में एक कम्प्यूटर लगाया जा रहा है।

किन्तु योजना व्यवस्था का सुदृढ़ बनाया जाना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण प्रशासनतन्त्र में व्यापक सुधार करना आवश्यक होगा। इस मूल समस्या की ओर सविस्तार ध्यान दे तथा इसको शीघ्र सम्भव बनाने के लिए सरकार के मुख्यालय पर एक प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग ने प्रशासनिक सुधार के कतिपय उपाय पहले से ही प्रारम्भ कर दिये हैं और ऐसी आशा की जाती है कि वे इन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, विलम्ब न होने देने और सार्वजनिक कार्यों के अधिक तीव्र और प्रभावी निष्पादन को समग्र रूप से सुनिश्चित करने में प्रभावी सिद्ध होंगे। अत्यधिक महत्व के एक और पहलू पर यह विभाग अपना ध्यान दे रहा है जिसमें प्रशासन में विकेन्द्रीकरण तथा सचिवालय और विभागाध्यक्षों से क्षेत्रीय, जिला तथा परगना स्तर के अधिकारियों को निर्णय लेने के अधिकारों का पर्याप्त प्रतिनिधान (डेलीगेशन) संभव हो सकेगा। इसको प्रभावी बनाने के लिये इसके साथ वित्तीय अधिकारों का समान रूप से प्रतिनिधान किया जाना आवश्यक है। माननीय सदस्यों को इस क्षेत्र में लगभग गत दो वर्ष की गई समुचित प्रगति की निस्सदेह जानकारी होगी। प्रशासनिक विभागों तथा कार्यालयाध्यक्षों को काफी वित्तीय अधिकार दिये गये हैं तथा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि शासन के सभी स्तरों, निम्नतम स्तर पर वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रक्रिया का पूरा उपयोग किया जाता है। सचिवालय में बढ़े हुए वित्तीय अधिकारों के प्रस्तावोजन के साथ-साथ आंतरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किये गये हैं जिससे कि वे इन कर्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय विभागों की सहायता कर सकें। यह योजना जो कृषि उत्पादन, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभागों पर लागू की गयी थी, अब उद्योग, खाद्य और रसद शासन विभागों पर भी लागू की जा रही है।

इस दृष्टि से कि सदन के माननीय सदस्य और सम्बन्धित विभाग सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यकलापों का अच्छी तरह मूल्यांकन कर सकें, वर्ष 1970–71 में इस राज्य में कार्य सम्पादन बजट (परफारमेंस बजट) की प्रणाली लागू की गई थी। पिछले वर्ष तक इसके अन्तर्गत परिवार नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, उद्योग, कृषि, सहकारिता, गन्ना तथा सामुदायिक विकास विभाग आते थे। चालू वर्ष से इस योजना का प्रसार पशुपालन तथा मत्स्य पालन विभागों में किया जा रहा है और वे भी पहली बार इस सदन में कार्य सम्पादन बजट प्रस्तुत करेंगे।

हमने प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परियोजना की प्रगति से सम्बन्धित सामयिक सूचना न मिलने से हमारी कार्यशीलता में कुछ सीमा तक सामयिकता नहीं रहती। व्यय की प्रगति के सम्बन्ध में सूचना महालेखाकार से प्राप्त होती है, किन्तु सामान्यतः इस सूचना के मिलने में देरी हो जाती है जिससे व्यय नियंत्रण व संसाधन-प्रवाह के तारतम्य बनाये रखने में कठिनाई होती है। अब हमने अपनी योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत तथा सामयिक सूचना की व्यवस्था के लिये एक आंकड़ा प्रक्रिया केन्द्र (Data Processing Centre) की स्थापना की है। इस केन्द्र में आंकड़ों का संकलन होता है। अब सरकार को निर्णय लेने के स्तर पर विभिन्न शीर्षकों के अधीन व्यय के सम्बन्ध में लगभग एक माह के भीतर सूचना प्राप्त करना सम्भव होगा। अब हम इस प्रक्रिया को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि अन्ततः हम राज्य के भीतर कहीं भी निष्पादनाधीन प्रत्येक योजना तथा परियोजना को एक संकेत संख्या दे सकेंगे तथा उस योजना के कार्यान्वयन में प्रति माह की गई प्रगति इंगित कर सकेंगे। इससे हमारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति आसानी से मालूम की जा सकती है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सरकारी कर्मचारियों का कल्याण

योजनाओं का सफल कार्यान्वयन और जागरूक तथा कर्त्तव्यनिष्ठ प्रशासन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि सरकारी तन्त्र में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल कैसा है। उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य की दक्षता तथा उनके कार्य की प्रभावोत्पादकता काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि वे अन्य बातों से विक्षुब्ध हुए बिना अपने कर्त्तव्यों का पालन कर पाते हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य इस बात को इंगित करता है कि असंतोष के कारणों को स्वतन्त्र रूप से विचार विमर्श करके और परामर्श करके शीघ्रतापूर्वक दूर किया जाय। इस दृष्टिकोण से एक संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी बनाई जा रही है जो सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच पारस्परिक हित के सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच की व्यवस्था करेगी। राज्य के एक ज्येष्ठतम अधिकारी को कर्मचारी कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आशा है कि यह संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी शिकायत सम्बन्धी ऐसी एक प्रक्रिया बनायेगी जिसमें वास्तविक या काल्पनिक शिकायतें प्रशासनतन्त्र को दूषित न करने पायें और बढ़ न सकें।

सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों का समय से न निबटान असंतोष का कारण बन जाता है। ऐसे विलम्ब को कम करने तथा उन्हें यथासम्भव दूर करने के लिए विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के महालेखाकार, लखनऊ में एक शाखा कार्यालय खोल रहे हैं जो शुरुआत के तौर पर विधान मण्डल के सदस्यों तथा सचिवालय में तैनात कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतानों को प्राधिकृत करेगा। यह भी विचार है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिये अलग खाता-लेखे चालू करने के लिए आंकड़ा प्रक्रिया केन्द्र (Data Processing Centre) को उपयोग में लाने की सम्भावना की जांच की जाय। उद्देश्य यह है कि भविष्य में उन कर्मचारियों का वेतन-भुगतान जो राजपत्रित हैं चेकों द्वारा बैंकों से हो। इसके लिये कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण की तथा हमारे कोषागारों की मौजूदा लेखा प्रणाली के अभिनवीकरण (रिओरियन्टेशन) की आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की सेवायें भारत सरकार से प्राप्त की जा रही हैं।

सरकार उन कठिनाइयों से भी भली भांति अवगत है जो पिछले वर्ष या उसके कुछ समय पूर्व से रहन-सहन के बढ़े हुए व्यय के कारण राजकीय कर्मचारियों को उठानी पड़ रही हैं। इसे कठिनाई से कुछ राहत दिलाने के लिये सरकार ने उपाय किये। वेतन आयोग की संस्तुतियां स्वीकृत होने के अलावा मकान किराया भत्ता की दरों में भी काफी वृद्धि की गयी। 1 मई, 1 अगस्त और 1 अक्तूबर, 1974 से तथा 1 जनवरी, 1974 से महंगाई भत्ते में चार वृद्धियां भी स्वीकृत की गईं। मुझे इस बात की घोषणा करते हुए प्रसन्नता होती है कि अब 1 फरवरी, 1974 से महंगाई भत्ते में एक और वृद्धि स्वीकृत कर दी गई है। इसका परिणाम यह होगा कि 300 रु० से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, अध्यापक आदि अब अपने वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता पायेंगे और 301 रु० तथा 1,200 रु० के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारी अपने वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता पायेंगे और इस प्रकार महंगाई भत्ता कम से कम 60 रु० प्रतिमास तथा अधिक से अधिक 135 रु० प्रतिमास हो जायेगा। केवल इस महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिये लगभग 13.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा।

सरकार ने अल्प वेतन पाने वाले अपने उन सभी कर्मचारियों के लिये हाल ही में सीमा बढ़ा दी है जो अपने बच्चों के लिये शिक्षा-भत्ता पाने के हकदार हैं। नयी व्यवस्था के अनुसार 225 रु० तक वेतन पाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे अब यह शिक्षा-भत्ता पाने के हकदार होंगे।

सरकार के पास इस सम्बन्ध में समय-समय पर अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) किए गए हैं कि विभिन्न विभागों में पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं तथा सम्बन्धी सम्भावनाओं में असन्तुलन है। इसके फलस्वरूप भी सरकारी कर्मचारियों के कतिपय वर्गों में असन्तोष है। इस प्रश्न पर विचार करने तथा विभिन्न विभागों में पदोन्नति सम्बन्धी मौजूदा अवसरों की जांच करने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव के अधीन एक समिति बनायी है।

संसाधन

मंहगाई-भत्ता में जो बहुधा वृद्धियां की गई हैं उनके कारण राज्य के संसाधनों पर भार बहुत अधिक बढ़ा है जो कि वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप पहले ही से अधिक बढ़ा हुआ था। वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के कारण विश्वविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर डिग्री कालेजों के अध्यापकों के बढ़े हुए वेतन-क्रम स्वीकृत करने के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय लगभग 153 करोड़ रुपये होगा जिसमें से राज्य सरकार पर लगभग 142 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा। इस बढ़े हुए व्यय भार का अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वर्ष 1968-69 में राज्य का कुल वेतन-भत्ता बिल 123.59 करोड़ रुपया था जो बढ़कर वर्ष 1974-75 में लगभग 302 करोड़ रुपया हो जायेगा। यह वृद्धि इसलिए नहीं हुई कि केवल सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु इसका मूल कारण यह है कि पिछले दो सालों के अन्दर वेतन मानों में और मंहगाई भत्तों में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि इन्हीं पांच वर्षों में राज्य की कुल मिलाकर अपनी राजस्व आमदनी 260.52 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 395 करोड़ रुपये होगी। इससे स्पष्ट होता है कि अब राज्य की अपनी आमदनी का अधिकांश भाग केवल अपने कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते देने में व्यय हो जाता है।

माननीय सदस्यों की मांग बराबर मेरे पास आती है कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर सड़क बनाई जाय या नहर का जाल और बिछाया जाय या अन्य क्षेत्रीय विकास कार्य संपादित किए जायं। ऐसा करना स्वाभाविक भी है और सम्मानित सदस्यों की जनता के प्रति अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचायक है। पर इन सब विकास के कार्यों के लिए अधिकाधिक संसाधनों की आवश्यकता है। अतः जैसा कि मैं वोट आन एकाउन्ट प्राप्त करते समय अवगत करा चुका हूं, ऐसे संसाधनों का पता लगाने के लिये सरकार ने डा0 डी0 टी0 लकड़वाला, जोकि बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं और पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में प्रख्यात हैं, की अध्यक्षता में एक कराधान समिति नियुक्त की है जो इन प्रश्नों पर गहराइयों से विचार करेगी। इस समिति से यह कहा गया है कि वह राजस्व के न केवल नये-नये संसाधनों का पता लगाये वरन वह कर सम्बन्धी तथा कर से भिन्न राजस्वों के सम्पूर्ण ढांचे के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में भी सलाह दे। सम्मानित सदस्यों को ज्ञात ही है कि कृषि क्षेत्र से संसाधन जुटाने सम्बन्धी सुझाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त डा0 के0 एन0 राज कमेटी के सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। भूमि को किस्म या उपज के आधार पर वर्गीकरण कर भूमि-शुल्क या उपकर या शिक्षा उपकर लगाने के सुझाव भी अर्थशास्त्रियों ने दिये हैं। बहुत से विद्वानों एवं किसान प्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया है कि बजाय कोई ऐसा नया भूमि कर लगाने के जिसे साधारण किसानों को समझने एवं अदा करने या हिसाब लगाने में कठिनाई हो, सभी श्रेणी के किसानों से पहले की तरह मालगुजारी ही ली जाय। केन्द्रीय सरकार से भी हाल में ऐसा ही सुझाव प्राप्त हुआ है। सरकार ने इस प्रश्न को भी प्रो0 लकड़वाला समिति के विचारार्थ प्रेषित किया है। समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर इन सभी विषयों पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। इसके बीच सरकार आयोजना के लिये तुरन्त अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा कतिपय ऐसी कार्यवाहियां करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस राज्य के करदाताओं पर जो मौजूदा बोझ है उसे मैं पूर्ण रूप से समझता हूं। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हम लोगों को विकास सम्बन्धी उन विशिष्ट दीर्घकालीन कार्यक्रमों को जिनकी परिकल्पना हमने की है, कार्यान्वित करने तथा आवश्यक अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए मजबूर होना है तो हमें और अधिक बोझ स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बिना इस राज्य का सम्पूर्ण भविष्य खतरे में पड़ जायेगा।

1974-75 के बजट अनुमान

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि बजट सम्बन्धी जो साहित्य आज प्रस्तुत किया गया है उसमें बजट के वर्गीकरण में परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप लिये गये अखिल भारतीय निर्णय के अनुसरण में किये गये हैं।

बजट और लेखा सम्बन्धी पौराणिक वर्गीकरण का निकटतम सम्बन्ध लेन-देन करने वाले विभागों से है न कि उनके कृत्यों से। वर्गीकरण का पुराना ढांचा कदाचित उन सीमित कृत्यों के लिए पर्याप्त था जिनका निर्वहन सरकार द्वारा वर्षों पहले किया जाता था, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों का अधिक विस्तार होने के कारण इन कृत्यों में अधिक विस्तार व भिन्नता आ गई है और अब तक केवल व्यय के उद्देश्य के अनुसार व्यय के प्रति उत्तरदायी होने तथा उस पर नियंत्रण रखने पर जो बल दिया जाता रहा है उसके बजाय अब कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के संचालन पर बल दिया जाता है।

लेखा-सम्बन्धी नये वर्गीकरण के पांच स्तर अर्थात् "सेक्टर", "फंक्शन", "प्रोग्राम", "एक्टीविटी" और "स्टैन्डर्ड आब्जेक्ट आफ एक्सपेंडिचर' (व्यय की मानक मदें) हैं जिनसे बजट शीर्षकों और आयोजना शीर्षकों के बीच निकट सह-सम्बन्ध स्थापित करके लेखे का और अधिक सार्थक वर्गीकरण करना सम्भव हो जायेगा तथा सरकार के कार्यक्रमों तथा कार्य-कलापों का उचित रूप से विश्लेषण करना तथा उनका संचालन करना सुगम हो जायेगा। इससे कार्यक्रम निदर्शक बजट (परफार्मेन्स बजट) तैयार करने का कार्य भी सरल हो जायेगा क्योंकि कार्यक्रम निदर्शक बजट के लिए जो वर्गीकरण अपनाया गया है वह अधिकतर इसी प्रतिरूप पर आधारित है। तुलना की सुविधा के लिये 1972-73 के वास्तविक आंकड़ों तथा 1973-74 के बजट तथा पुनरीक्षित आंकड़ों को भी नये प्रतिरूप के आधार पर फिर से तैयार किया गया है।

एक और भिन्नता यह है कि जहां केवल तीन सीमान्त जिलों का खर्चा एक अलग प्रोग्राम के रूप में दर्शाया किया जाता था, वहां अब सीमान्त जिलों का आयोजनेतर एवं आयोजनागत दोनों प्रोग्रामों के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिससे केन्द्रीय सरकार से इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता मिलने में कठिनाई न हो।

इस वर्ष में प्रारम्भ से ही 23.41 करोड़ रु० का घाटा है। इसके अतिरिक्त 1973-74 के अन्त में हमारे ऊपर 12.44 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक आफ इन्डिया का अर्थोपाय था, जिसका प्रतिदान हमें चालू वर्ष के तुरन्त आरम्भ में करना पड़ा। वर्ष 1974-75 में पूंजी और राजस्व लेखे में कुल 863.0 करोड़ रुपया की प्राप्तियां होने का अनुमान है। इनमें से 683.75 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हैं और 180.34 करोड़ रुपये पूंजी लेखे की (ऋणों को सम्मिलित करके) प्राप्तियां हैं। जिन राजस्व प्राप्तियों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले 92.09 करोड़ रु० के सहायक अनुदान सम्मिलित हैं जिनमें से 38.07 करोड़ रु० राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए, 27.79 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए, 2.02 करोड़ रुपया आयोजनेतर योजनाओं के लिए, 3.10

करोड़ रुपये रेलवे यात्री भाड़ा पर कर के बदले में सहायक अनदान के लिये और 21.61 करोड़ रु० संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन सहायक अनुदान के रूप में हैं जिसे राज्य सरकार षष्टम वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अधीन पायेगी।

बजट वर्ष में राजस्व व्यय 692.27 करोड़ रु० होने का अनमान है जिसमें से 91.04 करोड़ रु० आयोजनागत योजनाओं (जिनमें केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित हैं) के लिये है।

पूंजी लेखे पर 211.10 करोड़ रु० व्यय होने का अनमान है जिसमें से 204.97 करोड़ रु० आयोजनागत योजनाओं (जिनमें केन्द्र द्वारा परोनिधानित योजनायें सम्मिलित हैं) के लिए है। इस प्रकार संहत निधि में कुल अनुमानित व्यय 903.37 करोड़ रु० होगा और अनुमानित प्राप्तियां 863.09 करोड़ रु० होंगी। बजट के अन्य वर्गों की सम्भावित 23.58 करोड़ रु० की शुद्धि प्राप्ति को हिसाब में लेकर बजट अनमानों में 16.70 करोड़ रु० की कमी है। पिछले वर्ष में 28.41 करोड़ रु० की कमी सम्मिलित करके हमारा यह अनुमान है कि वर्ष के अन्त में 45.11 करोड़ रु० की कमी पड़ेगी।

कराधान सम्बन्धी प्रस्ताव

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि हमें अपने बजट में घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की नितांत आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अनिवार्य है।

2—वर्तमान स्थिति में इस बात की गुंजायश है कि स्टाम्प शुल्क की दरों में थोड़ी वृद्धि की जा सके। अतएव यह निर्णय किया गया है कि दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरों में प्रति 10,000 रु० पर साम्यिक बन्धकों के लिए 28 रु० से 50 रुपये, बान्डस पर रु० 22.50 से रु० 37.50 प्रति 1,000 रु० तथा प्रति 1,000 रु० के हस्तांतरण पत्रों के लिये 45 रु० से 75 रु० की वृद्धि की जाय। अध्यादेश के माध्यम से इसे प्रभावी बनाया जा चुका है और विधान मण्डल के अनुमोदनार्थ आवश्यक विधेयक भी परःस्थापित हो चुका है। इससे चालू वर्ष में 3 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार मनोरंजन कर की दरों में भी 1 रुपये तक के टिकट पर 5 प्रतिशत और 1 रुपये से ऊपर के टिकटों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायगी। इससे चालू वर्ष में 1.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

3—विशिष्ट उपभोग की कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें सामान्यतः समाज का धनिक वर्ग ही इस्तेमाल करता है। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी विशिष्ट उपभोग की वस्तुओं पर 2 प्रतिशत तक बिक्री-कर में वृद्धि की जाय। इन परिवर्तनों को अन्य निर्णयों के साथ-साथ अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य में नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के प्रसंग में यह निर्णय लिया गया है कि उनके द्वारा कच्चे माल तथा संघटक सामान पर देय बिक्री-कर के सम्बन्ध में रियायत के ढांचे में परिवर्तन किया जाय। अतः अब पर्व रूपरेखा के स्थान पर नई इकाइयों को पिछड़े हुए जिलों में निर्माण के दिनांक से 5 वर्षों के लिए और अन्य जिलों में 3 वर्ष तक कच्चे माल और संघटक सामान पर केवल 2.5 प्रतिशत बिक्री-कर देना होगा। यह आशा की जाती है कि बिक्री-कर के सम्बन्ध में इन सभी उपायों से इस वित्तीय वर्ष में 7.50 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

4—सरकार की मद्य निषेध की नीति पहले से ही है। अब टेक चन्द समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आबकारी कर के ढांचे में परिवर्तन किया गया है जिसका उद्देश्य मद्य-निषेध को प्रोत्साहन देना और जनता को शराब से यथासम्भव विमुक्त करना है। आबकारी क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति अनुमानित है। यह सदन कृपा पूर्वक इस प्रसंग में स्वीकृति देते हुए दो संशोधन विधेयक पारित कर चुका है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

5--सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के लिए कर की दर में 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इस समय भारी गाड़ियों की भार क्षमता 15 टन तक सीमित है। लगभग सभी अन्य राज्यों में भारी गाड़ियों की भार क्षमता 20 टन है। अतएव इसे यहां भी 20 टन तक बढ़ाया जा रहा है। इससे यह सीमा दूसरे प्रदेशों के समकक्ष हो जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि पथ कर में 25 प्रतिशत तक की सामान्य वृद्धि की जाय। लेकिन कम्पनियों की स्वामित्वाधीन गाड़ियों पर लगाया जाने वाला पथ कर उसी श्रेणी की गाड़ियों पर लगने वाले सामान्य कर की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक होगा। इस सम्बन्ध में विधेयक शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। अनमान है कि उपर्युक्त उपायों से चालू वर्ष में 3.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

6--थोड़े दिनों से राज्य के कुछ नगरों में विभिन्न सुख साधनों से सज्जित बड़े तथा महंगे होटल बन गये हैं। यहां समाज का सम्पन्न वर्ग आता जाता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे होटलों में प्रशुल्क (टैरिफ) पर कर आरोपित किया जाय। होटल प्रशुल्क पर कर की दरें 50 रुपये से 100 रुपये प्रति दिन के होटल प्रशुल्क पर 3 प्रतिशत; 101 रुपये से 150 रु0 प्रतिदिन के होटल प्रशुल्क पर 5 प्रतिशत, तथा 151 रुपये और इससे अधिक प्रतिदिन के होटल प्रशुल्क पर 7 प्रतिशत होगी। इससे चालू वर्ष में 6 लाख रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।

7--उपर्युक्त उपायों से कुल मिलाकर चालू वर्ष में 30.81 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

8--यद्यपि उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, किन्तु इस प्रदेश में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन देश के अन्य राज्यों, खासकर महाराष्ट्र और तामिलनाडु के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए यह आवश्यक है कि गन्ने की अच्छी और अधिक उपज वाली किस्मों के अनुसंधान और विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। राज्य में चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है। हमारे बहुत से प्लांट पुराने हो गए हैं और उनका आधुनिकीकरण करने में पर्याप्त धन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। नई शकर की मिलें स्थापित करने के लिए संसाधन भी ढूंढने होंगे। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि गन्ने पर भी क्रय-कर एक रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाय, जैसा कि महाराष्ट्र और तामिलनाडु में है। इस मद में प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। इस अतिरिक्त आय को "केन रिसर्च ऐंड डेवलपमेन्ट फण्ड" तथा "शुगर फैक्टीज रिहैबिलिटेशन, माडर्नाइजेशन एण्ड इस्टैबिलिशमेंट फण्ड" नामक दो निधियों में जिन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव है, आवंटित किया जायगा। इस बारे में भारत सरकार से परामर्श हो रहा है।

9--सदन को यह अवगत कराना भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि शासन ने हाल ही में कर-नीति एवं कर-पद्धति में परिवर्तन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:--

(1) लेवी योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले गेहूं पर क्रय-कर से मुक्ति--कई क्षेत्रों से यह मांग आयी है कि इस वर्ष अगर गेहूं का बाजार भाव घटाना हो तो सरकार द्वारा लेवी से प्राप्त किए जाने वाले गेहूं पर 4.5 प्रतिशत क्रय-कर न वसूल किया जाये ताकि इसका भार उपभोक्ता पर न पड़े। शासन ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। लगभग 7.44 टन गेहूं की वसूली के लक्ष्य को देखते हुए क्रय-कर से दी जाने वाली छूट लगभग 4 करोड़ रुपये होगी।

(2) जूता बनाने वाले श्रमिकों को राहत--इस समय प्रदेश में आगरा जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों में बहुत से जूता बनाने वाले छोटे निर्माता और कारीगर अपने जूतों को

आढ़तियों को बेंचते हैं। चर्मकार श्रमिकों को कम पैसा मिलता है मगर व्यापारियों द्वारा जूते काफी ऊंची कीमत पर बेचे जाते हैं। वर्तमान पद्धति के अनुसार कारीगरों को बिक्री-कर देना पड़ता था और क्योंकि वे कम पढ़े-लिखे होने के कारण हिसाब-किताब नहीं रख सकते थे इसलिए उन्हें कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता था। अतः शासन ने चर्मकार श्रमिकों को राहत देने के उद्देश्य से जूतों पर बहुसूत्री बिक्री-कर की जगह बहुसूत्री क्रय-कर लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से कर देने की जिम्मेदारी व्यापारियों की होगी और श्रमिक मुक्त हो जायेंगे।

(3) भूमि भवन कर अधिनियम का निरसन--भूमि भवन कर के निरसन के बाद नागरिक जनता को ढाई करोड़ रुपये की छूट मिल गयी है।

10--उपर्युक्त सभी प्रस्तावों के परिणामस्वरूप शेष घाटा 18.30 करोड़ रुपये रह जायेगा।

अप्रत्याशित आपदाओं से या मंहगाई भत्ते के बढ़ने से कुछ व्ययभार और बढ़ सकता है। लेकिन इसका सही अनुमान लगाना इस समय कठिन है। भारत के विभिन्न राजनैतिक दल इस बात से सहमत हैं कि घाटे के बजट से मूल्यों में वृद्धि हुई है। अतः हमारा विश्वास है कि सदन और प्रदेश की जनता इसकी पूर्ति में हमारा साथ देगी।

प्रदेश की जनता से इस अतिरिक्त भार को वहन करने की अपेक्षा करते समय मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि जनता यह भी चाहेगी कि सरकार स्वयं अपने व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययता बरते। तदनुसार मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये जा चुके हैं। नये आयोजनेतर पद अब केवल मंत्रि परिषद् की स्वीकृति से ही सृजित किये जा सकते हैं। इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सरकारी भवनों के नवीकरण तथा मरम्मत पर सभी खर्चों में 25 प्रतिशत की कमी कर दी जाय और मरम्मतों के ऐसे कार्य जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, यथा सम्भव चालू वित्तीय वर्ष के व्यय में सम्मिलित न किए जायं। सरकारी समारोहों में आतिथ्य सत्कार (इन्टरटेनमेंट) में पूर्ण रूप से मितव्ययता बरती जायगी। पेट्रोल आदि की मूल्य वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि सामान्यतया कोई नई स्टाफ कार या गाड़ी नहीं खरीदी जायगी। अपवाद स्वरूप यदि कोई गाड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो वह भी केवल मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही खरीदी जा सकेगी। आय-व्ययक में पेट्रोल इत्यादि के लिए वर्ष 1973–74 के स्तर के आधार पर ही प्राविधान किया गया। मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए गाड़ियों के प्रयोग में परिणाम स्वरूप काफी मितव्ययता हो जायगी।

यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे अकार्यात्मक (नान-फंकशनल) भवनों का, जो प्लिंथ के ऊपर अभी नहीं बने हैं, निर्माण कार्य रोक दिया जाय। इसी प्रकार, इस वर्ष किसी नये अकार्यात्मक भवन का निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायगा। इस में भी यदि कोई अपवाद करना होगा तो उसके लिए वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री की स्वीकृति भी विशिष्ट रूप से प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

सरकारी आवासीय टेलीफोनों से की जाने वाली निःशुल्क कालों की संख्या सीमित करने के आदेश पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। यह भी निश्चय कर लिया गया है कि एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधा केवल विभागाध्यक्षों, शासन के सचिवों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों तक ही सीमित रहेगी।

यह भी निश्चय किया गया कि कतिपय अन्य लोकतांत्रिक उन्नत देशों में लागू 'एक्सचेकर कन्ट्रोल' की भांति यहां भी व्यय नियन्त्रण की प्रणाली लागू की जाय। प्रारम्भ में यह प्रणाली सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई और वन विभागों में, जहां चेकों द्वारा बड़े भुगतान किए

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जाते हैं, लागू की गई है। इस प्रणाली का संचालन मासिक साख-पत्रों (लेटर्स आफ क्रेडिट) द्वारा किया जायगा जो प्रत्येक संवितरण अधिकारी के लिए निर्धारित कर दिये जायेंगे और उस अधिकारी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह अपना मासिक व्यय इस प्रकार निर्धारित की गयी साख की सीमा तक ही सीमित रखें। साथ ही इस बात की भी सावधानी बरती जायगी कि कार्य की प्रगति में कोई रुकावट न आये और उपयोग न की गई साख-सीमा जो आगामी महीनों के लिए उपलब्ध करा दिया जाय। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष अपनी विभिन्न अधीनस्थ यूनिटों में, प्रत्येक यूनिट की कार्य की प्रगति के अनुसार, साख-सीमाओं का पुनः आवंटन भी कर सकेंगे। उनके लिए केवल यह प्रतिबन्ध होगा कि उस मास की कुल सीमा में कोई वृद्धि न होने पाये। इस प्रणाली से राज्य वित्त मण्डल द्वारा स्वीकृत कुल आय-व्ययक व्यवस्था का पालन सुनिश्चित हो जायगा। इसका यह लाभ भी होगा कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में अधिक व्यय करने की भावना में कमी आयेगी और निर्माण कार्यों में वर्ष भर गति से कार्य करने की परम्परा को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यहां पर यह उल्लेख कर दूं कि देश के कुछ अन्य राज्यों में यह प्रणाली पहले से ही लागू है और इस प्रदेश में अन्य विभागों में भी यथा-समय इसे लागू करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त समस्त आयोजनेतर व्यय की सम्परीक्षा प्रारम्भ कर दी गई है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि नई मांगों की अनुसूची द्वारा सदन के समक्ष इस वर्ष केवल 3.34 करोड़ रुपये शुद्ध की आयोजनेतर मदें प्रस्तुत की गई हैं जबकि पिछले वर्षों में इन मदों में काफी अधिक धनराशि की मांगें पेश की गई थीं। फिर भी, आयोजनेतर व आयोजनागत व्यय के पुनर्परीक्षण का कार्य यहीं समाप्त नहीं होगा बल्कि उसे वर्तमान वचनबद्ध मदों पर भी लागू कर दिया जायगा और यह आशा है कि इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त बचत सम्भव हो सकेगी। सरकारी देयों की बकाया की वसूली तीव्र गति से कराने के लिए भी सरकार कृत संकल्प है।

निष्कर्ष

मैंने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सम्भावित वित्तीय स्थिति का संक्षेप में उल्लेख कर दिया है। यह स्पष्ट है कि अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके और भारत सरकार की सहायता से ही, जिसकी मिलने की हमें पूर्ण आशा है हम अपनी वर्तमान प्रशासनिक व्यय और साथ ही विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं, दोनों की आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ होंगे।

हम सब एक रहेंगे

आज सारा विश्व हमारी ओर निहार रहा है कि हम किस प्रकार लोकतान्त्रिक संविधान व पद्धतियों को निभाते हुए संसार व्यापी अर्थ-संकट का सामना करते हैं और अपने मान्य सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए और राष्ट्रशक्ति को सबल बनाते हुए आत्म-निर्भरता प्राप्त करते हैं। इस सम्बन्ध में विकास व निर्माण के लिए अणुशक्ति के उपयोग करने की जो विलक्षण टेकनिकल क्षमता हमारे देश के अणु-विशेषज्ञों ने शांतिपूर्ण भूगर्भीय विस्फोट करके प्रदर्शित की है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय व प्रेरणादायक है। इस महान् उपलब्धि का श्रेय हमारे अनन्यतम नेता स्वर्गीय पंडित नेहरू को है जो एक भविष्य-द्रष्टा के रूप में अणु-शक्ति के क्षेत्र में भारत की भावी स्थिति की बहुत पहले परिकल्पना कर चुके थे। इस दिशा में हमें अपने विश्व-विख्यात वैज्ञानिक स्वर्गीय डा० भाभा और डा० साराभाई को भी नहीं भूलना चाहिये जिनके सतत प्रयास, श्रम और प्रतिभा के कारण इतने अल्प समय में हमारा देश अणुशक्ति के विकास के इस चरण तक आ सका। इस स्थल पर मैं आपके माध्यम से और इस सम्मानित सदन व शासन की ओर से डा० सेठना, डा० रमन्ना व उनके सभी सहयोगियों को उनकी महान् उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। इस पुण्य भूमि नैमिष के निकटतम प्रदेश होने के नाते

हम उत्तर प्रदेश के निवासियों का यह महान् दायित्व है कि हम भविष्य के निर्माण के लिए भूतकाल के अनुभवों के आधार पर वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करें। पिछले आम चुनाव में जनमत का विश्वास प्राप्त कर इस सम्मानित सदन के जनप्रतिनिधियों को शांतिपूर्ण परिवर्तन एवं त्वरित विकास की प्रक्रियाओं को पूरा करने में महान् नेतृत्व प्रदान करना है। मुझे विश्वास है कि चाहे हमारी कोई राजनैतिक विचारधारा हो, हमारा कोई भी विश्वास हो, अपनी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हम सब एक हैं। समय-चक्र के अनन्त संदर्भ में यह बजट प्रगति के अविराम पथ पर हमारा एक महत्वपूर्ण कदम मात्र है। हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसी आवाहनकारी मनोभावना के सम्बल को लेकर मैं आपसे सविनय आग्रह करता हूं कि आप कृपया इस बजट को स्वीकार करें।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री स्वतन्त्रवीर सिंह जुनेजा को हार्दिक धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जो अपने गुरुतर कर्त्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे इस बजट के तैयार करने में बहुमूल्य सहायता दी है।

मैं वित्त विभाग के विशेष सचिव, श्री राज कुमार भार्गव, तथा बजट अधिकारी श्री एस० के० गोयल को भी उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट तैयार तथा संकलित करने के काम में सहायता दी। मैं भाषा तथा सूचना विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक श्री अशोक दर, संयुक्त अधीक्षक श्री जगदीश स्वरूप गुप्त (जिन्होंने वोट आन अकाउण्ट के समय काम किया), वर्तमान संयुक्त अधीक्षक श्री दयाशंकर श्रीवास्तव व अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

श्रीमन्, मैं वर्ष 1974–75 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

शक सम्वत् ज्येष्ठ 21, 1896
तदनुसार 11 जून 1974।

बजट साहित्य के विवरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों के बजट साहित्य लेने के लिए यह कार्यक्रम है। सभी महिला सदस्याएं 'हां' कक्ष से प्राप्त करेंगी। इसके अलावा उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़, जिलों के सभी माननीय सदस्य 'हां' कक्ष से अपना साहित्य ले लें तथा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रूखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा देहरादून जिलों के सम्मानित सदस्य एवम् नाम निर्देशित सदस्य श्री ग्राइस अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उठकर अपना साहित्य 'नहीं' कक्ष से ले लें। यह साहित्य उन्हें दस्तखत करके लेना होगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के दो प्रश्न आज आए हैं। एक तो माननीय मलखान सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के बारे में भेजा है। इसको मैं स्पष्टीकरण मांगने हेतु उन्हें लिख रहा हूं। उसका जवाब आ जाएगा, तब इस पर हम विचार करेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक व श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा बेनी प्रसाद द्वारा केन्द्रीय मन्त्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल व डी0 ए0 वी0 पी0 के डायरेक्टर के विरुद्ध "करे कोई भरे कोई" नामक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा माननीय सत्यप्रकाश मलिक, शतरुद्ध प्रकाश तथा बेनी प्रसाद वर्मा ने केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन एवम् प्रचार विभाग द्वारा प्रकाशित 'दंगाफसाद करे कोई भरे कोई' नामक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सूचना एवम् प्रसारण मंत्री, श्री इन्द्रकुमार गुजराल और डी0ए0 वी0पी0 के डाइरेक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। उस पुस्तक में—"दंगा फसाद करे कोई मरे कोई" में लिखा हुआ है :—इस विश्लेषण में काफी सच्चाई है कि राजधानी पटना सहित बिहार के कुछ हिस्सों में हुए हिंसक उपद्रव और लखनऊ में नई विधान सभा के अधिवेशन के पहले दिन की अप्रिय घटनाओं तथा गुजरात में जनवरी, फरवरी की घटनाओं में कुछ समानता है।

उत्तर प्रदेश में भी विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो अशोभनीय नाटक खेला गया, उसके प्रमुख पात्र भी विपक्ष के विधायक ही थे। राज्यपाल को अपने कर्त्तव्य पालन से रोकने के अपने निर्णय के अनुसार उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति छीन ली। क्या यह सब संसदीय परम्परा के अनुकूल है। इसके बाद हिंसा और बड़े पैमाने पर सरकारी तथा गैर सरकारी सम्पत्ति की बर्बादी हुई है। यह सब उन लोगों की कार्यवाही का परिणाम था, जिन्होंने बड़ी दृढ़ता से घोषणा की थी कि वे लोकतांत्रिक प्रणाली चलने नहीं देंगे।

अब यह सवाल आपके सामने है कि क्या यह प्रकाशन जो केन्द्रीय सूचना मंत्री और डी0ए0वी0पी0 द्वारा किया गया है, उससे विशेषाधिकार का हनन होता है अथवा नहीं? माननीय सदस्यों का कथन यह है कि सदन के अन्दर कही गयी बातों और किये गये आचरण को अशोभनीय नाटक कहना और उसे अन्य प्रान्तों की हिंसक घटनाओं से जोड़ कर एवं गलत उद्देश्य तलाशना पूरी तरह तथा स्पष्ट तौर पर विधान सभा के विषेशाधिकारों का हनन है। माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि सदन में किये गये कार्यों को लोकतंत्र विरोधी कह कर तथा यह दरशा कर कि विधायक लोकतन्त्र को मिटाना चाहते हैं इसलिये जनता उन्हें सबक दे, उनके विशेषाधिकार का हनन व सदन का अवमान किया गया है। महेश्वर नाथ कौल तथा श्यामलाल शकधर की "पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ट 159 पर कहा गया है कि लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों का अनुच्छेद 87 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिये एक साथ समवेत होना लोक सभा की बैठक नहीं मानी जाती। इस सम्बन्ध में उक्त पृष्ठ पर एक फुटनोट में केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष श्री अब्दुल रहीम के निर्णय

का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार है। श्री अब्दुल रहीम साहब कहते हैं—"मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कम से कम मेरे एक पूर्वाधिकारी सर फ्रेडरिक व्हाइट ने स्पष्ट रूप से यह राय प्रकट की थी कि जब गवर्नर जनरल धारा 63 (ख) के अन्तर्गत विधान सभा के सदस्यों या विधान परिषद् तथा विधान सभा के सदस्यों के सामने अभिभाषण देता है तो वह न तो विधान सभा की बैठक होती है और न दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और सभा की बैठक विधिवत् रूप से गठित तभी मानी जाती है जब अध्यक्ष अपने आसन पर बैठा हो। मैं सर फ्रेडरिक व्हाइट के इस विचार से सहमत हूं। यह मनानीय रहीम साहब का आब्जर्वेशन है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आप की बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। आप व्यवस्था कर दीजिये।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

आप सचिव महोदय से पढ़वा दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

आप इधर-उधर जा रहे हैं इसलिये व्यवधान है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष 19 मार्च, 1974 को राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था वह संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अन्तर्गत था। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम 14 में यह उपबन्ध है कि सदन का उपवेशन तभी विधिवत गठित होगा जब कि अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन न हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन के उपवेशन में पीठासीन होने के लिए सक्षम हो। अतः 19 मार्च, 1974 को जो विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा अभिभाषण किया गया था वह विधान सभा का कोई अधिवेशन नहीं था और उसमें कही गयी किसी बात को विधान सभा की बैठक में कही गयी बात नहीं मानी जा सकती। अतः माननीय सदस्यों द्वारा इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न उठाना कि सदन के अन्दर कही गयी बातों तथा किये गये कार्यों की आलोचना की गयी है, ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन का कोई उपवेशन ही नहीं हो रहा था।

इसके अतिरिक्त उस दिन कुछ माननीय सदस्यों का जो आचरण रहा था जिसमें उन्होंने महामान्य राज्यपाल के हाथ से अभिभाषण की प्रति छीन ली थी और यह प्रयत्न किया था कि वे विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित न कर सकें यह ऐसा आचरण था जो सदन के सदस्यों की मर्यादा के अनुकूल नहीं था और यदि सदन चाहता तो उसका संज्ञान ले सकता था।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

आप निर्णय दे रहे हैं क्या ?

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

निर्णय के पहले हम लोगों को बोलने दीजिये।

श्री रामसेवक यादव--

यह आप का निर्णय हो जाता है। निर्णय देते वक्त उन्होंने जो तथ्य दिया है आप उनकी बातें सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने पूरा पढ़ दिया और इसके ऊपर जो हमारे देश के लोक सभा और विधान सभाओं के अध्यक्ष हैं, उनकी राय बता दी। अब प्रश्न यह है कि स पर बहस होगी कि वह विधान सभा का अधिवेशन था। अगर यह होता तो इसका कुछ संज्ञान दिया जा सकता था। लेकिन इस बात पर क्या बहस हो जब यह कहा जाय कि वह विधान सभा का अधिवेशन नहीं था और उसके लिये नजीर दे रहा हूं, ो प्रश्न कहां उठता है। किसी प्रेस अधिकारी को भाषण का स्वातंत्र्य है और आपके कार्य पर, आपके व्यवहार पर क्या वह यह कह सकता है कि "अशोभनीय नाटक" था और कोई बात नहीं कहता है। मैं इसको रख रहा हूं। मान लीजिए कि किसी समाचार पत्र ने अशोभनीय कहा और आपके देश में अन्यत्र बहुत सी बातें कही जा रही हैं विधान सभा के बारे में तथा सदस्यों के बारे में कही जा रही हैं तो मामला बहुत आगे गया है। अगर आप यह चाहते हैं कि कहीं किसी ओर से यदि अशोभनीय नाटक कहा जाये तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो सकता है तो प्रेस की स्वाधीनता को भी कुछ सीमित किया जाता है। यह प्रश्न है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं कि जो अधिवेशन राज्यपाल द्वारा आहूत किया गया था वह विधान सभा का अधिवेशन था या नहीं। लेकिन जब हम राज्यपाल के आमंत्रण पर यहां अधिवेशन में शिरकत करते हैं तो हमारे विशेषाधिकार संरक्षण में रहते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा के कार्य के संबंध में रहते हैं। वहां तो गवर्नर ने कभी कोई कार्यवाही की है, उस समय की बात को बता रहे हैं।

श्री सत्यपाल मलिक--

श्रीमन्, मेरा जो तर्क है पहले उसे आप सुन लें तो आसानी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

उसे छोड़ दीजिये। देखना यह है कि यह प्रश्न बनता है या नहीं।

श्री सत्यपाल मलिक--

सिर्फ अशोभनीय का ही सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई कुछ कहे तो आप उसके काम के बारे में ही आलोचना करते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक--

एक चीज मैंने आपके सामने रखी। आप मुझे केवल दो मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी प्रस्तावित कर रहा हूं जो अध्यक्ष के अधिकार हैं। मैं आपके सामने इस पहलू की पूरी तस्वीर रख रहा हूं। इसके बाद आप सिद्ध करेंगे कि वह अधिवेशन मेरे अधीन था,

तब आगे मामला बढ़ेगा। अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यह तो मैंने उदाहरणार्थ रख दिया है। फिर भी सवाल उठता है कि संसदीय है या नहीं। यह स्थिति है। अगर उस समय गवर्नर चाहता तो संज्ञान ले सकता था। ऐसी भी नजीरें हैं। जब गवर्नर ने भाषण दिया है और कहीं कोई बात होती है तो उसको संज्ञान, काग्नीजेंस लेता है।

चौधरी चरणसिंह (जिला मेरठ)--

श्रीमन् जब आप कुछ फरमा रहे हों तो बीच में खड़ा होना गुस्ताखी है। लेकिन जब आप पढ़ चुके होंगे तो जो कुछ आपका निर्णय होगा यह आपकी रूलिंग तो नहीं होगी। शोभनीय तथा अशोभनीय का सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं कि उस समय हाउस नहीं था तो माननीय सदस्यों को अपनी राय जाहिर करने का मौका होगा या नहीं। यह है सारा सवाल।

श्री अध्यक्ष--

यह राय अब तक थी। अगर आप यह सिद्ध कर सकें कि वह विधान सभा का अधिवेशन था या तर्क दे सकें तो यह अलग बात है। अभी तो मैंने एक स्थिति को स्पष्ट करते हुए उदाहरण आपके समक्ष रखा है। मुझे स्मरण पड़ता है कि राजस्थान में हुआ। वहां गवर्नर साहब ने तुरन्त कार्यवाही की। लोक सभा में, वहां भी राष्ट्रपति ने कार्यवाही की। तो यह स्थिति है। इस सम्बन्ध में वही मैं कह रहा हूं लेकिन सदन के किसी एक भाग या दल विशेष के लिए मान हानिकारक शब्दों के प्रयोग को सदन का अवमान नहीं समझा जाता क्योंकि उनका प्रभाव सारे सदन पर नहीं पड़ता। इस सम्बन्ध में महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 247 पर निम्नलिखित उद्धरण दृष्टव्य है :--

"लोक सभा में एक मामला हुआ था, जिसमें समाचार पत्रों के अनुसार एक राजनीतिक नेता ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि विधान मंडल में एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लेगा और ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका का कोई अच्छा साधन नहीं है। अध्यक्ष श्री अय्यंगर ने इस विशेषाधिकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष श्री अय्यंगर ने ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष के निम्नलिखित विनिर्णय का हवाला दिया। वह मामला डेली मेल में छपे एक सार्वजनिक भाषण में सभा के एक भाग को पागल टीरो -जलील-बदमाश और पाजी की संज्ञा दी गई थी। व्यक्तियों तथा दलों के लिये प्रयुक्त किये गये कठोर शब्दों के संबन्ध में आवश्यक हो तो, मानहानि विषयक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार भंग का मामला तभी उठता है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग सारी सभा के लिये किया गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन बुरे विशेषणों का प्रयोग कुछ लोगों के लिय किया गया है। इसलिये मेरे विचार में इन शब्दों के आधार पर प्रत्यक्षतः विशेषाधिकार भंग का कोई मामला नहीं उठता।

अब मैं इस सवाल को आपके अध्ययनार्थ छोड़ रहा हूं। आज नहीं हो सकेगा। आज मैंने इसको रख दिया है। अब आप अध्ययन कीजिये क्योंकि यह नई नीति, नई परिपाटी का विषय होगा इसलिये इसे अगले दिन लेंगे। इसको छुट्टी के बाद लेंगे। जिससे इस पर आप अध्ययन कर लें।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

तो क्या सारे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के कंनबेंशन्स को अपना सकते हैं।

श्री राम सेवक यादव—

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको कल ले लें, क्योंकि मेरा विचार है कि यह जो 18 से आम बजट पर चर्चा चलेगी और उसमें दिन बटे हुये हैं जिसकी वजह से समय नहीं मिल पायेगा। इसलिये कल ले लें।

श्री अध्यक्ष—

कल ले लेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक—

कापियां सब सदस्यों को उपलब्ध हो सकें तो अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष—

कैसे संभव है। इसे तो पढ़ दिया। तो जब आप विशेषाधिकार का सवाल देंगे तो उसे 10–15 दिन रोक रखें तब हम उसको छपवायें। तब आपका काम रुकेगा तो जो अभीष्ठ है वह सिद्ध नहीं होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर विलम्ब से मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे अवसर नहीं मिला। मैं आपका ध्यान नियम 32 को ओर आकर्षित करना चाहता है।

मान्यवर, आप हर वक्त कहा करते हैं कि नियम यह है, नियम का पालन होना चाहिये। मान्यवर, उसको पढ़ लें मैं कुछ नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ देता हूं। नियम 32–लिखित उत्तरों की प्रतियां सदस्य को उपलब्ध करना प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत हों उस दिन का उपवेशन होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध कर दी जाय। उत्तर संबद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इसमें लिखा है कि प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध कर दी जायगी। उत्तर संबद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में यह बात तय हो जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं एक बात बताऊं कि जब कि आप सीधे उस पर बोलते हैं तो हम तो नहीं सुन पाते हैं और माननीय सदस्य भले सुन लेते होंगे। दूसरी बात यह कि उत्तर हमको एक रोज पहले मिलना चाहिये। कार्य मंत्रणा समिति इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है। इसको क्यों कार्य मंत्रणा समिति में रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार तो होगा ही। कार्य मंत्रणा समति में आप हम बैठ करके बहुत सी बातें तय करते हैं। बाहर की विधि का भी अनुसरण करते हैं और उस पर विचार कर

लेते हैं । उसमें कठिनाई हो तो वह भी समिति की बैठक में आ जाती है । जहां तक नियम के पालन का प्रश्न है, नियम का पालन तो होगा ही ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं तो मान्यवर, यह कहना चाहता था कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें प्रश्नों के बारे में हम कहां तक न्याय कर पाते हैं । प्रश्नकर्ता कहां तक अपने प्रश्नों का उत्तर पाते हैं । सबसे पहले मान्यवर प्रश्नों के बारे में आपको ही सन्तुष्ट होना है । अगर मान्यवर आप न सन्तुष्ट होंगे तो कैसे काम चलेगा ।

श्री अध्यक्ष---

संतुष्ट और असन्तुष्ट का सवाल आपके लिये है । मैं यहां बीच में बैठा हूं । लेकिन जब असंतुष्ट आप हुए तो उस पर कार्यवाही मैंने की । उन दोनों सवालों को स्थगित कर दिया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, हम सवाल करते हैं आम का, तो उत्तर दे दिया गया इमली का । मान्यवर अध्यक्ष को कितना अटेंटिव रहना पड़ता है प्रश्नों के मामलों में कि मंत्री महोदय हमारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दे रहे हैं कि नहीं । सन्तुष्ट पहले आपको होना है । दूसरी बात की आग्रह मेरा यह है कि इस नियम 32 का पालन किया जाय । मान्यवर यह नियम बनाया गया है कुछ समझ बूझ कर । एक प्रश्न हमने पूछा हम कौन सा और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं नहीं कर पाये । हम अपने सवाल के सम्बन्ध में पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाये । मान्यवर से कार्य मंत्रणा समिति पर न छोड़ें ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है । नियम का पालन होगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, आप कह रहे हैं कि इसको कार्य मंत्रणा समिति पर छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप तय नहीं करना चाहते हैं और कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर कहता है तो उस नियम के बार म तुरन्त कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

श्रीमन् जब नियम है तो फिर आप इसे कार्य मंत्रणा समिति के लिये क्यों छोड़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप का भ्रम है । बहुत बातें हैं । अगर आप तैयार हो जाते हैं तो दूसरी बात है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, अगर इसे आप कार्य मंत्रणा समिति के लिये छोड़ते हैं तो हमारे प्रति अन्याय होगा । उसमें कांग्रेस क 6 सदस्य हैं और हमारे दल के 1-2 । तो उस समय अगर वे कहते हैं कि जिस वक्त हम उत्तर तैयार करेंगे तभी देंगे तो मामला गया । मेरे विचार में आप इसे अपन विवक पर छोड़ें ?

उर्वरक के मूल्य में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

एक और सूचना है। कार्य सूची की जो आइटम 12 हैं, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह लिखकर भेजा है कि कि इस पर 18 या 19 को बहस करायी जाय। तो इसे मैं 18 तारीख के लिये स्थगित कर देता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक माननीय त्रिवेणी सहाय, राजेन्द्र वर्मा, राम पति तथा मंगरे सिंह की है। इनका कहना है कि गोंडा जिले में चेचक का प्रकोप है। तो इसको अविलम्ब कार्यवाही के लिये मैं भेज देता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जोर से चेचक फैल रही है। हमारे ही जिले में 200 आदमी मर गये हैं, इस पर आप सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिला दें ?

श्री अध्यक्ष—

इस बारे में एक आध और सूचना होगी। अभी तो वक्तव्य के लिये समय नहीं है। हो सकता है कि 18 तारीख तक एक दो जिले की और बात आ जाय। इसके बारे में वक्तव्य तो दिला दूंगा लेकिन चेचक से और भी जिले प्रभावित हो सकते हैं, तो उन जिलों के के माननीय सदस्य फिर कहेंगे कि उनके जिलों के बारे में वक्तव्य दिला दीजिये तो यदि इस पर एक साथ वक्तव्य हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, बदायूं में 250 और बरेली में 400–500 व्यक्ति चेचक के शिकार हो चुके हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इन जिलों के बारे में मेरी सूचना को भी जोड़ दीजिये। मैंने अपनी सूचना नियम 51 के अन्तर्गत दी है ?

श्री अध्यक्ष—

और भी माननीय सदस्य जागरूक हो जाते हैं, जहां-जहां हों, वहां-वहां की सूचना दे देंगे। और जब सबकी सूचना मिल जाती है, जिन-जिन जिलों में है, तो आसानी हो जायगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, एक सूचना मैंने भी दी है, उस पर भी वक्तव्य दिला दें ?

श्री अध्यक्ष—

इसके महत्व को स्वीकार करते हुये वक्तव्य के लिये भेज दूंगा और जो आयेंगे, उनके नाम भी जोड़ दिये जायेंगे। कल से सदन 18 जून के लिये उठ जायगा। हो सकता है और कोई माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठाना चाहें तो इसका महत्व और हो जायगा।

एक और सूचना माननीय हिम्मत सिंह, मोहन लाल कपूर, और ओम प्रकाश सिंह जी की है नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं पर अभाव के सम्बन्ध में। इसे आप बजट पर बहस के समय उठा सकते हैं।

एक सूचना माननीय राम रति बिन्द, गिरजा शंकर पाठक और राम निहोर की वाराणसी जिले के विभिन्न थानान्तर्गत लूटमार, राहजनी, कत्ल तथा डकैती की घटनाओं के सम्बन्ध में है। इसे भी आप बजट के दौरान उठा सकते हैं।

माननीय हरिकेवल ने "देवरिया नगर पालिका के टोल टैक्स" के बारे में दिया है। यह स्थानीय निकाय का मामला है ....

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस टैक्स के तहत, देवरिया जिले के माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं मूल सवाल पर मंत्री जी का ध्यान दिला दूं। 29 लाख लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है जो सलेमपुर, लार या किसी भी ...

श्री अध्यक्ष—

नगर पालिका टैक्स लगाती है, वहां के सदस्य लगा रहे हैं तो यह तो अलोकतंत्रीय होगा कि यहां से उसे मिटा दिया जाय। यहां बहस कैसे हो सकती है? वहां आप कीजिये।

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

मैं तो यह पूछ रहा था कि सदन की यह परम्परा बनती जा रही है कि माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगते हैं और बोलते ही जाते हैं और उनका लिखा जाता है। अगर ऐसी परम्परा चलेगी तो यह सदन कैसे चलेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है यह उन्हीं के कारण से हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जो कहते हैं ठीक है कि अध्यक्ष खड़ा हो तो सब बैठे रहें। जब आपको विचार के अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है तो इतनी जल्दी अधीर क्यों हो जाते हैं जब व्यवस्था कहीं टूटती हो तब व्यवस्था की बात कहनी चाहिये। जब कोई बीच में उठा देता है तो उसको मैं सुन लेता हूं। अब जैसे यहां हुआ। आक्षेप अगर किसी के खिलाफ लगाना है तो उसका ढंग दूसरा है। आरोप लगाना है या किसी मंत्री के विरुद्ध कुछ कहना है तो वक्तव्य के लिये वह थोड़े ही स्वीकार किया जायगा। उसके लिये आप दूसरे उपाय सोचिये कि कैसे किया जा सकता है। माननीय राम सेवक यादव ....

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार—

आप जब खड़े होंगे तो हम बैठे कैसे रह सकते हैं, हमें खड़ा होना ही चाहिये।

[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान) संसदीय पद्धति को अपनाने में कुछ समय लगता है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपके सामने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा था। मैंने 7 घटनाओं का विवरण भी आपके पास भेज दिया है। एक महीने के अन्तर्गत 7 घटनायें हुई हैं। दो घटनायें डकैती की हुई हैं। एक का तो सर ही काट दिया गया है । एक घटना में दो आदमियों की बोटी बोटी काटकर घाघरा नदी में डाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये आपका स्वीकार कर लिया गया ।

श्री राम सेवक यादव—

किस तारीख को ?

श्री अध्यक्ष—

18 के बाद ही हो सकेगा । देख लेंगे । जल्दी रखवा देंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैंने एक चार्जशीट राज मंगल पांडेय जी के विरुद्ध पढ़कर सुनाई थी..... (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974†

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का नाम पुकारा गया, (वे अनुपस्थित थे ।)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)—

मैं प्रस्तुत करूंगा ।....

एक सदस्य—

झांसी में फूड रायट्स हो रहे हैं, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष—

हमने अब अगला आइटम ले लिया है । फूड पर बहस हो चुकी है । आगे आप बहस में कह सकते हैं । अभी नहीं । (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन उत्तर प्रदेश (बिक्री-कर संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है ।" कहें तो अगला संशोधन भी रख दूं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं । पहले विधेयक वाला हो जाय ।

---

†10 जून 1974 की कार्यवाही में छपा है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन् यह वक्तव्य मुख्यतः हाई कोर्ट के जिन फैसलों से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका निराकरण करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । सन् 1956 में यह व्यवस्था की गई थी और उसके पहले भी कि अगर कोई रजिस्टर्ड व्यापारी किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी को माल बेचता है और फिर कोई दूसरा रजिस्टर्ड व्यापारी उस दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदे तो अगर एक सूत्री बिक्री कर उसे देना है तो दूसरे व्यापारी को यह साबित कर देगा कि दूसरे व्यापारी ने बिक्री-कर दे दिया है । तो इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नियम के अनुसार यह व्यवस्था नहीं हो सकती , नियम में ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता और उस ऐक्ट में ही यह व्यवस्था होनी चाहिये । उसे डेलीगेटेड पावर नहीं है कि बिक्री के अन्तर्गत कार्यवाही होगी । अब श्रीमन् इतनी पुरानी यह कार्यवाही वर्षों से चल रही है और वह हाई कोर्ट के फैसले के कारण वह नियम रद्द हो गया । अब अगर कोई सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाये, एक सूत्री बिक्री कर लगाता है तो वह एक ही प्वाइंट पर लगेगा । तो अगर पहले प्वाइंट पर लगा है और फिर दोबारा यही सोचेगा कि एक बार इस पर बिक्री कर दिया जा चुका है । तो यह नियम, यह व्यवस्था की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है, इतने सालों की जो व्यवस्था है वह खटाई में पड़ गई है, उसको नया किया जाय और इसीलिये अब मूल ऐक्ट में, ऐक्ट के नियम में ऐसी व्यवस्था की जाय । साथ ही साथ अब बहुत ऐसा माल कभी कभी लोग टैक्स की चोरी करने के लिये, टैक्स से मुक्त होने के लिये बाहर भेज देते हैं। इसमें वह टैक्स से बच जाते हैं । तो इस चोरी को रोकने के लिये यहां कार्यवाही की जा रही है, ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है ।

इसी प्रकार जो मिल्क फूड है, डब्बे का दूध है उसे भी दूध और पानी की तरह उसकी बिक्री को माना जाय और जो हाई कोर्ट का इन्टरवेंशन है उसको स्पष्ट करने के लिये उसमें व्यवस्था की जा रही है । ऐसी ही मशीनरी की परिभाषा में क्या आता है, एग्रीकल्चर के जो उपकरण हैं, एग्रीकल्चरल इन्स्ट्रूमेन्ट हैं उनकी परिभाषा स्पष्ट की जा रही है । साथ ही साथ जो कच्चे माल के संबन्ध में व्यवस्थायें हैं उन व्यवस्थाओं को भी सुपक्ष प्रणाली देने के और उसमें नियम देने के लिये इसमें प्राविधान किया जा रहा है । जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है मुख्यतः समय समय पर उसमें जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं उनका निराकरण करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है और अगर यह पारित नहीं किया जाता है तो जो बिक्री-कर की चोरी हो रही है वह होती ही रहेगी जिससे बड़ा नुकसान होगा । इसलिये पूर्व तिथि से इस संशोधन विधेयक को लागू करने की आवश्यकता है । मुझे आशा है कि सम्मानित सदन इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करेंगे ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

चूंकि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी नहीं हैं इसलिये मैं इसे प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे ।

(इस समय 2 बज कर 37 मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, मैंने एक संशोधन भी दिया और इस संशोधन के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव दिया है। यह जो बिल लाया गया है इस बिल को लाने के लिये बहुत सी कानूनी पेच पेंच हो गये जिसके कारण यह बिल लाया गया है । सन् 1948 का जो बिक्री-कर अधि-

[त्रिवेणी सहाय]

नियम था उसके अन्तर्गत जो नियम बने थे उन नियमों के अन्दर कुछ ऐसे नियम नहीं थे जिसके कारण बहुत से लोगों ने रिट दाखिल किया और उसमें वह जीत गये। तो ऐक्ट में उसका प्राविधान नहीं था परन्तु नियमों में प्राविधान कर दिया गया था जिसके बहुत भयंकर परिणाम हुये। लाखों-लाखों रुपया जो सैल टैक्स के रूप में हुआ होगा उसको सरकार रिफन्ड करने के लिये जिम्मेदार हो जायगी, यह मेरी समझ में आया है।

मुझे एक बात कहनी थी कि जब माननीय मंत्री जी इस तरह का बिल पेश करें तो खाली उसमें यह लिख करके कि हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, कह करके छुटटी न पा लिया करें। कितनी ही बार मुकदमें हुये। हाई कोर्ट ने फैसला किया, उसके जजमेन्ट हुये। तो ये सब कठिनाईयां पैदा हो जाती हैं। मुझे कहना है कि इस जनतंत्र के युग में हमने न्यायालय को सुप्रीम एथारिटी दिया है। निर्णय होते हैं उन निर्णयों का यहां तक कि सरकार को भी मानने के लिये बाध्य होना पड़ता है। हाई कोर्ट से फैसले हुये और आदमियों को रिलीफ मिली। रिलीफ मिलने के बाद सरकार यह समझती है कि हमारा नुकसान होगा तो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से कोई ऐक्ट बनाया जाय और बनाती है।

इससे मैं कहना चाहता हूं कि यह आर्डिनेन्स के जरिये जो बिल लाया गया है उसको आर्डिनेन्स के जरिये नहीं लाना चाहिये था बल्कि विधान सभा में रखकर प्रस्तावित बहस होनी चाहिये थी कि कहां-कहां संशोधन होने चाहिये थे, किन संशोधनों की आवश्यकता है आदि। मैं इस संशोधन का अनुमोदन करता हूं।

उत्तर प्रदेश में कितना बिक्री कर बकाया है। यह बिक्रीकर किसके ऊपर बकाया है। आपने फरमाया कि जिसकी वसूली सरकार करने जा रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह वसूली केवल एक साल या दो साल की नहीं होगी। यह वसूली केवल उन गरीबों से नहीं होगी बल्कि वसूली पिछले कई सालों की होगी तथा बड़े बड़े पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों से भी होनी चाहिये जो कि सरकार को बड़ी बड़ी थैलियां भेंट करते हैं। वसूली की कार्यवाही उन पर नहीं होती है जो कि अपने बिक्रीकर की चोरी करते हैं तथा जो बड़े बड़े पूंजीपति एवं उद्योगपति हैं बल्कि वसूली की कार्यवाही उन पर होती है जो कि छोटे छोटे किसान हैं तथा छोटे व्यापारी हैं। इसी प्रकार बड़े उद्योगपतियों पर वसूली की कार्यवाही तो होती है परन्तु उनको जेल नहीं भेजा जाता है परन्तु यदि छोटे किसान पर कोई कर बाकी है तो उसको तहसीलदार तथा जिलाधिकारी वसूली की कार्यवाही करते हैं और सीधे वसूल न होने पर उसको जेल में सड़ा दिया जाता है।

11 करोड़ रुपये बिक्री कर बकाया है। उसको आपने अधिनियम से निकाल दिया है। आपने इस बकाये को मालूम होने से इन्कार कर दिया है। आपके पास इस बकाये की सूची होनी चाहिये थी।

दूसरी ओर इसकी भी आवश्यकता होनी चाहिये कि जो बिक्रीकर का पैसा अनावश्यक रूप से न दें उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिये। इसी बिल के अन्तर्गत यह भी है कि सरकारी अधिकारी जिसके ऊपर चाहें बिक्री कर लगायें या न लगायें। सरकारी अधिकारी को ऐसे अधिकार हैं कि वह कह सकता है कि अमुक व्यापारी इसके अन्तर्गत आयेंगे और अमुक व्यापारी इस कर के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आपने इसमें भी संशोधन कर लिया।

तीसरी बात यह है कि वाटर पम्प के बारे में यह कह दिया कि वाटर पम्प कृषि यंत्र है और कृषि उपकरण का इसलिए कर से मुक्त किया जाता है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब हाई कोर्ट ने एक प्रकार की व्यवस्था दे दी तो आप उसको बदलकर वह चीज क्यों लाना चाहते हैं और वह भी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से। जब कि आपको चाहिये था कि आपको उन परिस्थितियों में जाना चाहिये था कि परिस्थिति के अन्तर्गत हाईकोर्ट

ने यह जजमेंट दिया। क्या आप न्यायपालिका को इस तरह से आर्डिनेंस लाकर या संशोधन विधेयक लाकर न्यायपालिक की मूलभूत धारणा को मटियामेट कर देना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसको मानेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला शहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जब हाई कोर्ट फैसला दे देता है और कोई कठिनाई पेश होती है तो जाहिर है कि कानून को बदलना होगा। मैं अपने मित्र जनसंघ के सदस्य से इस बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं कि अगर कोई व्यापारी हाई कोर्ट में याचिका ले जाकर किसी टैक्स क वसूली को अवैध करार दिलवा दे तो कानून में मुनासिब संशोधन नहीं होना चाहिये। बिक्रीकर में खासतौर से एक बात है कि व्यापारी पहले वस्तु को खरीदने वाले से टैक्स वसूल कर लेता है और उसके बाद सवाल यह होता है कि सरकार तक वह पैसा पहुंचा कि नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेज आये कि खरीदने वाले से टैक्स वसूल कर लिया गया लेकिन व्यापारी ने सुप्रीम कोर्ट ले जाकर याचिका दाखिल कर दी उसमें कामयाब हो गये तो जब उन्होंने एतराज उठाया कि किसी विधेयक के कानून को गलत ढंग से लागू किया गया तो कानून बदलना पड़ा ताकि करों को रिट्रास्पेक्टिवली वसूल किया जाय तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से फैसला किया कि जब कानून लागू था और कानून में खामी पहले से थी और टैक्स वसूल हुआ है तो उस टैक्स की रकम को अपने पास रखने का व्यापारी का कोई हक नहीं है, उसको तो सरकार हकदार है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में यह भी कहा है कि अगर यह कानून नहीं बदला जाता तो आपको यह टैक्स वापस करना पड़ता। अगर सदस्य जनसंघ की यह बात मान ली जाय कि रिट्रास्पेक्टिवली लागू करने की क्या जरूरत है तो वसूल किया हुआ सारा पैसा वापिस करना पड़ेगा। सन् 1964 से सन् 1974 तक गरीब आदमियों से बिक्रीकर के नाम पर जो टैक्स वसूल किया गया है वह व्यापारी के पास ही रहेगा।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने यह बताया कि इस विधेयक का क्या उद्देश्य है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम आर्डिनेंस द्वारा ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि अगर आर्डिनेंस जारी न किया गया होता तो वह फिर कानून बनना नामुमकिन या बेकार साबित होता। क्या इस बिल में कोई ऐसा मुद्दा है जिसके लिये आरडीनेंस लाना जरूरी था। जब उन रूल्स को सन् 1964 से वैध करार दिया जा सकता था तो आर्डिनेंस लाकर बदलने की क्या जरूरत थी, उसको सदन में पेश करके विचार किया जा सकता था। दूसरी बात यह आपने कही थी कि दूध और दूध के पाउडर को एक समझते थे तो क्या सरकार आर्डिनेंस और ऐक्ट के अन्दर कोई अन्तर नहीं करती। इस सवाल को बार बार उठाया जायगा जब भी आर्डिनेन्स आयेगा। तो मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री और उनकी सरकार सोच समझ कर एक बात कहे कि उनका क्या विचार होगा, आर्डिनेंस के बारे में उनकी क्या नीति होगी। आर्डिनेन्स राज्य जनवाद की परम्पराओं को मिटाने वाला होता है। हिन्दुस्तान के संविधान ने दुनिया के सब संविधानों से हटकर आर्डिनेन्स बनाने की एक शक्ति सेन्टर और स्टेट को दी है। उसका इस्तेमाल कब होना चाहिये, किन सवालों को लेकर होना चाहिये, किन आधारों पर होना चाहिये इस पर एक नीति की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि छाज बोले तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जाहिर है कि उनको अपने आर्डिनेन्स को या अपनी नीति को जस्टीफाई करने के लिये उस सरकार का सहारा लेना पड़ता है जिसमें 72 छेद थे। आपकी नीतियों में भी 72 छेद हैं। जब अपोजिशन उन 72 छेदों को बन्द करने की कोशिश करता है तो आप नहीं बताते कि आपकी क्या नीति है, आप जनवाद की जड़ मजबूत करेंगे या तोड़ेंगे। अगर मुख्य मंत्री और उनकी सरकार यह कहे कि मोदीनगर में संविद सरकार ने गोली चलाई थी तो हम भी गोलियां चलायेंगे तब तो बात दूसरी है। कल आप भी छात्रों की यूनियनों को तोड़ेंगे तो क्या आप यह कहेंगे कि हम तो आपसे ही प्रेरणा ले रहे हैं। हम तो उनसे यह जानना चाहते हैं कि जनवाद की भावना जिस पर संविधान बना था आप उसको

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

कायम रखेंगे या तोड़ेंगे । अगर आप उन बुनियादों को तोड़ना चाहते हैं और उस सरकार का सहारा लेना चाहते हैं जो 67–68 तक चली तो उसका जो हर साल भर में हुआ था आपका वही केवल 6 हफ्ते में ही हो जायगा । उस सरकार के टूटने के पीछे यही कारण था कि उसने जनवाद की बात को नहीं समझा था उसने नहीं समझा कि जनवाद की नीतियों को मजबूत करना चाहिये । अगर आप भी उसी का सहारा लेकर आर्डिनेंस द्वारा कर लगायेंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि जनवाद की परम्परा क्या हुई है ।

माननीय मुख्य मंत्री तो यह कह कर निकल गये कि बी0 ए0 के बाद उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली । लेकिन वित्त मंत्री तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट योग्यता लाकर ला की डिग्री लिये हैं और वह जानते हैं कि हेम्पसड न केस में 10 शिलिंग टैक्स के जो एम्परर आफ इंग्लैंड ने लगाया था और कहा कि मुझको टैक्स लगाने का अधिकार है इस सवाल को लेकर तो ऐसा विद्रोह हुआ था कि जिसके जरिए, से 'नो टैक शन विदाउट रिप्रीजेन्टेशन' के बुनियादी सिद्धान्त को मान लिया गया था । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स द्वारा टैक्स लगाना, टैक्सेशन विद रिप्रेजेन्टेशन' है या 'टैक शन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन' है । और इसके प्रति उनकी सरकार की क्या नीति रहेगी । अगर वह इसका विश्लेषण कर दें और बता दें कि टैक्सेशन के आर्डिनेन्स कम से कम सदन की मर्जी के बगैर नहीं लाये जायंगे तो जनवाद की परम्परा कुछ मजबूत होगी ।

दूसरी बात यह कि कल यह कहा गया कि शराब पीकर लोग चले जायेंगे और इसलिये शराब पर टैक्स लगने का वक्त वही होता है जब लोग पीने आते हैं। सरकार कब टैक्स लगाये, दुकानदार पर लगाये या खरीददार पर लगाये, या कब लगाये, इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि टैक्स किस एन्ट्री पर लगता है । सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि यदि टैक्स वसूल करना है तो टैक्स एन्ट्री पर लग सकता है और व्यापारी पर भी लग सकता है । टैक्स शराब पीने के पहले या बाद में वसूल हो सकता है । लेकिन यह सवाल नीति का जरूर है कि आप टैक्स आज लगाते हैं या कल लगाते हैं । इसी के साथ साथ एक और बात रख दूं कि जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया, जिसके बारे में कहा गया कि आपने नियम के आधार पर वह टैक्स लगाया जो आपके विधायकों की अनुमति लेने के बाद लगाना चाहिये था, उस पर भी इस सदन में चर्चा जरूर होनी चाहिये कि क्यों ऐसी गल्ती हुई । जिन नीतियों पर सदन में विचार होने के बाद टैक्स लगाने चाहिये था, उस पर विचार नहीं करते, केवल डेलीगेटेड पावर्स का इस्तेमाल करके लगाते हैं और नियम बना देते हैं । इसका मतलब यह है कि सरकार की नियत साफ नहीं है । जिन नीतियों पर सदन में फैसला करना चाहिये था, उस पर केवल सरकार फैसला कर लेती है अगर इस पर कोई वक्तव्य होता कि हम से यह गल्ती हुई और आइन्दा हम गल्ती नहीं करेंगे। तो लोगों को विश्वास होता कि आप सदन के काम को ठीक तरह से चलायेंगे । अगर यह सन् 64 में बना था तो जिस सरकार ने बनाया था, उस सरकार ने इस सदन की मर्यादा को भंग किया था, यह बात साफ है । सन् 50 में जब संविधान बना था तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि कितना काम सदन को करना पड़ेगा और कितना काम सरकार के हवाले किया जायगा। उस वक्त यह तय किया गया कि जो नीतियों का सवाल (Essential Legislative function) है, उनको सदन को खुद फैसला करना होगा और उनको सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता । आपको इस सम्बन्ध में हवाला दे दूं । गोल्ड कन्ट्रोल को कानून का इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसलिये तोड़ दिया था, क्योंकि उसमें बहुत से अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिये थे और सदन ने नीति साफ निर्धारित नहीं की थी । क्या कारण है कि गोल्ड कन्ट्रोल ऐक्ट अवैध होता है, सेल्स टैक्स ऐक्ट अवैध होता है और फिर भी आज तक सरकार का दिमाग साफ नहीं है । और ऐसी जरूरी मसलों पर भी सदन में बहस नहीं कराते । मैं चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर आप एक कमेटी बनायें जो यह तय करे कि कौन से फैसले सरकार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिये नीति के रूप में नहीं लेगी और कौन से आर्डिनेंस जारी नहीं किये जायेंगे । जब संविधान कहता है कि केवल वही आर्डिनेंस

जारी किये जायेंगे जिसके बगैर सरकार चल नहीं सकती या जो बहुत इमर्जेंट है, तो आपको यह तय करना पड़ेगा आर्डिनेंस और ऐक्ट में क्या फर्क होना चाहिये ।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि बिक्री-कर के बारे में वह यह है कि आप दो पहलुओं को लेते हैं और बाकी बातों को छोड़ देते हैं । किसी कानून को इतनी आसानी से नहीं बदला जाता । कानून के बदलने के लिये जरूरी है एक चिन्तन की, एक अध्ययन की और तमाम वस्तु स्थितियों को जानने की । आज किसको मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने व्यापारी है जो बिक्री-कर की चोरी कर रहे हैं । जैसे-जैसे आप टैक्स बढ़ाते हैं, तो अगर वे टैक्स की ही चोरी कर ले जायं तो उनको लाखों और करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। इस बारे में कोई जिक्र नहीं है आपकी बजट रिपोर्ट में । एक छोटा सा संशोधन बिक्री-कर के बारे में लाकर आप सरकार चलाते हैं । उसमें कितनी चोरी है, कितनी गड़बड़ी है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं पेश करते । आप लोगों को नहीं बताते कि इस बिक्री-कर को लागू करके व्यापारियों को कैसे चोरी करने का बढ़ावा मिलता है, कैसे वसूली को लागू नहीं किया जाता । इस संशोधन के बाद फिर 6 महीनों तक सेल्स टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं आयेगा और सदन को मौका नहीं मिलेगा विचार करने का कि सेल्स टैक्स की चोरी को कैसे रोका जाय और किन-किन लोगों पर कितना बकाया है और उसकी वसूली कैसे की जाय । जाहिर है कि सेल्स टैक्स लगाने के सवाल से सम्बन्धित है इस प्रदेश की अर्थ-नीति ।

उस अर्थ नीति में आपको यह सोचना कि किन उद्योगों को आप बढ़ावा देना चाहते हैं और किन को रोकना चाहते है और कैसे आप मुकाबला करना चाहते है दूसरे प्रदेशों से । दूसरे प्रदेशों के सम्बन्ध में आपको तमाम वस्तु स्थिति को सदन के सामने रखना चाहिये । इस किस्म के संशोधन लाकर जिनमें पूरा चिन्तन नहीं है, पूरा अध्ययन नहीं है, गंभीरता पूर्वक विचार नहीं है आप जनवाद की परम्पराओं को तोड़ रहे हैं और यह भ्रम पैदा कर रहे है कि जब हाई कोर्ट में कोई फैसला आपके खिलाफ चला जायगा तो यह सदन आपकी सेवा के लिये हाजिर है और आप उस फैसले को उलटने के लिये जैसा चाहेंगे कानून ले आयेंगे और हम हाथ उठाकर उसे पास कर देंगे । चाहिये यह कि जब हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उस पर विचार करें । और यह बतलायें कि कौन सी गलती ऐसी है जिसको आप दोबारा नहीं दुहरायेंगे ? और आप गलती को दूर करने के लिये जो कदम उठा रहे हैं उससे कैसे जनवाद मजबूत होगा, कैसे जनता में विश्वास कायम रहेगा । कि टैक्स जो लगाये जाते हैं वे तमाम जनता की मर्जी से लगाये जाते हैं । और उनके नुमाइन्दों की राय लेकर कर लगाये जाते हैं और फासिस्ट निजाम की बुनियाद नहीं पड़ रही है । अगर आप ऐसे निजाम की बुनियाद डाल रहे हैं जिसमें किसी से पूछा नहीं जायगा तो संविधान की क्या जरूरत है । इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा या तो वह इस विधेयक को वापस लें अथवा यह यकीन दिलायें कि सेल्स टैक्स ऐक्ट में पूरा परिवर्तन लाने के लिये वह जल्दी एक ऐसी रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें तमाम उन बातों का जिनका मैंने जिक्र किया समावेश होगा ताकि जो उनकी नीति है मजबूत तरीके से उसका निर्धारण हो सके और यह नहीं होगा कि हाई कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आया तो आप एक संशोधन बिल ले आये कल फिर धारा अवैध हो गई तो परसों एक और बिल ले आये । आखिरी बात मैं यह कहूंगा कि आप यह जरूर बतलायें कि आर्डिनेंस तथा ऐक्ट में आप क्या फर्क करते हैं और किस नीति पर चलना चाहते हैं ? धन्यवाद ।

श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

अध्यक्षता महोदय, यह बिक्रीकर संशोधन बिल जो आया है इसमें सम्बन्ध में एक संशोधन विपक्ष की ओर से रखा गया है कि इस एक संशोधन को सीप दिया जाय । गर्ग साहब उसका उत्तर दे चुके हैं लेकिन गर्ग साहब की शिकायत मूल तौर पर दो बातों पर आधारित है । एक

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

तो आर्डिनेंस क्यों सरकार लाती है और क्या बिना आर्डिनेंस लाये टैक्स को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगाया जा सकता। इस चीज पर उनकी सारी बहस थी और इस सम्बन्ध में बतलाने में कल के मुख्य मंत्री जी के भाषण का हवाला देकर वह सफाई पेश करना चाहते थे और इसलिये उन्होंने यह बात उठाई। गर्ग साहब से मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय यह आर्डिनेंस लागू हुआ उस समय हाउस सेशन में नहीं था। अब माननीय उच्च न्यायालय ने उसे अवैध घोषित कर दिया था रूल डेलिगेशन पावर में यह नहीं आता है, बल्कि ऐक्ट में ही इसका समावेश होना चाहिये था और ऐसी स्थिति में गर्ग साहब का तर्क मान लिया जाय तो स्थिति यह आयेगी कि जो डेलिगेटेड पावर के मातहत रूल्स फ्रेम हुये हैं, और उनके मातहत कुछ टैक्स वसूल करने का सिलसिला है। उस दिन से लेकर जिस दिन तक ऐक्ट नहीं बना तब तक स्थिति यथावत रह जायेगी और टैक्स की वसूली बन्द हो जायेगी। ऐसा करना सरकार के लिये लाजिमी होता है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई आवश्यकीय कार्य आ जाते हैं जिनके लिये आर्डिनेंस लाना जरूरी हो जाता है। इससे किसी की वैधानिक स्वतंत्रता का कहीं हनन नहीं होता है। उच्च न्यायालय की मंशा का आदर करते हुये यदि हम यहां पर संशोधन लाते हैं तो उस पर गर्ग साहब को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। निरादर करने की किसी की मंशा नहीं हो सकती।

दूसरी बात कुछ नीतियों और परम्पराओं की है। सेल्स टैक्स के बारे में यह सही कहा गया है कि बहुत कुछ चोरियां होती हैं और बहुत कुछ कमी भी होती है। उसमें हो सकता है कुछ खामियां भी हों लेकिन इसको जो लोग इक्जीक्यूट करते हैं वे सच्चे मन से इसको नहीं करते हैं। यह मंत्री जी का विषय है, इसकी खामियां कैसे दूर हों यह उन्हें देखना है। इस समय यह विषय सदन में है इस पर विचार हो रहा है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर संशोधन रखने वाले माननीय श्री त्रिवेणी सहाय जी ने कहा है कि इस बिल को आर्डिनेंस के जरिये नहीं लाना चाहिये था और इस प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये। इस बिल पर विचार न करने से यह स्थिति पैदा होगी कि इस समय जब कि हाउस सेशन में है यदि इस पर इस वक्त विचार नहीं होता तो बिल हो जायेगा। इसलिये समिति को भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जिन नीतियों, सिद्धान्तों और उद्देश्यों का प्रतिपादन गर्ग जी ने किया है वे आर्थिक नीति के नहीं हैं। चूंकि यह बिल केवल सेल्स टैक्स को चालू रखने पर की बात है इसलिये मैं समझता हूं कि उस पर अधिक बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये और इसलिये जो संशोधन माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने रखा है उस पर यह सदन अधिक जोर दे, यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

महोदय, विधेयक पर जाने से पहले विधेयक से सम्बन्धित माननीय सदस्य श्री गर्ग जी ने अपने पूर्व वक्ता के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ बात कही है। बातें तो उन्होंने वही कही जो कि माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने कही थी लेकिन अपनी आदत और नीति के अनुसार एक तरह से जनसंघ के ऊपर छींटा किये बिना वे नहीं रह सके।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। बिक्री-कर संशोधन पर वार्ता चल रही है और वित्त मंत्री जी सदन में नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। मंत्रि मंडल के दूसरे सदस्य हैं। (श्री ओम प्रकाश सिंह से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माननीय गर्ग जी ने माननीय त्रिवेणी सहाय जी के वक्तव्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जनसंघ के लिये कहा कि व्यापारियों और जमाखोरों का वह समर्थन करता है। ऐसी बात नहीं है। उनके विचार बिलकुल गलत हैं और तथ्य से परे हैं। जनसंघ कभी भी किसी जमाखोर, किसी चोरबाजारी या बिक्री कर चोरी करने वालों को न तो प्रश्रय देता है और न उसका समर्थक है। केवल इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वह पूर्व सदन द्वारा पारित विधेयकों के विचारों के अनकूल दिया है। आज का जो यह बिल बन रहा है, जो कानून बनने वाला है वह भावना जो इसमें प्रगट हो रही है, उस पर हाईकोर्ट यदि अपने विचार देता है तो वह अनुचित नहीं कहा जाएगा और यदि उसका कोई समर्थन करता है तो उसकी मंशा यही है कि वह हाईकोर्ट के विचारों का आदर करता है, जूडिशियरी की निष्पक्षता और इंडिपेन्डेंस का हिमायती है। यह जरूर है कि गर्ग साहब ने अपनी नीति के अनुसार इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। क्योंकि वे और उनके दल यह नहीं चाहता कि हाईकोर्ट या न्याय पालिका को एक इंडिपेन्डेंट बाडी है, जैसा कि उनकी पार्टी का मत है कि न्यायपालिका के ऊपर हमेशा सरकार का अकुंश होना चाहिये। उसका समर्थक जनसंघ नहीं है। इसलिए इस विधेयक में इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो संशोधन लाया गया है, वह ठीक है।

हाईकोर्ट का जो विचार है उनमें परिवर्तन करने के लिए यह विधेयक जरूर लाया गया है, लेकिन उसको 1964 के बदले 1974 से लागू किया जाना चाहिये था, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फसला दिया है, वह उस सदन की मंशा को व्यक्त करता है, जिसने 1964 का विधेयक पास किया था। इसलिये यदि सरकार आज चाहती है कि किसान विरोधी नीति को चालू करके जो वाटर पम्प कृषि कार्य के लिए लगाये जाते हैं उन पर भी बिक्री कर लिया जाएगा तो उसे स्पष्ट करना चाहिये कि किसानों को जो छूट दी गई थीं, उसको वापस लिया जाता है और बिक्रीकर पम्प पर लगाया जाएगा चाहे वे किसी भी कार्य में इस्तेमाल किये जाए। भले ही वे खेती सम्बन्धी कार्य इस्तेमाल किये जाएं। जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया वह पूरे सदन की मंशा के अनुसार दिया और यदि यह सरकार स्पष्टरूप से मानती है कि वह किसानों के हित में काम करना चाहती है तो उसे स्पष्टरूप से कहना चाहिये कि जो वाटरपम्प खेती के लिए लगाए जाएंगे, उनपर बिक्री कर नहीं लागया जाएगा। अन्य कार्यों हेतु इस्तेमाल होने पर ही उन पर यह बिक्री-कर लिया जाएगा। जैसे वह उद्योगों को बिजली उनकी हितरक्षा के अनुसार देते हैं और किसानों को सरदी में रात्रि में और गर्मियों में दिन में लू के समय देते हैं, बिना उनकी मुसीबतों को समझे हुए, उसी प्रकार से वह इस कर में भी कर रही है। जबकि वह अपने को किसानों का हमदर्द कहती है। यह निश्चितरूप से किसान विरोधी है. इसका हर कदम किसान विरोधी है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मिल्क पाउडर और बेबी फूड पर जो बिक्री कर लगाया गया है आज की परिस्थिति को देखते हुए यह उचित कदम नहीं है। क्योंकि आज का जो समाज है उसमें मिल्क पाउडर और बेबी फूड केवल वे लोग ही प्रयोग नहीं करते है जो सम्पन्न है। आज माताओं के स्वास्थ्य को देखते हुए और सरकार की कृपा से जो भोजन उनको मिलता है उसको देखते हुए उनका स्वास्थ्य भविष्य में क्या होगा तथा आज क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर बिक्रीकर का कोई औचित्य नहीं है। आज जो गरीब मिल्क पाउडर या बेबी फूड खरीद पाता है वह भी अपने बच्चों को बेबी फूड देता है। कारण यह है कि आज की ऐसी माताएं नहीं है जो अपने बच्चों को पूरी तरह से दूध पिला सकें। यह माताओं की दोष नहीं है बल्कि सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे में वस्तुओं की सप्लाई और जनता के स्वास्थ्य को इतना गिरा दिया है कि वह अपने बच्चों का भी पालन नहीं कर सकतीं आज के गरीब समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि बेबी मिल्क को भी बिक्री कर से मुक्त किया जाय।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

इसके हाथ ही मेरा यह मत है कि इस देश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जब खाद्यान्न की कमी होती है तो किसानों को दोष दिया जाता है कि उन्होंने उत्पादन नहीं बढ़ाया और जब वस्तुओं की कमी होती है तो व्यापारियों को चोर बाजारी कह कर बदनाम किया जाता है। यह मैं नहीं कहता कि व्यापारी चोरबाजारी नहीं करते। करते हैं लेकिन जो बड़े व्यापारी चोर बाजारी करते हैं उनके पीछे सरकार और सरकार के बड़े अधिकारियों का हाथ है। आज किसी भी आवश्यक वस्तु की सप्लाई की जानकारी करें छोटे दूकानदार से पूछे तो वह स्पष्ट कहता है कि आप निश्चित भाव पर सामान दिलवाइये, निश्चित भाव बेचने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन सोल डिस्ट्रीब्युटर इतना अधिक दाम ले लेता है कि मैं मजबूर हूं अधिक दाम पर बेचने के लिए। यह सरकार की भी नीयत है और सरकार के साथ में कम्युनिस्ट भाइयों की भी नीति है, बदनाम करते हैं छोटे व्यापारी को जब कि असल में जब कि निन्दा करनी चाहिये सरकार और इसके बड़े अधिकारियों की और इनके साथी सोल डिस्ट्रीब्युटर और सोल एजेंटों को जिनके कारण आज प्रदेश में चीजों का भाव बढ़ा है और वस्तुओं का अभाव है। यह दुर्भाग्य है कि जो व्यापारी वर्ग प्रशासन को सरकार को सबसे अधिक टैक्स देता है उसको आये दिन गलत तरीकों से बदनाम किया जाता है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं मैं किसी चोर बाजारी करने वाले व्यापारी का हिमायती नहीं हूं। अगर व्यापारी चोर बाजारी करता है तो इसके लिए जिम्मेदार है यह सरकार और इसके अधिकारी। अगर किसी तरह उत्पादन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिये जिम्मेदार है सरकार।

दूसरी चीज, जो आज बिक्री करकी प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत सबसे बड़ा दोष यह है कि आज जो बिक्री कर के नीचे के अधिकारी है उनको ऊपर के अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश होता है चाहे जो भी हो किसी प्रकार से प्रति मास बिक्री-कर की राशि बढ़ानी चाहिये। परणाम यह होता है कि बिक्री-कर अधिकारी ऐसे भी व्यक्तियों को जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया है उनके नाम से नोटिस जारी करता है जसे खोंचे वाले हैं या ठेला ढकेलने वाले व्यापारी है व बिक्रीकर कार्यालयों में चक्कर लगाते फिरते हैं। किसी भी बिक्री कर कार्यालय में चले जाय और देखें तो जिन लोगों को नोटिसेज मिल हैं उनमें 25 परसेंट ऐसे हों जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया है या पान की दुकान किये हुये हैं या ठेला लगाते हैं। अच्छी सर्विस एन्ट्री कराने के लिए यह जरूरी होता है कि पूर्व महीन में जितनी बिक्री-कर की राशि थी उसको बढ़ाया जाय। अगर सरकार के आंकड़ों को देखें तो मालूम होगा कि वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री घटी है लेकिन बिक्री कर प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि चाहे वास्तविकता में बिक्री हुई हो या न हुई हो बिक्री कर अधिकारी को बिक्री कर की पूर्व राशि को बढ़ाना है। इसका परिणाम यह है और और वाराणसी में ऐसे छोटे-छोटे फर्म्स हैं जिन्होंने मार्च के बाद या सितम्बर-अक्तूबर में अपनी दूकान बन्द कर दीं। उसकी विधिवत् सूचना बिक्री-कर अधिकारी को भी दे दी और उस अधिकारी ने दूसरे समय पर उसको स्वीकार भी किया। लेकिन जब दूसरे बिक्री-कर अधिकारी ने फैसला दिया तो आश्चर्य हुआ और उसको आज तक हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह वाटर पम्प जो कृषि के उपयोग में आता है तथा बेबी फूड को कर मुक्त करें। इस प्रणाली को सुनिश्चित बनाने के लिये एक कमेटी बने और इस विधेयक को प्रवर समिति स्वीकार करे और उसकी रिपोर्ट आने पर पुनः इस पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक, 1974 प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि इसके पारित होने के बाद जो उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप भ्रम पैदा हो गया था वह भी काफी हद तक दूर हो जायगा। अब्रांतक जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा कि वाटर पम्प, बेबी फूड और कण्डेंस्ड मिल्क को इससे

मुक्त किया जाय । इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वाटर पम्प कृषि उपकरण है । जब उच्च न्यायालय का यह निर्णय हो चुका है तो फिर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि फिर यह कहने की कोशिश क्यों की जा रही है यह कृषि उपकरण नहीं है । इसलिये यदि मुनासिब समझा जाये तो इसको बिक्री-कर से छूट दे दी जाये ।

दूसरा निवेदन यह है कि कंडेंस्ड मिल्क और बेबी फूड को भी इससे मुक्त किया जाय क्योंकि हमारे यहां दूध की कमी हो रही है और हर गरीब और अमीर के रोजाना के इस्तेमाल में यह चीज आती है तो इसको यदि सम्भव हो सके तो एक्जेम्प्ट कर दिया जाय ।

श्रीमन्, 1948 में यह ऐक्ट पास हुआ था । मैं उसके बाद से इसमें अनेकों तरमीमें आ गई हैं और इसकी कायापलट हो चुकी है । यह कमर्शियल ऐक्ट है कमर्शियल समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है । व्यापारियों की बात तो लग रही वकीलों की समझ में यह नहीं आता है, इसमें इतन नियम और धाराय बढ़ गई हैं कि जिनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है वह समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा फार्म भरें । 90 प्रतिशत व्यापारियों पर इसका असर होता है । 12 हजार से ज्यादा जिनकी सेल होती है वह सभी कर बिक्रीकर की धाराओं से प्रभावित होते हैं । इस लिये ऐसा कोई कंसालिडेटेड ऐक्ट मंत्री जी लाये जिससे इस अधिनियम की धारायें सरल हो सके ।

इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह धारणा बन गयी है एक वर्ग के खिलाफ, बिजनेस वर्ग के खिलाफ कि वह बेईमान है वही बदली जानी चाहिये । छोटे-छोटे दुकानदार हैं जो पेट पालने के लिये छोटे-मोटे धन्धे व रोजगार करते हैं उनसे हम यह उम्मीद करें कि वह रिटर्न भरें । यह संभव नहीं प्रतीत होता है । वे अधिकतर अनपढ़ होते हैं और वे रिटर्न भर नहीं सकते हैं । इन छोटी छोटी आमदनी वाले व्यक्तियों पर मुकदमें चला दिये जायेंगे । मुकदमों में उन्हें रोज-रोज दौड़ना पड़ेगा और इस प्रकार से उनका काफी रुपया कचेहरी में खर्च हो जायगा । लेकिन दूसरी ओर सरकार को उन लोगों से केवल 4 या 6 रुपये टैक्स के रूप में मिलने वाला है, परन्तु छोटे दुकानदारों का तमाम पैसा इधर उधर की दौड़ ही में चला जायगा । इन मुकदमों में सरकार का भी काफी पैसा खर्च होता है तो फलस्वरूप यह असेट के बजाय लाइबिलटी बन जाता है तो मेरा निवदन है कि इसकी सीमा को बढ़ा दिया जाये और मैं कहना चाहता हूं कि जो रिटर्न व्यापारियों द्वारा दिये जायें उन्हें मान लिया जाये । दूसरे जो सेल्स टैक्स आफिसर को अधिकार दिये गये हैं उनका निश्पक्षता से पालन किया जाये । यह न होने पावे कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको परेशान किया जाये और जो बड़े तथा असरदार व्यक्ति हैं उन्हें छोड़ दिया जाये । इससे लोगों में असंतोष उत्पन्न होगा । छोटे दुकानदारों को विक्टीमाइज करते हैं उनको 10–10 पेशियां लग जाती हैं और वे परेशान हो जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा ऐक्ट आये जो बहुत ही साधारण हो सरल हो, सिम्पलीफाइड हो जिसे सभी लोग समझ सकें ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह बिक्री-कर संशोधन अधिनियम जो हमारे सामने पेश है मैं समझता हूं कि इसके अन्दर बहुत सी त्रुटियां हैं । जैसा कि मुझसे पहले के वक्ताओं ने बताया कि आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो संशोधन लाया गया है इसमें कई बातें विचारणीय हैं । इसमें डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेशन की बात कही गयी है । साधारण जनता डाइरेक्ट टैक्सेशन को तो समझ जाती है लेकिन इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन को वह नहीं समझ पाती है । वह नहीं समझ पाती है कि यह टैक्स हमसे क्यों लिया जाता है । तो जहां तक मैं समझता हूं कि जो जरूरी चीजें हैं चाहे वह कृषि सम्बन्धी हो, बेबी फूड हो या अन्य कोई जरूरी चीज हो उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये । इसका बोझ उन परिवारों पर पड़ता है जो इन्हें खरीदते हैं ।

[श्री राम अधार]

मैं पूछता हूं कि अगर यह सरकार समाजवादी है, गरीबों को राहत देने वाली है और यदि सरकार यह चाहती है कि कृषि को प्राथमिकता दी जाये तो कृषि तथा कृषि यन्त्रों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये और बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं उनपर बिक्री-कर लगाने से गरीब जनता के हित का हनन होता है। इस बिक्री कर के जरिये बड़ी धांधलेबाजी होती है। बिक्री-कर इन्सपेक्टर जो होता है वह दुकानदारों पर मुकदमा चला देता है और उसका काफी पैसा खर्च होता है तथा उसे बड़ी परेशानी पड़ती है। इस प्रकार से वह सरकार को कोसता है। मैं चाहता हूं इसके अन्दर कोई बहुत लम्बी चौड़ी बहस न हो। यह तो सही है कि हम विरोधियों की बात को सरकार मानने वाली नहीं है लेकिन सदन में बैठने के नाते हम लोग अपनी राय देंगे। यह बिक्री कर विधेयक आज जिस तरह से इनके इन्सपेक्टर्स धांधली करते हैं मैं समझता हूं इसके बारे में सरकार ने न तो कभी ध्यान दिया और न उसके दिल में कोई इच्छा है।

मैं तो यह बात स्पष्ट जानता हूं कि कृषि संबंधी या बेबी फूड आदि की चीजों पर जो कर लगाते हैं वह न लगा कर उन वस्तुओं पर कर लगाया जाय जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के इस्तमाल की चीजें हैं। आम जनता पर कर न लगाया जाय। मैं समझता हूं यह ज्यादा फायदा की बात होगी। लेकिन यह बड़े व्यापारियों की सरकार है उस पर कर का बोझ नहीं डाला जायगा, बल्कि कर का बोझ उस गरीब जनता पर डाला जायगा, जिसके पास खेती नहीं है और वह छोटा सा बिजनेस करके अपना गुजर-बसर करता है। अगर यह सरकार बड़े व्यापारियों की विरोधी होती तो जो कारखानों में सामान बनता है उसी मिल के ऊपर जितना हम बिक्रीकर का पैसा वसूलते हैं वहीं पर लग सकता था। परन्तु यह सरकार ऐसा करने वाली नहीं है, यह तो अपने मनमाना ही करना चाहती है। अगर यह बड़े व्यापारियों की विरोधी सरकार होती तो आप उसकी पूंजी पर नियंत्रण कायम करते लेकिन यह सरकार कभी भी बड़े व्यापारियों पर हमला नहीं करती। छोटे-छोटे लोगों पर यह इनडाइरेक्ट टैक्सेशन के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो लूटा जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो जरूरी चीजें हैं, आम जनता की चीजें हैं, जो जीवन के लिये जरूरी चीजें हैं, उन पर कर समाप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस पर विचार करें। हमारा काम है कि हम अपना संशोधन दें, अपने सुझाव दें। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि बिक्री-कर जो हर चीज पर लगाने जा रहे हैं इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तब इस पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिक्री-कर संशोधन विधेयक जिसको सरकार ने इस सदन में पेश किया इसके विषय में विरोधी भाइयों का जो संशोधन है वह कितना हल्का है। मान्यवर, उस संशोधन को पढ़कर पता यह लग जाता है कि वह पंक्ति निकाल दी उस पंक्ति को जोड़ दी जाय। बिल की गम्भीरता इसी बात से स्वीकार हो जाती है कि विरोधी पक्ष ठोस बात नहीं रख सका। इस बिल में ऐसे तथ्य हैं जो जरूरी थे और जिनको बदलने के लिये कोई उनके पास ऐसी चीज नहीं थी जिसको एक अर्थशास्त्री या कर शास्त्री उसको अस्वीकार कर सकता था।

विरोधी भाई ने जो संशोधन रखा है वह किसी कीमत का नहीं है। दूसरे एक परम्परा बन जाती है। जब चुनाव होता है तो छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों वे हम को पीटते हैं, गाली देते हैं। एक दिन मैं बाजार में सामान खरीदने गया, तो उस दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे लिये सामान नहीं है क्योंकि तुम कांग्रेस के आदमी हो। जो आदमी चोरी करता है, वह कहता है कि वह गया चोर, तो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट न होकर दूसरे आदमी की ओर

ध्यान आकृष्ट हो जाता है। जो लोग व्यापारियों के बल पर, जनता के पैसे के बल पर यहां सदन में, जनसंघ के भाई, जीत कर आते हैं वे छोटे और बड़े व्यापारी की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि व्यापारी सब ह। यह नहीं होना चाहिये कि तुम छोटे व्यापारी हो और ये बहुत बड़े व्यापारी हैं। क्लियर कट बात होनी चाहिये।

जहां तक आर्डिनेन्स की बात है, कौन सी गवर्नमेन्ट है, इस प्रदेश की ही नहीं सारे भारत के प्रदेशों की और केन्द्रीय सरकार को ले लें, इंग्लैण्ड की सरकार या अमेरिका की सरकार को ले लें, जहां भी प्रजातंत्र की पद्धतियों से बनी सरकारें हैं, वे सब आर्डिनेन्स निकालती हैं और फिर लोकतंत्रीय परम्पराओं का आदर करते हुए, उन मान्यताओं की इज्जत करते हुए, उनको सदन में लाना पड़ता है, लाया गया है।

हाई कोर्ट के फैसलों के बारे में यहां पर बात करना, उचित नहीं है। मैं भी न्यायालय की लोकतंत्र में इज्जत करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारा दल भी इस बात में पूरा विश्वास करता है कि न्यायालय, न्याय के क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। हम लोग यहां पर कानून बनाते हैं और वे लोग विश्लेषण करते हैं। हम जब देखते हैं कि न्यायालय द्वारा प्रिवीपर्स समाप्त नहीं हो सकता है जब हम देखते ह कि एक आदमी को बिना किसी सेवा किए प्रिवीपर्स मिलता है, जिन्होंने पहले भी शोषण किया है, अंग्रेजों का साथ दिया है, जब हमारा देश और हमारी जनता एक ऐसी सरकार से लड़ाई लड़ रही थी जो इस देश का सोना और स्वर्ण मुद्रा को जहाजों में ले जा रही थी, इन लोगों ने उनका साथ दिया था। जब कोई कानून नहीं बना था तो सरकार का कार्य हो जाता है कि वह कानून बनाये। कोई बिक्री कर या कोई दूसरा कर बदलने की जरूरत होती है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि बदले। मैं आपके माध्यम से, अधिष्ठाता महोदय, अपने विरोधी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और इसे स्वीकार कर लें जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सदन में बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक के रूप में पेश किया गया है। यहां पर डाइरेक्ट या इन्डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करना उचित नहीं है। मैंने भी अर्थ शास्त्र पढ़ा है। जो इन्डायरेक्ट टैक्स है इसमें भी अगर गरीब आदमी 10 रुपये या 100 रुपये का माल खरीदता है तो अमीर एक हजार रुपये का माल खरीदने पर कम्पेरेटिवली ज्यादा बिक्री कर देगा।

दूसरी बात यह है कि बिक्री कर की चोरी की बात भी यहां पर उठायी गयी है। यह सही है कि करों में चोरी भी होती है। दूसरे करों में जो चोरी होती है उनको कराने में भी कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। इन चोरियों को रोकने के लिये कुछ सहयोग की आवश्यकता होती है, उन लोगों से जो चोरी कराते हैं। एक दिन एक महिला व्यापारी को एक एडवोकेट कह रहे थे कि तुम ऐसा न कहना, ऐसा न कहना वे मेरे ससुर हैं मेरे सामने की बात है। कहा गया कि अगर तुम्हें मुकदमा जीतना है तो ऐसा कहना, नहीं तो जीत नहीं पाओगी। तो मेरी प्रार्थना है कि इस सवाल को उलझाना नहीं चाहिये।

इससे जनता का कोई ज्यादा नुक्सान नहीं हो रहा है, बल्कि यह कर, मैं समझता हूं, मैं इसकी हिमायत इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं शासक दल में हूं बल्कि इसलिए कि यह विधेयक जनता के हित में है और इस कर से हम लोगों को अपनी योजना बनाने में और कल जो आपने कहा था कि महंगाई बढ़ी हुई है और जनता की आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं तो उनको पूरा करने में और हरिजनों के मकान बनाने में और जो आपने कहा है कि गरीबी है और बिजली नहीं लगायी जा रही है तो बिजली को लगाने में इस कर से लाभ मिलेगा। इसलिये अधिक गहराई में न जाकर इसको स्वीकार करें और मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे ऐसा विधेयक लायें जिससे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी।

*श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, बिक्री कर संशोधन विधेयक पर अभी उस पक्ष से कहा गया है कि जनसंघ के लोग व्यापारियों के हिमायती हैं और छोटे व्यापारियों की चर्चा करते हैं यह दिखला करके कि एक छोटे तबके की बात आती है। लेकिन मैं कहता हूं कि जनसंघ वाले जब व्यापारियों की चर्चा करते हैं कि छोटे व्यापारियों से बिक्री कर नहीं लेना चाहिये तो इसलिए कि 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया तक ही बिक्री कर उनको देना होता है और उनको हैरास किया जाता है और उसमें तमाम पैसा बरबाद किया जाता है। लेकिन इसके विपक्ष में विचार किया जाय तो कांग्रेस के लोग बड़े व्यापारियों के ज्यादा हिमायती होंगे। हम लोगों के लिये कुछ भी कहें लेकिन वह उनसे लाभ उठाते होंगे। खैर, छोड़िये।

बिक्री करके सम्बन्ध में जहां तक वाटर-पम्प का प्रश्न है, वह किसानों के उपयोग की विस्तु अवश्य कही जाती है और सरकार उनके लिये सुविधा भी दे रही है, लेकिन वास्तविकता विपरीत है। किसान हर तरह से पिस रहा है, किसानों के उपयोग की हर वस्तु हर तरीके से तबाह की जा रही है। वास्तव में किसान ही ऐसा तबका है जो गरीब है, हर सूरत से तबाह है। सुविधाएं कहने मात्र की है। इसलिये कम से कम वाटर पम्प से बिक्री कर हटना चाहिए।

जहां तक बच्चों के प्रयोग की वस्तु है कंडेंस्ड मिल्क, वह हर गरीब तबके के उपयोग में लाया जाता है। कहा जाता है कि बड़े लोग ही लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बीमारी गरीबों के बच्चों में पैदा होती है। बड़े तो अपने बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं लेकिन जो देहात का गरीब तबका है वह दुध नहीं पाता। शहर में रहने वाले लोगों को तो दूध की मुश्किल नहीं है, लेकिन देहात में मिलना कठिन होता है। वहां गरीबों को कंडेंस्ड मिल्क का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर गाय, भैंस नहीं है तो क्या किया जाय? तो ऐसी आवश्यक वस्तुएं जिनको अमीर गरीब सभी प्रयोग में लाते हैं उन पर से बिक्री-कर हटाना आवश्यक है।

प्रतिपक्ष से कहा गया है कि बिक्री कर संशोधन विधेयक इतना आवश्यक नहीं है कि उसको विचाराधीन किया जाय यह टोटली गलत है। यह ऐसा विषय है कि जिससे जनसमाज बरबाद होता है। जो छोटे से छोटा तबका है गरीबों का, किसानों का, छोटे छोटे व्यापारियों का वह इस प्रकार से तबाह होता है जिसका अनुमान हम कर नहीं सकते। बिक्री करके जरिये अधिकारी वर्ग लोगों को तबाह करते हैं और एक के मुकाम पर सौ-सौ रुपया खर्च करवा लेते हैं, फिर भी बिक्री कर अदा नहीं होता, वह बकाया रह जाता है। अगर लाभ ही लेना हो तो मैं कह सकता हूं कि बिक्री कर न लगा कर नफा लेने वाले, जो घूस लेने वाले हैं उन्हीं पर कर लगा दिया जाय। उस लेने को वैधानिकता करार दे दी जाय और उस पर टैक्स लगाया जाय तो बहुत ज्यादा मिल जायगा। जो छोटे छोटे व्यापारियों पर बिक्री-कर लगाया जाता है वह अदा नहीं होता है और उनको पता भी नहीं है कि बिक्री-कर कैसे अदा किया जायगा और उनसे नाजायज पैसा लिया जाता है। जो अधिकारी वर्ग उनसे पसा लेते हैं वह इतना अधिक होता है कि अगर उस पर टैक्स लगाया जाय तो बहुत बड़ी धनराशि हो सकती है। इसलिये छोटे व्यापारियों पर से बिक्री-कर टोटली हटा लेना चाहिये। कन्डेन्स्ड मिल्क, बच्चों के खाने की सामग्री, जो कि अधिकांश गरीब तबका ही इस्तेमाल करता है, बड़े लोगों को तो पौष्टिक आहार उपलब्ध है, छोटे ही इन वस्तुओं को खरीदते हैं, इन पर से यह टैक्स हटाना आवश्यक है। आज डंडे मार मार कर सरकार छोटे किसानों से गेहूं खरीद रही है 105 रुपये के हिसाब से। बड़े किसान तो गेहूं दे कर खाद वगैरह खरीद लेंगे लेकिन छोटे किसान के लिये खाद वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। गेहूं उसके पास अधिक है नहीं इसलिये खाद नहीं मिल पायेगी। परिणाम यह होगा कि धान नहीं होगा और धान नहीं होगा तो उसके बच्चे भूखे मर जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी एक भाई ने कहा कि जनसंघ के लोग छोटे बनियों की हिमायत करते हैं जो सरकार को गाली देते हैं। मैं कहता हूं कि छोटा बनिया ही नहीं छोटे किसान भी गाली देते हैं और अगर अभी नहीं देते हैं तो देंगे क्योंकि अब उनको खाद, पानी और बीज नहीं मिलेगा और बड़े किसान को ये सब चीजें मिलेंगी। छोटा बनिया हो या छोटा किसान, न्याय हर एक को मिलना चाहिये। लेकिन सरकार छोटों की तरफ से आंख मूंद लेती है और वैसे गरीबी हटाओ का नारा लगाती है। मेरा अनुरोध है कि गरीबों के इस्तेमाल की वस्तुओं पर से बिक्री-कर हटाया जाय। इसलिये इसको एक समिति के अधीन किया जाय जहां इस पर विचार हो सके और काफी अध्ययन के बाद निर्णय लिया जाय।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बिक्री-कर के सम्बन्ध में जो अभी आपके सामने ख्यालात पेश किए गए उनको मैंने सुना और उनके विषय में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूं संक्षेप में।

अभी यह कहा गया कि आर्डिनेन्स जो हमारी सरकार ने इश्यू किये हैं यह ठीक नहीं किया। विधान, न्याय और डेमोक्रेसी के प्रति जितनी हमारी पार्टी की आस्था है उतनी शायद ही और किसी की हो। हमारे देश में जो डेमोक्रेसी की स्थापना हुई है उसकी स्थापना करने वाले हमारे ही प्रदेश के एक व्यक्ति थे प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू। और जिन्होंने उसकी जड़ों को मजबूत किया वह भी हमारे ही प्रांत के एक महान व्यक्ति थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। और हमारी वर्तमान प्रधान मन्त्री जो इस प्रदेश की ही एक हस्ती हैं उन्होंने डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत बना कर आपके सामने पेश किया है जिसकी वजह से पिछले 25 सालों में हमने दुनियां की महान् डमोक्रसी कायम की है और कितने ही चुनाव हमने शांति से लड़े हैं और डेमोक्रेसी की विजय हुई है।

इसलिए प्रजातन्त्र के प्रति हमारी पूर्ण आस्था है.....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

विषय के बाहर बोल रही हैं। प्लेटफार्म पर स्पीच हो रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आप मुझे महिला जानकर नरवस करने की कोशिश न करें, मैं नरवस होने वाली महिला नहीं हूं। मैं यह बता रही थी कि विशेष परिस्थितियों में आर्डिनेन्स जारी करना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि देश में संकटकालीन स्थिति है, हर जगह, हर विभाग में संकट है, और प्रतिक्रियावादी शक्तियां हमारे कार्यों में बाधायें उत्पन्न करने पर तुली हुई हैं, वे विदेशों का सहारा ढूंढ़ रही हैं, तो उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए, अपना कदम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमको आवश्यकता पड़ने पर आर्डिनेन्स जारी करने पड़ जाते हैं। आज हमारा देश गंगा की लहर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्डिनेन्स हमको इसलिए जारी करना पड़ता है ताकि हमारे कामों में कोई रुकावट न आये, काम तेजी से हो, हमारी प्रगति रुकने न पाये। कानून को इंसान ने बनाया है, इनसान के लिए कानून बना है, इन्सान कानून के लिए नहीं बना है। आपके यहां इमामबाड़े में भूल भुलइया हैं। उसमें जब इनसान जाता है तो वह घुस तो जाता है, मगर निकल नहीं पाता। इसी तरह से इनसान कानून की पेचीदगियों में फंस जाता है, उससे निकल नहीं पाता। इसलिए हमारी आज यह हालत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

है। किन्तु कानून के प्रति हमारी पूर्ण आस्था है। इसलिए है कि इसको इनसान ने बनाया है। आपको मालूम है कि साक्रेटीज ने एक बार जहर का प्याला पी लिया था, केवल इसीलिए कि उसकी कानून में पूर्ण आस्था थी। उसका कहना था कि मैं अपने कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं अपने देश के कानून को भंग करने की बनिस्पत जहर का प्याला पीना अधिक पसन्द करता हूं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आर्डिनेन्स इसलिए जारी किया गया है कि हमारे कामों में किसी प्रकार की कोई रुकावट न पड़े। अब उसको विधेयक का रूप देने के लिए आपके सामने पेश किया गया है। यह बिल के रूप में आपके सामने है। आप इसे पास कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस बिल पर अपनी सहमति प्रदान करें।

अभी आपके सामने गरीबी और अमीरी की बात उठायी गयी। क्या गरीब लोग इस देश के निवासी नहीं हैं? जब आपके मुहल्ले में शादी होती है किसी की लड़की की तो चाहे उससे कोई संबंधित हो या उसके परिवार का हो या न हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो या कोई हो अपनी इच्छा से इकन्नी या दुअन्नी या कुछ देता है, सहयोग करता है। जो आपके गरीब लोग हैं, आपका गरीब तबका है उसको आप इस सहयोग से वंचित क्यों करते हैं कि वह देश के निर्माण में सहयोग न दे। आप चाहते हैं कि देश के जो गरीब लोग हैं यह बिक्री-कर टैक्स उन से न लिया जाय यानि आप इस यज्ञ से वंचित करना चाहते हैं। हमारे यहां जब कोई महान कार्य होता है, हम जब कोई महान कार्य करते हैं तब हर व्यक्ति वह एक पाई या एक रुपया यज्ञ में दे, अपना योगदान देता है। चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो आप दोनों का सहयोग देश के निर्माण में लीजिए ताकि वह यह महसूस कर सके कि उसका हिस्सा भी देश के निर्माण में लगा है, उसका भी देश के निर्माण में योगदान है। वह भी देश की उन्नति का हकदार है।

आज अपने देश में तरक्की हो रही है पर मैं जानती हूं कि एक जमाने में अपने यहां सुई नहीं बनती थी पर अब एक सुई से लेकर बड़े-बड़े सामान बनते हैं बड़े-बड़े कारखाने लगे हैं। आज हमारे देश में अणु-शक्ति का विस्फोट हुआ है उससे सारी दुनियां की आंखें चकाचौंध हो गयी हैं। मैं अपने प्रधान मन्त्री साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देना चाहती हूं और मैं कहती हूं कि इस मुबारकबाद देने में हमारे विरोधी दल के भी व्यक्ति शामिल हैं। तो यह जो महान तरक्की हुयी है, जो महान् तरक्की हो रही है, इस महान् यज्ञ में अगर हमारे गरीब का योगदान, सहयोग जबतक नहीं होगा तब तक आपका यज्ञ सम्पन्न नहीं होगा और आपका देश तरक्की नहीं कर सकता है। आज जो हमारे मजदूर हैं, गरीब जनता है यह सब उनके ही सहयोग का फल है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो समाज सेवक हैं और जो बुद्धिजीवी हैं यह सब उनके ही परिश्रम का फल है कि आज हमारा देश तरक्की कर सका है।

एक सदस्य—

मान्यवर बख्शी जी विषय से बाहर बोल रही हैं यह विषय से सम्बन्धित नहीं है।

(शोर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप लोग जो मुझे नरवस करने की सोच रहे हैं उससे मैं नरवस होने वाली नहीं हूं। तो आप जो गरीबों से कर न लेने की बात कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। आप यह कहते हैं कि वह कर नहीं दे सकेगा तो यह उसको उसके योगदान से दूर किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं उसको भी इस महान कार्य में हिस्सा लेने दीजिए। जो आपकी योजनायें हैं।

कई सदस्य एक साथ—

अधिष्ठाता जी बख्शी जी विषय पर नहीं बोल रही हैं।

(शोर) (व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं अपनी सरकार को उत्साह देना चाहती हूं, यह सेल्स टैक्स की जो चोरी होती है, तिवारी जी आप बैठे हुए हैं, यह ओपेन सीक्रेट है। आप जाइये दूकानों पर, दूकानों में आपको सामान दे दिया जाता है। रसीद नहीं दी जाती है। इस तरह से सेल्स टैक्स की चोरी होती है। दूकानों में इस टैक्स की चोरी को मान्यवर रुकवाइये वरना सरकार को ही नुकसान होगा। तो अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मान्यवर आप ध्यान दीजिए। इन दुकानों का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए किये बिक्री-कर की चोरी न करने पाये क्योंकि इनसे बड़ा लास हो रहा है। क्या बतायें हिन्दुस्तान की हिस्ट्री ही ऐसी है कि यहां चोरियां काफी होती है जिसको देखकर रोना आता है। ये चोरियां हजारों वर्षों से चली आ रही हैं।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

यह भाषण यदि किसी चुनाव में दे तो अधिक अच्छा होगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यदि बिक्री-कर की चोरी किसी प्रकार न हो तो इससे इतना पैसा हो कि वह सरकार के कोष म जमा हो और इस आमदनी को निर्माण योजनाओं में इस्तमाल करें। इन बातों के साथ में बिल का पूर्ण अनुमोदन करती हूं।

*श्री अब्दुल लुत्फ लारी (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर 10 मिनट बोलने का मौका दिया। मान्यवर में श्री त्रिवेणी जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं यह आशा करता हूं कि श्री तिवारी जी इस संशोधन को मान लेंगे क्योंकि जल्दी में जो भी काम होता है वह गड़बड़ होता है और आप हर मामले पर, एक-एक शब्द पर करीब-करीब संशोधन लाते हैं। अगर यह मामला एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो जितनी गड़बड़ियां हैं वह ठीक होकर आ जायं। संशोधन एक साथ होकर आ जायं। हमेशा एक बिल पश होता है। उस पर रिट होती है, कोर्ट में बिल चलेंज होता है और गड़बड़ी होती है।

हमारे तिवारी जी ने बिक्री-कर की चोरी की बात कही। बिक्री-कर में बहुत चोरी होती है उसको सभी मानते हैं। क्या इस संशोधन से बिक्री-कर की चोरी रुक सकती है। जब तक बिक्री-कर को इस ढंग का न बनाया जाय कि चोरी रुक सके तबतक चोरी नहीं रुक सकती है। इस तरह से देश और प्रदेश का बड़ा नुकसान होता है। श्री तिवारी जी से निवेदन है कि वे इस संशोधन को मान लें और प्रवर समिति को संशोधन विधेयक भेज दें।

जहां चीजें बनती हैं अर्थात् कच्चे माल से पक्का माल तैयार होता है यदि वहीं बिक्री-कर लगा दिया जाय तो चोरी नहीं होती है क्योंकि वस्तु कपड़ा होने की जगह सार रिकार्ड रख जाते हैं। बड़ी-बड़ी मंडियों में देखें, शहरों में जाकर देखें कि अगर कर अधिकारी को रुचि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[अब्दुल रऊफ लारी]

दुकानदार के प्रति है तो वे लोग अपना सारा कारोबार एक 20 पैसे की कापी पर लिखते हैं। वे लोग कोई रसीद बैंक से रसीद काट कर नहीं देते हैं और काले धन का धंधा करते हैं। इस प्रकार लोग काफी रुपया बिक्री-कर से बचाते हैं और हमारा लाखों रुपये का नुकसान कर के रूप में हो रहा है। सही माने में सरकार इस काले धन्धे को रोकने का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। गरीबों को जो कष्ट हो रहा है वह सही माने में सरकार की तरफ से नहीं बल्कि काले धन्धे की वजह से हो रहा है।

तो मैं मान्यवर के द्वारा, श्रीमती बख्शी जी से और श्री तिवारी जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन सब चीजों की प्रदेश में रहने की जिम्मेदारी किस पर है। गुण्डागर्दी होती है। पुलिस के सामने मारपीट, कत्ल तथा जुल्म होते रहते हैं। पुलिस देखा करती है। पुलिस सरकार की, इन्तजाम सरकार का और जिम्मेदारी सरकार की, लेकिन सारा दोष अपोजीशन पर डाल कर खुश हो जाते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय तिवारी जी से कहूं कि इन खामियों को देख। सच्चाई वह है जो सर पर चढ़कर बोले। उन्हीं की दल की तरफ से गरीबों को परेशानी आज बतलाई जा रही है, लेकिन आंख पर पट्टी बांधकर इधर के लोगों पर डाल रहे हैं। यह कहना कि अपोजीशन यह कह रहा है, गलत है। एक भाई ने कहा कि गेहूं की जरूरत हुई तो सरकार को बिक्री-कर हटा दिया। जो काम सरकार को करना है वह उसको तुरन्त कर देती है और उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं आता है, लेकिन जब कार्यवाही अदालत में जाती है तो संशोधन पेश किये जाते हैं और देश, प्रदेश और जनता का रुपया बरबाद किया जाता है। एक भाई ने कहा कि बड़े काश्तकार को प्रलोभन बिक्री-कर का दिया गया तथा इसके अतिरिक्त खाद, सीमेंट और चीनी का दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो छोटे काश्तकार हैं जिन्होंने अपना गेहूं पहले बेच दिया उनको मिट्टी का तेल, चीनी, खाद, वगैरा कैसे मिलेगी? इसका कोई जवाब भी नहीं आया और जब मैंने कहा तो कहा गया कि बजट भाषण में सब मिल जायेगा। मैं आपके द्वारा तिवारी जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो बिक्री-कर संशोधन लाये हैं उसको मान लें और इसको प्रवर समिति को सौंप दें ताकि पुरे बिल पर ठीक करके सभी संशोधन एक साथ रख दिये जायं।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी देर से इस बहस को सुन रहा हूं। कुछ तो बुनियादी सवाल उठाये गये। माननीय गर्ग साहब ने माननीय त्रिवेणी जी से कुछ सवाल उठाये कि अध्यादेश क्यों लागू किया और अध्यादेश के द्वारा कराधान नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी है और वह गलतफहमी यह है कि, जैसा कि माननीय गर्ग साहब ने कहा था कि बिना रिप्रेजेन्टेशन के टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। बुनियादी सवाल यह है कि जो सरकार बनी हुई है, जो राज्यपाल है, उनकी स्थिति इंगलैंड के बादशाह की नहीं है क्योंकि यहां पर राज्यपाल जो भी कदम उठाता है, जो भी अध्यादेश जारी करता है वह मन्त्रिमण्डल की सलाह से करता है और वह मन्त्रिमण्डल इस सदन के प्रति उत्तरदायी है और इसीलिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई अध्यादेश लागू किया जाता है तो उसके बाद जब यह सदन बैठता है तो उसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इस तरह से यह सदन जो सर्वोच्च सत्ता है, वह अपनी जगह पर स्थित रहती है। तो यह तर्क देना कि इस तरह से जो टैक्सेशन किया गया है वह इस सदन की अवमानना है, ऐसी स्थिति नहीं नहीं है।

दूसरी बात इस सिलसिले में यह कही गई कि हाईकोर्ट ने एक फैसला किया और इस तरह से अध्यादेश जारी करके उस हाई कोर्ट के फैसले के प्रति अवमानना की जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसी भी स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे संविधान में यह स्पष्ट निर्देश है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वह लेजिस्लेचर द्वारा होती है और अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी उसी संविधान में दिया गया है। यह जो कार्य है संविधान सम्मत है और इस सदन को पूरा अधिकार है कि इस पर विचार करे। आज इसी के तहत हम और आप बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं। और आपका जो यह संविधान आया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और सात दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाय तो मैं इस सिलसिले में इतना कहना चाहूंगा कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है और बहुत सोच विचार करके सरकार ने इसको रखा है।

मैं कहना चाहूंगा कि और सब चीजों को छोड़ भी दें तो शायद उन्होंने इसके उद्देश्य और कारण को नहीं पढ़ा। अगर वह पैरा दो को पढ़ लें तो स्थिति साफ हो जाती है कि अध्यादेश क्यों लाया जाना आवश्यक हो गया था जब कि सदन पन्द्रह दिन या महीने भर बाद बैठने वाला था। पैरा दो में कहा गया है कि सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि कर का अपवंचन करने के लिए कर योग्य माल राज्य के बाहर के स्थानों को अपने नाम से परेषित किया जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया। ऐसे माल के सम्बन्ध में क्रय-कर आरोपित करने का प्राधिकार देने के लिए ऐक्ट का संशोधन करना आवश्यक था। तो श्रीमन् जो चार कारण इसमें बताये गये हैं उनमें यही एक कारण पर्याप्त था अध्यादेश लाने के लिये। अध्यादेश लाना इसलिए आवश्यक था कि टैक्स की जो चोरी बड़े पैमाने पर हो रही थी उसको रोका जा सकता। इसलिए श्रीमन् मैं यह कहूंगा कि अध्यादेश अपनी जगह पर सही था और यह जो बिल उसके तहत आया है यह भी उसी तरह से सही है।

कुछ चीजों के बारे में कहा गया। कृषि में छूट या बेबी मिल्क फूड की बात कुछ लोगों ने कही। हम तो देहात में पैदा हुए। बेबी मिल्क फूड न तो मैंने इस्तेमाल किया और न मेरे घर में इस्तेमाल होता है। शहर में जो लोग रहते हैं और जो इसके आदी हो गए हैं वह इस्तेमाल करते हैं। जो बेबी मिल्क फूड इस्तेमाल करते हैं तो उनको थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेबी मिल्क फूड की बात जब आप कहते हैं तो और भी चीजें आप गिना सकते हैं जैसे दियासलाई है जो जीवन उपयोगी चीज है। लेकिन आप यह भी सोचें कि जब हम विकास की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और दूसरी जरूरी चीजों के लिए रुपया इकट्ठा करना है तो उसमें हर वर्ग को थोड़ा-थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। मैं यह कहना तो नहीं चाहता था लेकिन आपका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के थोड़े-थोड़े टैक्स बढ़ने वाले हैं। चाहे यह हुकूमत रहे या आपकी हुकूमत भी आ जाये तो आपके सामने भी विकास का कार्य होगा तो उसके लिए आपको साधन मोहय्या करने पड़ेंगे।

मैं चाहता हूं कि हमारे विरोध पक्ष के भाई कुछ सुझाव दें जैसे कि फ्रांस में प्रणाली है कि जब कोई मनी बिल पेश किया जाता है और अगर उसमें कोई आदमी कटौती पेश करना चाहता है तो उसी के साथ साथ उसको यह भी बताना पड़ता है कि जितना टैक्स वह कम कराना चाहता है उसके बजाय कोई दूसरा टैक्स प्रपोज करे। जो खर्चे होते हैं तो कहा जाता है कि सरकार को मितव्ययता करनी चाहिए। सरकार अपनी ओर से इंतिहा चेष्टा करती है। जैसे बजट भाषण में है कि नई मोटरें नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल के लिए जितना पैसा पहले से आवंटित है उसी में चलना होगा। इस तरह के तमाम कदम सरकार उठाती रहती है। मैं आपसे यह जरूर चाहूंगा कि जब कभी आप इस बात को कहें कि अमुक चीज पर से टैक्स खतम किया जाय तो उसी के साथ-साथ यह भी सरकार को सामने लाना चाहिए कि जो उससे कमी होगी वह दूसरे इन साधनों से पूरी की जा सकेगी।.....

(इस समय 4 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

यह सही बात है कि आलोचना करने के लिए हम खड़े हो जायं, या आप खड़े हो जायं और यह कहने लगें कि कोई टैक्स न लगे, तो इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य से हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उसमें टैक्स लगाना अनिवार्य है। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि इस बिल में कहीं कोई जनहित की हत्या नहीं हो रही है, जैसाकि अभी माननीय गर्ग साहब ने कहा।

अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी सफाई दे रहे थे। फिर उनकी बात से यह स्पष्ट हो गया कि वह व्यापारियों की ओर से सफाई दे रहे थे। हमारी उनकी इस भावना से कोई विरोध नहीं। हम और आप जब दैनिक व्यवहार में जाते हैं, तो हमारी और आपकी एक सी स्थिति और मनोवृत्ति होती है, चाहे हम किसान हों, वकील हों, व्यापारी हों, या डाक्टर हों। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप कोई भी पेशा करने वाले व्यक्ति को उठा लें और इस बात को देखें। एक डाक्टर दवाइयां देता है। मुझे क्षमा करेंगे, अगर कोई साहब यहां हों। जो टैबलेट बाजार में 4 आने में मिलेगी, उसको जब डाक्टर साहब नुस्खा लिखकर देंगे तो कम्पाउन्डर उसी 4 आने की टैबलेट को पीसकर पुड़िया बना देगा और उसके दाम 20 आने ले लेगा। तो यह प्रवृत्ति किसी व्यापारी तक ही सीमित नहीं है। लेकिन जो सरकार है, उसको इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही चलना पड़ता है। अगर चोरी समाज में चल रही है तो सरकार चाहती है कि उस चोरी के लिए जो छेद हैं उनको बन्द किया जाय। यह सही बात है कि जितनी बड़ी चोरी करों, की हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में हो रही है, वह अभूतपूर्व है। काल्डर साहब की रिपोर्ट आयी थी। उससे पता चला कि कई अरबों की चोरी इस प्रकार होती है। लेकिन इसको रोकने का दायित्व केवल सरकार का ही नहीं; इसमें सभी के योगदान की जरूरत है। आप बढ़िया कानून बना कर भेज दें लेकिन अगर कानून के लागू करने वाले ठीक काम नहीं करते तो आप सफल नहीं हो सकते। केवल माननीय नरायण दत्त तिवारी की कोशिश करने से यह चोरी बन्द होने वाली नहीं है। इसमें इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। जब कोई गलत या भ्रष्ट आफिसर पकड़ा जाता है, चाहे वह थानेदार हो, सेल्स टैक्स आफिसर हो, या इनकम टैक्स आफिसर हो, तो मुझे दुख होता है कि हमारे ही साथी, वे चाहे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भागदौड़ करते हैं।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा साधारण सा बिल है और इस पर इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। अब इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस को यथावत् पास होने दें।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, आज जो यह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है पहले यह आर्डिनेन्स के रूप में जारी कर दिया गया था जब कि सदन 6 जून से शुरू हो रहा था और 21 मई को आर्डिनेन्स जारी कर दिया गया यह बहुत निन्दनीय कार्य था। इसे किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि जितने टैक्सेशन के मामले हैं पूरे तौर में सदन के सामने आने चाहिए। हाईकोर्ट के जजमेंट का क्या असर सरकार की टैक्स नीति पर पड़ेगा, सदन को इसका ज्ञान होना आवश्यक था लेकिन इसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जो कुछ प्रभाव हुए, उनके आधार पर बिक्री-कर का जो कानून है उसमें अध्यादेश के द्वारा संशोधन कर दिये गये और आज उसका बिल बना कर सदन के सामने पेश किया गया है। उसमें भी कई नई बातें की गयी हैं। वाटर पम्प्स पर टैक्स लगा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया गया। पहले दूध पर टैक्स नहीं लिया जाता था। दूध की बहुत सी किस्में हैं जैसे बेबी फूड मिल्क तथा कंडेंस्ड मिल्क। दूध पर न टैक्स लेते थे, न देते थे लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने दूध पर टैक्स लगा दिया तो लोगों को उस पर टैक्स देना पड़ा। हाईकोर्ट के जजमेंट में इस प्रकार की सुविधा प्रदान की गयी जिससे इस प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर सरकार को आगे टैक्स लेना है तो आगे के लिए वह टैक्स लगा सकती थी लेकिन रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से कानून लागू करना कहां तक न्यायोचित है। जब तक इस बात को समझा न जा सके तब तक इस पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। इसलिए यह मांग करना कि इसे पूरे विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय बिलकुल उचित है। जब तक इसे पूरी तरह से समझ न लिया जाय तब तक इसको पारित कर देना अन्यायपूर्ण होगा।

इसके अलावा प्रदेश भर में जितने भी कर लगे हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण कर बिक्री-कर है। शुरू में यह बहुत साधारण तरीके से लगाया गया था लेकिन आज यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन् सारे हिन्दुस्तान में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। इसमें इसका जिक्र नहीं है लेकिन अध्यादेशों द्वारा ही बिक्री-कर की दरें इतनी अधिक बढ़ा दी गयी हैं कि आज पूरा समाज उनसे त्रस्त है। उपभोक्ता के रूप में जब माननीय सदस्य बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते होंगे तो उनको ज्ञात होता होगा कि किसी चीज पर 10 प्रतिशत, किसी पर साढ़े 12 प्रतिशत किसी पर 7 प्रतिशत यहां तक कि खाद्यान्नों पर भी यह बिक्रीकर लगा दिया गया है। और तब हमको पता चलता है कि हमारे ऊपर कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। यह नहीं कि हम पर कभी कर लगना नहीं चाहिये लेकिन कर की दरें इतनी अधिक हैं कि हम दे न सकें और वे अन्याय पूर्ण मालूम पड़ें यह उचित नहीं है। इसलिये इस पूरे के पूरे विधेयक को रिवाइज किया जाय और दरों को कम किया जाय। कर की दरें अन्धाधुन्ध तरीके से बढा दी गयी हैं। इस प्रकार से बिक्री-कर बहुत ही अन्याय पूर्ण तरीके से बढा दी गयी हैं। इस प्रकार से बिक्री कर बहुत ही अन्याय पूर्ण कर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता जा रहा है।

इसके अलावा कोई भी व्यापारी जो आपसे रजिस्ट्रेशन करा कर काम कर रहा है उसके बाद आपका बिक्री-कर अधिकारी जाकर उसके बहीखातों में एक सेन्टेन्स लिख देता है कि मैं आपका टैक्स दुगना और तिगुना कर देता हूं। सरकार ने इसके लिये कानून बना रखे हैं। कोई भी मुकदमें सल्स टैक्स के ऐसे नहीं होते, जिनमें दुगुना और तिगुना टैक्स न लगाया जाता हो। यहां से सेल्स टैक्स अधिकारियों को यह कहा जाता है कि इतना रुपया सेल्स टैक्स का उन्हें उस जिले से वसूल करना है। वे लोग किस तरह से काम करते हैं इसका नमूना वहां जाकर देखा जा सकता है। आज आमदनी का सबसे ज्यादा सहारा सरकार ने अंधे को लाठी दे दी है। इस प्रकार के कानून सामने आ जाते हैं कि जिसका कोई पूछने वाला नहीं होता। सबसे महत्व की बात यह है कि सेल्स टैक्स का जो कानून है उसका जो न्याय पक्ष है उसका बचाव तभी हो सकता है जब कि उसकी अदालत का जो जज है वह डिपार्टमेन्टल के बजाय जुडीशियरी का हो।

इसके अलावा जो फार्म 31 बना दिया गया है कि अपने प्रदेश में बिना उसके भरे हुये कोई माल न तो ला सकता है और न ले जा सकता है। इसके साथ यह भी निश्चित कर देना चाहिये कि व्यापारी के द्वारा जब तक उसकी इन्ट्रीज को चेक करके पकड़ा न जाय तब तक उसके बहीखातों को मान्यता होनी चाहिये। उसके एकाउन्ट्स माने जाने चाहिये। किन्तु आज दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके कोई भी एकाउन्ट्स नहीं माने जाते। उसका कारण यह है कि एक ओर तो व्यापारी चोरी करता है और दूसरी ओर डिपार्टमेन्ट दुगना और तिगुना टैक्स लेता है। आज प्रदेश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे फिर से इस विधेयक की धाराओं को रिवाइज कर लें क्योंकि

[श्री सत्य प्रकाश]

आज के सभी व्यापारी पढ़े लिखे नहीं हैं और वे अपना हिसाब किताब साधारण तरीके से रखते हैं। इसलिए इस टैक्स प्रणाली को सरल और सुलभ बनाया जाय ताकि कोई कांप्लीकेशन्स इसमें पैदा न हों। इसके अतिरिक्त जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है वह सन 64 से पेश किया गया है। मेरा कहना है कि उसे सन् 74 से लागू किया जाय। पीछे से लागू करना ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जिसमें इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, बिक्री-कर संशोधन विधेयक जो सदन के सामने पेश है, के सम्बन्ध में मेरे पुराने मित्र माननीय ओम प्रकाश जी ने एक सैद्धांतिक सवाल उठाया है। खुशकिस्मती से हमने, आपने तथा हमारे वित्त मन्त्री जी ने इस देश के मान्य जनतंत्रीय आचार्य नरेन्द्रदेव के चरणों में शिक्षा पायी है। उन्होंने राज्यपाल के अधिकारों का आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में इशारा किया है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी कानून और संविधान की धाराओं से अच्छी तरह से परिचित हैं उन्हें मालूम है कि किन विशेष परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता महसूस होती है। मैं समझता हूं कि जिस माहौल में यह संशोधन विधेयक लाया गया है उसके लिए कतई आर्डिनेन्स की जरूरत नहीं थी। सदन बैठने वाला था, हम सब लोग एक साथ बैठकर विचार करने वाले थे। जाने कौन सा आसमान फटा जाने वाला था, जाने कौन भूचाल आने वाला था जो इस तरह से, इतनी जल्दी सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके अनुसार हमें कुछ परिवर्तन करने पड़े।

यहां हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ राजनैतिक भाषण दिए कि हम सबसे बड़े लोकतन्त्रीय हैं, हम सबसे ज्यादा प्रजातन्त्र में आस्था रखने वाले और उसे बल प्रदान करने वाले हैं। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में कुछ अधिक न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके राज्य में जिस प्रकार दिल्ली से टेलीफोन पर मुख्य मन्त्री बदले जाते हैं, इस समय केन्द्र और राज्यों में जो दलगत राजनीति चल रही है, उसके रहते हिन्दुस्तान के लोगों को यह एहसास होता जा रहा है कि बड़ी तेजी से शासन तानाशाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, सरकार तानाशाह बनने जा रही है। और जब से गर्ग साहब की दोस्ती उनके दल से हुई है तब से यह सम्भावना लोगों के दिलों में और बलवती हो गई है। क्योंकि उनका और उनके दल का लोकतन्त्र में विश्वास ही नहीं है, इसलिए उनकी दोस्ती से यह आभास जोर पकड़ता जा रहा है। वास्तव में इस संशोधन के रहते सरकार लोकशाही तरीके को छोड़कर ऐसे रास्ते पर चुपचाप प्रच्छन्न रूप से बढ़ती चली जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि यह सरकार अवश्य ही बहुत शीघ्र तानाशाही का रूप धारण करेगी।

सबसे बड़ी जो समस्या है वह आज टैक्सी चोरी की है। यहां पर जो परस्पर वादविवाद हुए, जिसमें जनसंघ वालों को व्यापारियों का दलाल कहा गया और कुछ दूसरी बातों को दूसरी तरफ से कहा गया, वह समस्या का कोई हल नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यही कह सकता हूं कि जनसंघ वालों की अगर रिटेलरों से दोस्ती है तो ये (कांग्रेस) होलसेलर्स के साझीदार हैं। कोई फर्क नहीं है कि एक की छोटे चोर से दोस्ती है दूसरे की बड़े चोर से। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश में जितनी टैक्स चोरी हो रही है, अगर यह सरकार केवल उस पर अंकुश लगाने का संकल्प ले ले तो मैं समझता हूं हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है समझता हूं इस दिशा में उसने कोई प्रयास नहीं किया है, बल्कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार स्वतः इसे करा रही है। क्योंकि इसको रोकने के लिए सरकार कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रही है। इसमें भी कोई इस बात का इशारा नहीं किया गया है कि भारी पैमाने पर जो टैक्स चोरी हो रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ये-ये कदम उठाने जा रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो अहम सवाल हमारे सामने है वह टैक्स चोरी को नियंत्रित करने का है, जिसके सम्बन्ध में इसमें कोई तज्किरा नहीं किया गया है।

आप सभी देहातों के रहने वाले हैं। आपको विदित ही होगा कि छोटे-छोटे दूकानदारों को ये सेल्स टैक्स वाले किस बुरी तरह से परेशान करते हैं और बड़ों को छूट देते हैं। इसका एक उदाहरण मैं अपने यहां का आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे सारे प्रदेश की स्थिति इस विषय में आपके सामने आ जाएगी। एक हलवाई हीरा पर विभाग ने इतना टैक्स लगाया कि गोरखपुर जो बी क्लास सिटी है, उसका जो सबसे बड़ा व्यापारी होटल चलाने वाला उस पर भी नहीं लगा। यह इसलिए हुआ कि आपका यह कानून डिफेक्टिव है। अर्थात् इंस्पेक्टर्स का यह अधिकार है कि वह चाहे तो मोमफली वाले पर भी जितना टैक्स लगा दे और करोड़ों का व्यापार करने वाले को छोड़ दे। हम तो यह चाहते हैं कि यह जो आपका बिक्री-कर संशोधन विधेयक है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के व्यापक हित में हम सब एक साथ मिलकर इस पर विचार करें। इसलिए यह आवश्यक है, परम आवश्यक है कि इसको हम प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। कोई आसमान नहीं फटा जा रहा है। ठंडे दिल से प्रवर समिति में सोच विचार कर सभी पक्षों की बात सुनकर इस पर रिपोर्ट आए, फिर हम इसे यहां पारित करें, यह सब दृष्टियों से अच्छा होगा। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह इसे वापस कर लें और इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने की यहां घोषणा करें।

*श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बिक्री-कर संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे चन्द साथियों ने कहा कि आर्डिनेन्स क्यों लागू किया, क्या जरूरत पड़ गयी कर बढ़ाने की? आर्डिनेन्स से कर वसूल हो या विधेयक से, मतलब एक ही है। जब प्रदेश की उन्नति चाहते हो, चाहते हो कि प्रदेश की गरीबी कम हो, प्रदेश में बिजली आए, सड़क बने तो पैसा लेना ही पड़ेगा, जब पैसा लेना पड़ेगा तो कानून बनेगा कर इकट्ठा करने का। उसमें दो रायें नहीं हैं। जसा की माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा। चरण सिंह जी बैठते या कोई दूसरा बैठता, नारायण दत्त जी तिवारी की जगह तो कर बढ़ाने पड़ते। अलादीन का ऐसा चिराग नहीं है जिसको मांजते ही पैसा इकट्ठा हो जाय और सब काम तैयार हो जायं। जब मेरे लायक दोस्त चाहते हैं कि प्रदेश उन्नति करे, प्रदेश की गरीबी मिटे, तो कर का विरोध क्यों करते हैं? कर का विरोध तभी करें जब कर का नाजायज इस्तेमाल किया जाय। यह मैंने माना कि कर की चोरी होती है। इस बात में मैं और वित्त मन्त्री जी भी मुकरेंगे नहीं। लेकिन टैक्स की चोरी करता कौन है? जो आप के भइया भतीजे हैं। जब उनके खिलाफ ऐक्शन होता है तब मैं और आप सिफारिश के लिए जाते हैं कि इन पर ऐक्शन न लिया जाय। जब हम अपने को नहीं सुधार सकते, अपने भइया भतीजे, चचा, ताऊ को नहीं सुधार सकते हैं तो कैसे कहते हैं कि टैक्स की चोरी होती है। अगर अपने को सुधार लें, जब वह सुधर जायेंगे तो उस समय टैक्स की चोरी और बेईमानी अपने आप खत्म हो जायगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्यारे लाल]

मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि कापियों पर जो सेल्स टैक्स लगाया गया है, जो बच्चों के पढ़ने-लिखने में बाधक बन सकता है उसको खत्म करें जिससे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में असुविधा न हो। दूसरे गाजियाबाद की जो आपने सेल्स टैक्स की चैक पोस्ट स्थापित की है, जब वह स्थापित की थी और जब वह उसका उद्घाटन करने गये तब भी मैंने कहा था यदि आपके पास ईमानदार अफसर न हों तो इस चेक पोस्ट को आज ही खत्म कर दीजिए । लेकिन उस चेक पोस्ट पर दिन दहाड़े बेईमानी हो रही है । एक चपरासी वहां पांच सौ रुपये कमा कर अपने घर आ जाता है । मैं एक सुझाव दूंगा । जितने ट्रक दिल्ली से आते हैं उनके रवन्ने यू0 पी0 के जो गाजियाबाद के टोल टैक्स पर कटते हैं, और बार्डर से जितने गुजरते हैं, उन ट्रकों की सूची ले लीजिए । जो ट्रक सेल्स टैक्स की चेक पोस्ट पर आए हैं उन्हें देख लीजिए । जितने कम वहां पर आये हैं आपको मालूम हो जायगा कि इतनों का पैसा सरकार को नहीं मिला, इतनों का पैसा खाया गया । एक तीर से दो शिकार होंगे । एक तरफ सेल्स टैक्स की चोरी पकड़ी जायगी । कुछ ट्रक बार्डर के टोल टैक्स बैरियर से रवन्ना बनवा कर चले हैं, उनसे यहां टैक्स नहीं लिया गया, दूसरी तरफ कुछ वहां से बिना टोल टैक्स दिए चले होंगे उनसे यहां सेल्स टैक्स लिया गया, इस तरह वह पकड़े जायेंगे। इसका आप इन्तजाम करें कि रवन्ना जहां बांटते हैं सारी लिस्ट ले लें, और चैक पोस्ट पर जो लिस्ट बनी है दोनों का मिलान कर लीजिए उससे आपको सेल्स टैक्स की चोरी मालूम हो जायगी। अगर आप स्वयंसेवक मांगें तो देने के लिए तैयार हैं । चार, छः घंटे ड्युटी देने के लिए तैयार हैं बिना पैसा । एक महीना ड्युटी लगवा कर दिखवा लें। उससे फर्क पड़े तो उसके मुताबिक आगे सेल्स टैक्स की वसूली करें।

मेरे साथियों ने कहा कि क्या जरूरत पड़ गयी विधेयक की। मैं निवेदन करूंगा कि आप सेल्स टैक्स की चोरी बन्द करवा दें क्योंकि आपके साथी सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं तो सेल्स टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि चोरी न हो तो डेढ़ सौ करोड़ के आमदनी इसी सेल्स टैक्स से हो सकती है । लेकिन सेल्स टैक्स की चोरी आप करवाते हैं । और दूसरी तरफ कहते हैं टैक्स बढ़ाने के लिये विधेयक को लाया जाता है । व्यापारी लोग आपके ही साथी हैं जो सेल्स टैक्स हजम कर जाते हैं। तो अपना समर्थन दें और सेल्स टैक्स की चोरी बन्द हो और जब यह बन्द हो जायेगी तो फिर किसी टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने जब मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए थे तो मैंने पहले ही कहा था कि आप यहां पर इस बात के लिए बैठे हैं कि हमारी संसदीय परम्परा है और हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनको यदि आप हम से छीन लेंगे और आर्डिनेन्स द्वारा टैक्स लगायेंगे तो हमको तकलीफ होगी। 31 मई को यह अध्यादेश जारी हुआ जबकि केवल 16/17 दिन का ही अन्तर पड़ता था। आर्डीनेन्स के बल पर राज्य करने की प्रवत्ति आपकी है जिसकी निन्दा सबने की है । लोक सभा के अध्यक्ष मावलंकर साहब और कामठ साहब ने भी की है और यहां पर जो अध्यक्ष पद पर माननीय ए0 जी0 खेर आसीन थे उन्होंने भी संसदीय अध्ययन समिति में जो विचार व्यक्त किए हैं वह इस प्रकार हैं कि—"किन्तु जिस प्रकार से राज्यों के अध्यादेश जारी किये गये हैं संविधान की उपर्युक्त मान्यताओं के विरुद्ध हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यादेश को जारी करना एक सामान्य सी प्रक्रिया होती जा रही है। अब स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि सदन में अधिकतर वे ही विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं जिन के सम्बन्ध में अध्यादेश पहले ही प्रख्यापित किये जा चुके हैं और मूल विधेयक मौलिक रूप में बहुत कम संख्या में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अधिकांश विधायकों की कमी को अब अध्यादेशों द्वारा पूरा किया जा रहा है।" उन्होंने कहा था कि अब माननीय सदस्यों को सदन के होने की सूचना मिल जाये तो अध्यादेश जारी नहीं होने चाहिए।

31 मई को आपका अध्यादेश जारी हुआ है। मेरा विरोध यह है कि आपने संसदीय परम्पराओं को ताक पर रख दिया है और हमेशा आपने तानाशाही का परिचय दिया है। अगर यह विधेयक विधान सभा में आया होता तो हम सोचते कि हाई कोर्ट ने किन-किन परिस्थितियों में यह चीज उठायी है और कैसे व्यापारियों को लाभ पहुंचा है। उस समय हम ज्यादा कह सकते थे। लेकिन आप आर्डीनेन्स निकाल कर अब चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो जाय और आप विधेयक पास भी कर लेंगे क्योंकि आप मैजोरिटी में हैं। लेकिन हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन यदि आप की यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो आप समझ लीजिए कि यह चीज आपको खा लेगी।

हमारे दोस्त गर्ग साहब ने यह भी कहा है। वह कभी इधर रहे कभी उधर रहे। उनकी बात तो समझ में नहीं आई कि उन्होंने इसका समर्थन किया है या विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है। मैं आपको बताऊं कि दूध और कुछ आवश्यक वस्तुएं इस सेल्स टैक्स से मुक्त की गई थीं क्योंकि यह मानव की दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं इसलिए इस टैक्स से बरी कर दी गई। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई हैं। आज बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य की दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बन गई हैं। इसलिए बहुत सी चीजों को आपको इस टैक्स से मुक्त करना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मानव की दैनिक आवश्यकता की हैं। हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि वाटर पम्प कृषि यन्त्र है। इसलिए इसको इस टैक्स से मुक्त होना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा दिया है। हो सकता है कि किसी व्यापारी ने कर वंचना की हो। लेकिन आपको सोचना होगा कि क्या वाटर पम्प कृषि यन्त्र है या नहीं। इस पर टैक्स लगाना चाहिये था नहीं। किसान विरोधी नीति बनाकर यदि आप चलेंगे तो आपके लिए गड्ढा बनेगा।

अभी 7, 8 आर्डिनेन्स आये हैं। उनको देखा जाये तो हर चीज पर टैक्स बढ़ गया है। आप तो कामन मैन की बात करते नहीं। उसे सेल्स टैक्स देना पड़ता है। सेल्स टैक्स लगाने से गरीब जनता के हितों का हनन होता है। यह आपको मानना पड़ेगा। आप कोशिश यह करते हैं कि इस विधेयक को सदन के पटल पर न रखा जाये। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि हमारे संशोधन को आप सभी लोग स्वीकार करेंगे और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्.....

श्री शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष जी, मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया जाये। केवल 2 मिनट का ही दे दिया जाये जिससे मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में इस विषय की महत्ता के अनुरूप इसके उच्च स्तर को बनाये रखा। जो संशोधन सम्मानित सदस्य गोण्डा ने प्रस्तुत किया है उसे मैं मानने में असमर्थ हूं। केवल एक बात के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। श्रीमन्, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री पद्धति में अगर किसी सम्मानित सदस्य को किसी विधेयक के सिद्धांत से सहमति है, वसूलों पर विधेयक को मान लेते हैं तभी कहते हैं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाये। अगर उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया होता तो वह यह न कहते। तो प्रश्न यह है कि सम्मानित सदस्य जनसंघ और उनके सभी साथियों को जिन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। केवल जो विषय सम्बन्धित है वह यह है कि 3-4 मदों के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वह ऐसा फैसला दिया जो तात्कालिक नहीं था। यह नहीं था कि ऐसे विषय पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए या घटा देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए। वह एक कानूनी फैसला था। ऐक्ट की जो भाषा है, उसकी जो धारायें हैं उस सम्बन्ध में वह विषय निहित है। जिस प्रकार से पहले सेल्स टैक्स लगाया जाता है।

श्रीमन्, यह हाईकोर्ट का दायित्व नहीं है कि वह यह तय करे कि किस विषय में सेल्स टैक्स लगाया जाय या किस विषय पर सेल्स टैक्स न लगाया जाय। लेकिन जो हम किसी टैक्स को लगाते हुए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और जिस प्रकार से उसको लगाते हैं उसकी प्रक्रिया को, उसके ब्योरे को, यह संवैधानिक है या नहीं है, इन सारी बातों को न्यायालय देखता है। तो यहां प्रश्न यह उठा कि अगर कोई व्यापारी, रजिस्टर्ड व्यापारी अगर किसी माल पर परचेज टैक्स देता है और वह फिर किसी दूसरे व्यापारी को बेचता है, वह दूसरा व्यापारी तीसरे व्यापारी को बेचता है और सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स है तो फिर जो तीसरा व्यापारी है उसको टैक्स न देना पड़े। इसलिए उसे यह साबित करना होगा कि दूसरे व्यापारी ने जब माल खरीदा तो टैक्स दिया जा चुका है। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो टैक्स की भाषा है वह नियम में नहीं हो सकती। अब प्रश्न यह नहीं है कि नियम में उतना अधिकार नहीं है। प्रश्न यह है जैसे हाई कोर्ट ने कहा है। हम वैसे कानूनी शकल दे रहे हैं। अगर हम ऐसा न करते तो न जाने कितने हजारों लोगों ने टैक्स दिये, अब कहां-कहां रिफण्ड होंगे। क्या होगा। इसमें कोई बुनियादी सवाल नहीं है। इसमें केवल एक कानूनी जामा पहनाना है। अब इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए क्या बात है ?

हमारे सम्मानित सदस्य गोंडा इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। अब इसी प्रकार से प्राकृतिक दूध है। वह अवश्य बिक्री-कर से मुक्त होना चाहिए लेकिन क्या यह सही नहीं है कि आज कौन वर्ग है जो कण्डेन्स्ड मिल्क को या आमुल के, सूखे ही दूध को या पाल्सन के दूध को खरीदते हैं, उसका उपयोग गरीब लोग नहीं करते हैं। उसका उपयोग सम्पन्न लोग करते हैं। तो उसका रूप बदल जाता है, उसका प्रकार बदल जाता है, उसमें लगाई गई पूंजी बदल जाती है और उसका एक दूसरा स्वरूप हो जाता है। तो अगर इस प्रकार की मर्यादाएं जो भिन्न स्वरूप ले लेती हैं अगर हम सारी बातें न करें तो फिर हम कर लगाने के लिए बहुत कुछ रह जाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक दूध और फाइड मिल्क के अन्तर को देखते हुए उस पर बिक्री-कर थोड़ी दर पर लगाना, जो कि पहले से लगाते चले आ रहे हैं, यह उचित है तथा इसे प्रवर समिति में भेजने का जो प्रश्न है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वह दायित्वों का फैसला नहीं था, वह विधिक फैसला था।

श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह जोर दिया, मेरे सम्मानित सदस्य हरद्वार ने काफी इस बात पर जोर दिया कि आर्डिनन्स के जरिये कानून इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए।

पर खास तौर से टैक्सेशन के जो कानून हैं वह आर्डिनेन्स के जरिये नहीं बनने चाहिए। मैं इसको एक तरह से स्वीकार करता हूं कि टैक्सेशन के मामले आर्डिनेन्स से न हों तो अच्छा है। मैं यह भी मानता हूं कि किसी भी सरकार को आर्डिनेन्स कम से कम निकालना चाहिए। मैं इस सिद्धांत को भी स्वीकार करता हूं। लेकिन श्रीमन्, जब जनहित में जब समाज हित में, जब उन्हें संविधान की मर्यादाओं की रक्षा के लिए जो मूल अधिकार हैं आर्डिनेन्स निकालना आवश्यक हो जाता है। समय की बचत करने के लिए आवश्यकता के अनुसार आर्डिनेन्स लगाना पड़ा। सभी देशों के प्रजातांत्रिक सरकारों ने निकाले।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण करना पड़ा था तो आर्डिनेन्स के जरिए ही उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर उसमें आर्डिनेन्स जारी न करके तुरन्त कानून लागू न होता तो यह तो हो सकता था कि पूंजी खुर्द बुर्द हो सकती थी, करोड़ों का वारा न्यारा एक सेकेन्ड और एक मिनट में हो जाता। तो कई ऐसे स्थल आते हैं कि जिस संविधान की दुहाई दी जाती है, उसकी मर्यादा को सुनिश्चित करने के लिए, जनता की आकांक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए हमें कानून या आर्डिनेन्स निकालना पड़ता है।

शराब के आर्डिनेन्स की बात आयी, उसका प्रश्न तो नहीं था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं माननीय सदस्य हरिद्वार में जो कल तर्क वितर्क हुआ, उसमें कोई कटुता नहीं थी, वह एक मित्रतापूर्ण वाद विवाद था। आप जानते हैं, श्रीमन्, कि शराब के ठेके हुआ करते हैं और वे अप्रैल में हुआ करते हैं, वर्ष के आरम्भ में हुआ करते हैं, जब कि सदन नहीं चल रहा था। अगर शराब को महंगा करना था तो उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए किसी किस्म की नयी प्रक्रिया अपनानी थी तो ठेकेदार को जो ठेके लेते हैं, उनको मालूम होना चाहिए था कि दाम ज्यादा हो गये हैं नहीं तो मामले कोर्ट में चले जाते और बीच में जब ठेके हो गये थे तो राजस्व के हित में, राज्य की आमदनी के हित में यह जरूरी था कि समय से आर्डिनेन्स निकलता इसको निर्धारित करने के लिये क्या दरें होगीं ताकि ठेकेदार को ठेका लेते समय मालूम होना चाहिए कि नयी दरें क्या हैं ताकि राजस्व बढ़े ताकि जिस उद्देश्य के लिए वह कानून बनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति हो सके। आर्डिनेन्स ऐसे नहीं निकाला गया।

अब मैं निवेदन करता हूं कि सेल्स टैक्स के मामले में आर्डिनेन्स क्यों निकाला गया। अध्यादेश को विधेयक के रूप में पास होने में 3 हफ्ते का समय लगता है, एक महीना भी लग सकता है। यह विधेयक दूसरे सदन में जायेगा, विधान परिषद में, वहां पर भी विवाद हो सकता है, कभी कभी बीच में सदन उठ भी जाता है। फिर इस पर महामान्य राज्यपाल के दस्तखत होते हैं। तो अध्यादेश की तिथि और विधेयक के पारित होने की तिथि में 3 हफ्ते या 1 महीने का समय लगता है। अब यह आवश्यक है कि 1 महीने में राजस्व की हानि जो लगभग 15–20 लाख रुपया हो जाती उसे बचाया जाता। सदन की कृपा से यदि 20, 25 या 50 लाख रुपया राज्य को मिल जाता तो इतना धन योजना के लिए उपलब्ध हो जाता है। और इसमें कोई असम्भव बात नहीं है। तो इतनी आज्ञा तो अवश्य मिलनी चाहिए। आज कदम कदम पर राजस्व की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था। यह वर्ष विशेष रूप से ऐसा है कि जब केन्द्रीय सरकार ने तय कर लिया है, और रिजर्व बैंक ने तय कर लिया है कि हम किसी भी हालत में ओवर ड्राफ्ट नहीं होने देंगे। किसी भी दशा में राज्यों को रिजर्व बैंकों से ओवर ड्राफ्ट की शक्ल में पैसा नहीं लेने देंगे। उन्होंने यह निर्णय इन्फ्लेशन को रोकने के लिए किया है। स्फीति मुद्रा को रोकने के लिए जो रिजर्व बैंक के जरिए कर्ज दिया जाता था वह भी नहीं देंगे। तो हमें अपने पैरों पर और भी खड़े रहना है। इसलिए यह और भी जरूरी हो गया है। टैक्स लगाये जायें। जो कुछ प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं, उनमें उल्लेख किया है कि आबकारी से 15 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। अगर इन विधेयक को हम अगस्त से लागू करते तो राजस्व न मिलता और इसी प्रकार से अगर बिक्री कर अध्यादेश न लाते तो करोड़ों रुपयों का नुक्सान हो सकता था।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं आपकी कार्य-मंत्रणा समिति का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को मानते हुए, राजस्व के हित में उन्होंने पहली बिजनेस में इसको स्थान दिया और हमारे आग्रह को स्वीकार किया। तो मैं यह आग्रह करूंगा सम्मानित सदस्य से कि अपने संशोधन को वापस लें और बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। सेल्स टैक्स का जो एवेटहो रहा है या किस प्रकार से सेल्स टैक्स नहीं वसूल हो रहा है, चोरी हो रही है। गाजियाबाद के सम्मानित सदस्य ने गाजियाबाद चेकपोस्ट के बारे में सुझाव दिया, वह अच्छा है। मैं जरूर चेष्टा करूंगा कि गाजियाबाद का जो चेक-पोस्ट है और नौबतपुर वाराणसी में जो चेकपोस्ट है उनमें सुधार किया जाय, मिलान किया जाय चेकपोस्टों का। तो मैं कोशिश करूंगा।

सब सुझाव मैंने नोट किये हैं। उनमें जो व्यवहारिक सुझाव हैं मैं उनपर अवश्य कार्य-वाही करूंगा। यह जो बात कही गयी कि व्यापारियों को कष्ट होता है, नियम बदलते हैं, अधिनियम बदलते हैं। मैं मानता हूं कि सेल्स टैक्स का कानून एक कठिन कानून है, लेकिन यह भी सही है कि हमने इसको सरल करने की बहुत कोशिश की है। लगभग 80 परसेंट चीजों पर सिंगिल प्वाइंट एक सूत्री कर है जो कि व्यापारियों की और जनता की मांग है। लेकिन कभी कभी एक-सूत्री कर से भी परेशानी हो जाती है। आपने देखा कि कल गल्ले पर साढ़े चार परसेंट एक-सूत्री कर था जो कि व्यापारियों की मांग पर लगाया गया, उन्होंने कहा कि मल्टी-प्वाइंट कर मत लगाओ। लेकिन उसमें भी कितनी कठिनाई हुई। कभी कभी बहु-सूत्री कर भी आवश्यक होता है, क्योंकि वह व्यापारियों के हित में, सेल्स टैक्स के हित में होता है। यह कानून भी जिसमें संशोधन आया है, अगर बहु-सूत्री होता तो इस संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। कानून दूसरे ढंग का होता, उसके लिए रजिस्टर व्यापारी रखते, अपने अपने सूत्र पर वह कर देते, लेकिन वह कर ज्यादा जरूर होता। तो यह तो व्यापारियों के हित में है। हम तो सेल्स टैक्स को आसान करते हैं, एक स्तर पर परचेज टैक्स या सेल्स टैक्स देना होगा।

बहुत से सम्मानित सदस्यों ने कहा कि सेल्स टैक्स के बारे में और चर्चा होनी चाहिये। तो अभी बजट आ रहा है। इसकी ग्रांट्स पर मतदान होगा उस समय अवसर होगा कि हम सेल्स टैक्स पर अगर सदन चाहेगा तो विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे।

मैं सदन के सम्मानित सदस्यों और विरोधी दलों के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने जो विवाद का स्तर रखा वह कोई टैक्स-विरोधी विचारधारा से नहीं रखा। इसके लिये विशेष रूप से आभारी हूं। आज वातावरण को अच्छा बनाना है। आप भी जानते हैं जो बोझा हमारे ऊपर है। हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को वह चुनौती स्वीकार करनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश का, लेकिन जापान, जरमनी, इंगलैंड किसी भी देश का नाम लें, आज वहां पर जो टैक्स पर-व्यक्ति है वह हमारे प्रदेश से 10 गुना, 8 गुना है और हमारे यहां टैक्स पर-कैपिटा सबसे कम है। जब टैक्स रेट कम है तो एक्सपेंडिचर रेट भी कम होगा। जब आमदनी नहीं तो खर्चा कहां से करेंगे? इसलिए हमें अपने खर्चे बढ़ाने हैं। हम बिजली नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके लिये हमें 1 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। वह कहां से आये? जैसा कि कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ये अनिवार्य आवश्यकतायें हैं, लेकिन उसके लिये साधनों की आवश्यकता है। तो आज ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है कि कोई भी सरकार आये, हमें तो अपने संसाधनों को इस प्रकार जुटाना है कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक विकास के लिये अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकें।

तो मैं इस मनोभावना के साथ अपने जनसंघ के सम्मानित सदस्य गोंडा से यह आग्रह करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस लें क्योंकि जब उन्होंने यह मान लिया कि विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता है, केवल उनकी यह इच्छा है कि प्रवर समिति में जाय, तो सातदिन तो वैसे भी छुट्टी

हो रही है। सदन 18 को मिलने वाला है। इसलिये मैं फिर उनसे आग्रह करूंगा कि अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

वाटर पम्प के बारे में भी कुछ कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वह नहीं स्वीकार कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1794 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3—घ की उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और दिनांक 1 अक्तूबर, 1964 से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1948 ई0 की धारा 3-घ का संशोधन

"स्पष्टीकरण—खण्ड (ख) के अधीन कर-योग्य विक्रय-धन अवधारित करने के लिए, वह धनराशि जिससे एक रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी से माल क्रय किया जाय, उसके कुल विक्रय-धन से केवल तब कर कर दी जायगी जब यह साबित कर दिया जाय कि प्रश्नगत क्रय प्रथम क्रय नहीं है।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न यह उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

नयी धारा 3—मूल अधिनियम की धारा 3—घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय' 3—ङ का बढ़ाया जाना

अर्थात्—

कतिपय संव्यवहारों पर क्रय-कर लगाया जाना

"3—ङ—प्रत्येक व्यापारी जो अपने व्यापार के दौरान किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से कोई कर योग्य माल उन परिस्थितियों में खरीदता है जिनमें ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर धारा 3 या धारा 3—क या धारा 3—कक के अधीन कोई कर देय

[श्री नरायण दत्त तिवारी]

न हो, या किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से कोई कर-योग्य माल खरीदता है, और--

(क) ऐसे माल का उपयोग या तो बिक्री के लिए अन्य माल का निर्माण करने में अथवा अन्य प्रकार से करता है, या

(ख) ऐसे माल का निस्तारण राज्य में बिक्री से भिन्न किसी अन्य प्रकार से करता है, या

(ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या क्रय के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप के सिवाय उन्हें राज्य के बाहर किसी स्थान को भेजता है,

तो वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर उसी दर से, जिस पर यदि उपर्युक्त परिस्थितियां विद्यमान न होतीं तो उपर्युक्त धाराओं के अधीन ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर कर देय होता, कर का देनदार होगा ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4

धारा 3-च का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 3-च में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा स्पष्टीकरण में जहां कहीं भी शब्द "विक्रय धन" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "विक्रय धन या क्रय-धन अथवा दोनों" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5

धारा 4 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और दिनांक 31 मार्च, 1956 से रखी गयी समझी जाय, अर्थात् :--

कर से छूट

"4--इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित कोई कर नहीं लगेगा--

(क) पानी [खनिज जल, फेनिल पेय (एयरेटेड वाटर), टानिक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर (सुगन्धित जल को छोड़ कर), दूध (कण्डेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर या बेबी-मिल्क को छोड़कर), नमक, समाचार-पत्र, मोटर स्प्रिट या अन्य किसी माल की बिक्री पर जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे, या

(ख) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद जो आल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन या गांधी आश्रम, मेरठ या उनकी शाखाओं द्वारा की गई हो या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों द्वारा की गई हो जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई छूट देते समय राज्य सरकार ऐसी शर्तें जिसके अन्तर्गत ऐसे शुल्क का, यदि कोई हो,

जो प्रति वर्ष आठ हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, भुगतान करने की शर्त भी है, आरोपित कर सकती है।"

धारा 4-ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाये, अर्थात् :—

"(1) धारा 3, 3-क, 3-कक, 3-घ और 3-ङ में किसी बात के होते हुये भी,—

(क) यदि धारा 3-घ के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाये जो उक्त धारा के अधीन, यथास्थिति, अपने क्रय या प्रथम क्रय के क्रय धन पर कर का देनदार हो, और उस व्यापारी के पास उसके संबंध में उप-धारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र हो, तो वह ऐसे माल के संबंध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे ऐसी रियायत या कर-मुक्ति बिना शर्त के हो या तदर्थ निर्दिष्ट की गई शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन हो, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाये ;

(ख) यदि किसी अन्य धारा के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी को बेचा जाय और ऐसा अन्य व्यापारी विक्रेता व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके संबंध में उप-धारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है, तो विक्रेता व्यापारी ऐसे माल के संबंध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे ऐसी रियायत या कर-मुक्ति बिना शर्त के हो या तदर्थ निर्दिष्ट की गई शर्तों या निबन्धनों के अधीन हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाये।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के योजनों के लिये, कर के संबंध में रियायत या कर से मुक्ति देने के लिये निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों, के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा हो सकती है कि उप-धारा (2) में अभिदिष्ट विज्ञापित माल धारा 4-क में यथा-परिभाषित ऐसी "नई इकाई" में, जिसमें ऐसे दिनांक के पश्चात, जो दिनांक इस उप-धारा के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व या पश्चात हो सकता है, उत्पादन प्रारम्भ हो, और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, निर्मित हो।"

धारा 11 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(1) उपधारा (2) में, शब्द "नोटिस द्वारा" और शब्द "उक्त इंकार का नोटिस" के स्थान पर क्रमशः शब्द "लिखित आदेशों द्वारा" और शब्द "ऐसे आदेश, जिसमें मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, की प्रति" रख दिये जायें,

(2) उपधारा (4) में, शब्द "उक्त इंकार का नोटिस" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश, जिसमें मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, की प्रति" रख दिये जायें; और

[श्री नरायण दत्त तिवारी]

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

"(4—क) यदि पुनरीक्षण अधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, उपधारा (1), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन मामले का विवरण-पत्र तैयार करे और उसे हाई कोर्ट को समाधान के लिये भेजे तो ऐसा अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को उस दिनांक से, जब हाई कोर्ट को मामला समाधान के लिये भेजे जाने के आदेश की प्रति तामील की जाय, तीन मास की अवधि के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निदेश देगा और हाई कोर्ट को भी पक्षों पर तामील किये जाने के दिनांकों की सूचना देगा।

(4—ख) उपधारा (4—क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष किसी पक्ष द्वारा उपस्थित न होने पर, हाई कोर्ट द्वारा ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में समाधान (reference) की सुनवाई की जा सकती है और उस पर निर्णय किया जा सकता है।"

धारा 21 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्पष्टीकरण में, शब्द "किसी दीवानी या अन्य सक्षम न्यायालय" के स्थान पर शब्द "किसी न्यायालय या अधिकारी" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

9—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में—

(1) क्रम संख्या 1 और 52 के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायें और सदैव से रखी गई समझी जायें, अर्थात् :—

"1—मनुष्य अथवा पशु श्रम द्वारा चालित उपकरणों और वाटर पम्प से भिन्न कृषि उपकरण, जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब को छोड़ कर उनके भाग और सम्बद्ध सामान भी है।

52—मशीनें, जिसके अन्तर्गत वाटर पम्प भी हैं, और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग जो ऐसी मशीन या उनके अतिरिक्त भाग नहीं है जिन पर इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत कर लगता हो" ; और

(2) क्रम संख्या 118 के पश्चात निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

1	2	3
119	हियरिंग एड	नि0 अथवा आ0

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

10—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, क्रम संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या 16—क और 16—ख तथा क्रम संख्या 23 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या 23—क बढ़ा दी जायें और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायें, अर्थात्—

"

क्रम संख्या	विज्ञप्ति की संख्या	दिनांक
16—क	एस0 टी0—2933/10—902(21)/57	1 अगस्त, 1958
16—ख	एस0 टी0—2934/10—902(21)/57	1 अगस्त, 1958
23—क	एस0 टी0—1367/10—990—1956	1 अप्रैल, 1960 "

नियम 44—क का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश बिक्रीकर नियम, 1948 ई0 के नियम 44—क में, खण्ड (घ) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 के प्रवृत्त होने के पूर्व था, सदैव से निकाल दिया गया समझा जाय।

वैधीकरण

12—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के साथ पठित धारा 3—कख की उपधारा (1), धारा 3—घ, की उपधारा (1), धारा 3—च, धारा 4 या धारा 21 के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई विज्ञप्ति भी है) या की गई कोई कार्यवाही अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त उपबन्धों में किये गये संशोधन सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1974 ई0

निरसन तथा अपवाद

13—(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 4 की मद (क) को निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र, मोटर स्प्रिट, अन्न से बनी वस्तुयें, खाद्यान्न उर्वरक, कृषि-यन्त्र, बीज या अन्य किसी माल की बिक्री-पर जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे, या"

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अभी मैंने कहा कि बहुत सी आवश्यकतायें ऐसी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आती हैं। तो जैसे दूध और पानी पर बिक्री-कर नहीं लगाया गया है वैसे ही जो मैंने और बढ़ाई है उन पर भी यह कर न लगाया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन मान लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह कोई ऐसा फर्टिलाइजर तो है नहीं जो खाया जाय—इसमें लिखा है खाद्यान्न उर्वरक । मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 4 की मद (क) को निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र, मोटर स्प्रिट, अन्न से बनी वस्तुयें, खाद्यान्न उर्वरक, कृषि यन्त्र, बीज या अन्य किसी माल की बिक्री पर जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे, या"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि खं0 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तथा खंड 13 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1948 ई0

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं इसका विरोध करते हुये श्रीमन्, एक चीज पूछना चाहता हूं । हमने एक पत्र माननीय वित्त मंत्री जी को लिखा था । अभी उन्होंने गाजियाबाद में एक बैरियर का जिक्र किया । हमारे जिले में भी एक बैरियर बना हुआ है । वहां से कोयला आता है । जो अधिकारी आपने वहां नियुक्ति कर रखे हैं वे मनमाने ढंग से बिक्री-कर वसूल करते हैं । एक ट्रक के ऊपर बनारस में 120 रुपया, जौनपुर में 150 रुपया, फैजाबाद में 200 रुपया तथा गोरखपुर में 250 रुपया । इसके लिये कोई नियम आदि का कोई पालन नहीं होता। न कहीं एक रूपता रखी गयी है । आपने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, मगर कोई उत्तर नहीं दिया गया। अभी गाजियाबाद के बारे में आप

स्वीकार किया। तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करेंगे या नहीं कि इसमें एकरूपता आ सके। इसमें बड़ा घपला है। सादे कागज पर रुपया मोहर लगाकर ले लिया जाता है लिखा कर।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कहा है वे उसे विस्तार के साथ मुझे लिख कर दे दें, मैं जांच करवा लूंगा कि क्या मामला है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इनमें से श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री मोहन लाल कपूर तथा शिवनाथ सिंह कुशवाहा द्वारा 'बदायूं जिले में चेचक का प्रकोप' जो एक प्रांत व्यापी समस्या है को स्वीकार किया जाता है। तथा इस पर कृषक पर अन्य सदस्यों से प्राप्त सूचनाओं को भी इसमें जोड़ दिया जाय। बाकी सब सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
11 जून, 1974।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 403 पर)

(अवक्रमित स्थानीय निकायों की सूची)

(1) नगरपालिकायें

1—मुरादाबाद
2—अलीगढ़
3—मेरठ
4—बुलन्दशहर
5—कासगंज
6—एटा
7—सिकन्दराराव
8—चन्दौसी
9—हरिद्वार
10—तिलहर
11—ककराला
12—पौड़ी
13—मुगलसराय
14—गोरखपुर
15—प्रतापगढ़
16—हरदोई
17—सीतापुर
18—रायबरेली
19—चरखारी
20—इटावा
21—हमीरपुर

(2) नोटीफाइड एरिया

नानपारा।

(3) टाउन एरिया

कोई नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए ता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 406 पर)

प्रेषक,

राम लगन मिश्र,
9 भलुहा,
पत्रालय नासिरगंज बाजार,
बस्ती ।

सेवा में,

श्री फखरुद्दीन अली अहमद,
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय,
भारत सरकार दिल्ली ।

विषय :—जनतंत्र का गला घोटने वाले क्षेत्र विकास अधिकारी, खेसरहा की भयानक चोर बाजारी

महोदय,

कल दिनांक 15 अगस्त, 73 के स्वतंत्रता दिवस के आधार पर परतंत्रता दिवस की झांकी प्रस्तुत की गई और वह भी एक मान्य, सुशिक्षित जनसेवी एवं राजपत्रित अधिकारी के द्वारा :—

घटना यों घटी कि प्रार्थी अपने क्षेत्र के एक परिश्रमी एवं सफल कृषक के लिये थोड़ी सी मात्रा में खाद हेतु क्षेत्र विकास अधिकारी, खेसरहा बस्ती के मुख्यालय पर अपना निवेदन दिनांक 15 अगस्त के उपरोक्त तिथि को प्रस्तुत किया परन्तु उन्होंने (बी0 डी0 ओ0 महोदय) यह कह कर खाद देने से इनकार कर दिया कि ज्येष्ठ उप ब्लाक प्रमुख कौन होते हैं निवेदन करने वाले ? उस क्षेत्र (खेसरहा) न्याय पंचायत को खाद नहीं मिलेगा । खेद की बात रही कि आज इसी दिन परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा भारत स्वतंत्र अस्तित्व का उद्घोषक हुआ था और उसी दिन यह देश धार्तिक वातावरण अपनाया गया ।

स्मरणीय है कि यह 5 (पांच) ट्रक एग्रीकल्चर विभाग से खाद सप्लाई हुई परन्तु जनता के हाथों में धूल झोंक कर सबके सब बी0डी0ओ0 द्वारा ब्लैक मेल कर दिया गया । जिसमें अन्तिम 5 वें ट्रक को दिनांक अगस्त 14, 1973 को पकड़ा गया उस समय उसमें मात्र 78 बोरियां बची थीं और जो उपरोक्त अधिकारी एवं एक पुलिस चौकी के सिपाही के संरक्षण में थी । दूसरे दिन यानी अगस्त 15, 1973 को जब स्थानीय ग्राम सेवक किसानों का परमिट लेकर गये तो खाद न मिला कारण कि स्टोर एक दम से रिक्त था और इसी कारण से मेरे निवेदन पर कोई कार्यवाही न की जा सकी यह चोर बाजारी की कार्यवाहियां सम्भवत: रात में की गईं । अब यदि मेरी जगह पर स्वयं ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख भी होते (खेद की बात है कि मैं ज्येष्ठ उप ब्लाक प्रमुख भी हूं) तो भी खाद की सप्लाई न हो पाती कारण कि जब बांस ही नहीं रही तो बांसुरी क्या बजेगी । यही स्थिति फिलहाल यहां के लाइसेन्सियल दुकानों की चल रही है । क्या मैं इस मंत्रालय से पूछ सकता हूं कि:—

(क) क्या इन कार्यवाहियों से देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधर सकती है ?

(ख) क्या यह अधिकारी मात्र चोर बाजारी के लिये नियुक्त किये गये हैं ?

(ग) क्या जनतंत्र क साथ विश्वासघात नहीं ?

(घ) क्या उपरोक्त अधिकारी ने जो कुछ कहा है वह सत्य है ?

अतः अन्त में श्रीमान् जी के मंत्रालय से यह विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त घटनाओं की अविलम्ब जांच करा कर उक्त अधिकारी को दंड स्वरूप कम से कम यहां से स्थानान्तरित करने की कृपा करें अन्यथा जनता उत्तेजित है कि कोई भी आकस्मिक घटना कभी भी घट सकती है । जो निःसंदेह जन और जनतंत्र के लिये घातक सिद्ध होगा ।

प्रार्थी :-

भलुहा (खेसरहा)
16 अगस्त, 1973 ई० ।

(हस्ताक्षर) राम लगन मिश्र,
ग्राम प्रधान एवं ज्येष्ठ उप-
ब्लाक प्रमुख, खेसरहा, बस्ती ।
(उत्तर प्रदेश) ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 408 पर)।

कानपुर जनपद के विकास खण्ड झींझक के अन्तर्गत पेयजल स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिए गांवों में कूप निर्माण और अलग-अलग कूपों पर हुए व्यय की सूची

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	गांव का नाम जहां कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई थी	कूप का नाम जहां कूप निर्मित हुआ	31 मार्च, 1973 तक निर्मित कूपों की संख्या	विकास खंड को आवंटित धनराशि	कूपवार व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	झींझक	1—किशोरा	1—किशोरा	1		2322.15
		2—बनीपारा	2—बनीपारा	1		2268.48
		3—लक्ष्मणपुर	3—पिलख	1		2712.60
		4—बजीतजसू	4—बजीतजसू	1		2589.60
		5—जलिहापुर	5—जलिहापुर	1		2656.95
		6—बान	6—बम्हइयाबान	1		1761.14
		7—लगरथा	7—लगरथा	1		2044.12
		8—अनेत धौंक	8—अनन्तपुर धौंका (जोगी का डेरा)	1		2513.05
				8	18918.00	18868.09
					अवशेष	49.61

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 420 पर)

संलग्नक

(1) सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में श्री राम लखन राम, खंड विकास अधिकारी, गम्हा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच से यह विदित हुआ कि उन्होंने प्राथमिकता के अनुसार वितरण नहीं किया था । श्री राम लखन राम, का स्थानान्तरण इस जनपद से बस्ती जनपद को हो गया है । वे इस समय बस्ती जनपद में कार्यरत हैं । साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी चल रही है।

(2) श्री राम अधार सिंह, खंड विकास अधिकारी, बांसगांव के विरुद्ध खाद वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने प्राथमिकता के अनुसार वितरण नहीं किया था । उनको चेतावनी दे दी गयी है और सब कार्य संतोषजनक ढंग से हो रहा है ।

(3) श्री जगन्नाथ प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, पिपराइच के विरुद्ध खाद एवं सीमेंट वितरण से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जो निराधार पाई गई ।

(4) श्री राम प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, महराजगंज के विरुद्ध शिकायतकर्ता ने स्वयं लिखित रूप से दिया है कि उन्होंने उसकी स्थानीय जांच स्वयं की और अवगत कराया कि जांच की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये ।

शेष के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही जारी है ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 423 पर)।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में सम्मिलित स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों का विवरण

(1) सिविल और विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं को अलग-अलग संवर्ग में रखा जाय ।

(2) विभाग में नियुक्ति के पश्चात् हर स्नातक को किसी अभियंत्रण संस्थान में विभागीय प्रशिक्षण दिया जाय और यदि किसी समय एक विषय के स्नातक उपलब्ध न हों तो दूसरे विषय के स्नातकों को प्रश्नगत विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाय ताकि इसके बाद एक स्नातक दूसरे संवर्ग में प्रवेश पाकर अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से वहन कर सके ।

(3) विभाग में प्रोन्नति से पूर्व रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना आवश्यक समझा जाय और अभियंताओं की दक्षता बढ़ाने हेतु एक ट्रेनिंग रिजर्व का सृजन किया जाय ।

(4) विभाग में विद्युत् एवं यांत्रिक अभियंताओं को परामर्शदाताओं के रूप में रखने की पद्धति समाप्त करके उन्हें कार्यकारी चार्ज उसी प्रकार दिया जाय जैसा अभी तक सिविल अभियंताओं को दिया जाता है और विभाग में जितना भी कार्य हो रहा है उसका कम से कम 20 प्रतिशत काम विद्युत्/यांत्रिक अभियंताओं का है और उसी अनुपात में स्टाफ को नियुक्ति की जाय।

(5) वाटर वर्क्स इंजीनियर के लिये सिविल अभियंताओं की अर्हता का सम्मिलित न किया जाय किन्तु विद्युत्/यांत्रिक अभियंताओं/जूनियर इंजीनियरों को जन-स्वास्थ्य अभियंत्रण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जाय ।

(6) विभाग में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के स्तर से दोनों संवर्गों में से श्रेष्ठता के आधार पर चुनाव किया जाय ।

(7) अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद के लिये चयन के समय दोनों संवर्गों के अधिकारियों में श्रेष्ठता के साथ-साथ ज्येष्ठता तथा सेवा की कुल अवधि पर भी ध्यान दिया जाय ।

(8) विभाग में एक केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना की जाय जो वर्तमान क्षेत्रीय वर्कशापों के काम का नियंत्रण करें । तत्पश्चात् सभी अभियंत्रण विभागों की एक संयुक्त केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना की जाय ।

(9) निम्न सिद्धांतों के अनुसार विभाग अपने सेवा नियम बना ले अथवा उन्हें संशोधित कर दें :

(क) विभाग में अलग-अलग संवर्गों के लिये सुस्पष्ट नियम बनाये जायें ।

(ख) विभाग में समिति के निर्णय के अनुपात में स्टाफ की संख्या निर्धारित की जाय और उसमें प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्विचार किया जाय ।

(ग) प्रत्येक संवर्ग के प्रोन्नति के लिये निश्चित मार्ग दर्शन हो ।

(घ) उपर्युक्त पैरा 2 में दिये गये सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये नियमों में आवश्यक प्रावधान अथवा संशोधन किया जाय ।

(10) विद्युत्/यांत्रिक अभियंताओं/जूनियर इंजीनियरों के लिये रोजगार के सामान्य अवसर बढ़ाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये:—

(क) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जिन उद्योगों की स्थापना की जाय उनमें विद्युत्/यांत्रिक संवर्ग के लोगों को अधिकाधिक लगाया जाय ।

(ख) थर्मल पावर स्टेशन तथा टावर निर्माण के कार्य तथा उनके रख-रखाव के काम के लिये विद्युत्/यांत्रिक संवर्ग के लोगों की सेवाओं का सदुपयोग किया जाय ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क यातायात निगम में विद्युत्/यांत्रिक संवर्ग के लोगों के रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाय ।

नत्थी

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 10

क्रमांक	ग्राम सभा का नाम	कृषकों की सं0 जिन्हें बीज भी देना था				दी जाने वाली बीज की मात्रा (कुन्तल में)				कृषकों की संख्या जिन्हें बीज दिया गया			
		कृषि		सहकारिता		कृषि		सहकारिता		कृषि		सहकारिता	
		आधा एकड़	एक एकड़	आधा एकड़	एक एकड़	आधा एकड़	एक एकड़	आधा एकड़	एक एकड़	आधा एकड़	एक एकड़	आधा एकड़	एक एकड़
1	वरी प्रसिद्धपुर	17	14	—	—	1–90	2–10	—	—	17	14	—	—
2	वण्डियाकलां	118	114	2	—	13–95	17–10	0–25	—	96	111	2	—
3	वहियाखुर्द	26	17	—	—	3–20	2–55	—	—	25	15	—	—
4	सूरजपुर	82	62	3	4	9–75	9–30	0–30	0–60	82	62	3	4
5	कंकलिया धर्मपुर	57	39	1	4	6–70	5–85	0–16	0–60	—	—	1	—
	योग ..					35–50	36–90	0–65	1–20				

विधान सभा उत्तर प्रदेश

"च"

का उत्तर पीछे पृष्ठ 429 पर)

बीज की मात्रा जो दी गई				बीज वितरण किस तिथि तक होना था	बीज वितरण प्रारम्भ तिथि		विलम्ब या बीज वितरण नहीं किये जाने का कारण
कृषि		सहकारिता			कृषि	सहकारिता	
आधा एकड़	एक एकड़	आधा एकड़	एक एकड़				
1–90	2–10	—	—	15–1–74	9–12–73	—	कोई विलम्ब नही हुआ।
11–80	16–65	0–25	—	,,	29–12–73 से 30–12–73	13–12–73	,,
3–10	2–25	—	—	,,	29–11–73	—	,,
9–75	9–30	0–30	0–60	,,	27–11–73	27–11–73	,,
—	—	0–10	0–60	,,		—	,,
26–55	30–30	0–65	1–20				

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 59 विधान सभा—(1012)—1974—835.